खण्ड-191, अंक-5
शुक्रवार, 25 माघ, शक संवत् 1879
(14 फरवरी, 1958 ई0)

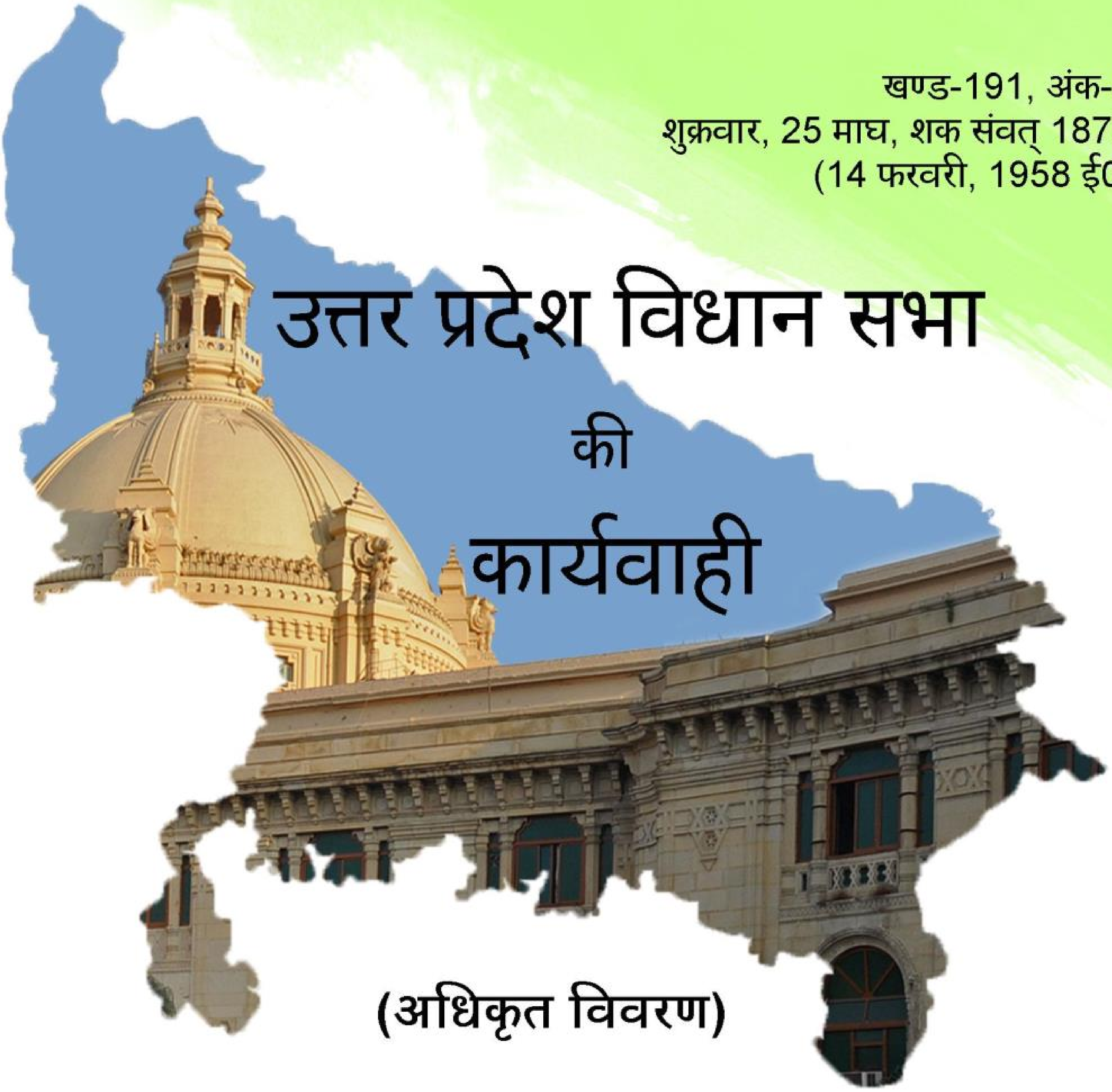

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 191 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५८

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, १४ फरवरी, १९५८ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (३४९)

अक्षयवरसिंह, श्री
अज़ीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इरतज़ा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फ़तसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कैलाशप्रकाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
ग़रीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आज़ाद, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

गौरीशंकरराय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छेदीलाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह , श्री (बरेली)
नत्थूसिंह , श्री (मैनपुरी)
नन्दराम, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रतापबहादुर सिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री

बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्ला प्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद फ़ारूक़ चिश्ती, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ़ जाफ़री, श्री
रघुनाथ सहाय यादव, श्री
रघुरनतेज बहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोरराव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राम अभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलालसहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)

रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगविहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रमसिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शम्सुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आज़मगढ़)
श्रीनिवास, श्री
संग्रामसिंह, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री

हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त कांडपाल, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

माल उपमंत्री, श्री परमात्मा नन्द सिंह भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, १४ फरवरी, १९५८ ई०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

पर्वतीय क्षेत्र में घास व लकड़ी के बोझों पर कर लगाना

**१—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या जंगलात विभाग ने हाल ही में पर्वतीय क्षेत्रों में प्रति मनुष्य घास के बोझों पर भी कुछ टैक्स लगाया है ? यदि हां, तो क्यों ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—जी नहीं

**२—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या इस टैक्स या शुल्क के सम्बन्ध में निकाले गये नोटिफिकेशन की एक प्रति सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर—उपरोक्त उत्तर के आधार पर यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि फारेस्ट ऐक्ट की कुछ धाराओं के अनुसार वहां घास के बोझ लाने पर या लकड़ी वगैरह के बोझ लाने पर कोई चार्ज लगाया गया है ?

श्री सैयद अली जहीर—एक बहुत पुराना गवर्नमेंट आर्डर है, ३० सितम्बर सन्, १९१५ का है, जिस के मातहात उनको हक है कि वे उन रास्तों पर चौकियां कायम करें, जिधर से जंगल से माल निकल कर बाहर जाता है । अभी जनवरी के दूसरे फोर्टनाइट में वहां ६ ऐसी चौकियां कंजरवेटर द्वारा कायम की गयी हैं । वहां पास लेकर जो लकड़ी ले जाने वाले होते थे, उनको इन चौकियों पर पास बदल कर फारेस्ट अफसर द्वारा पास मिल जाता है ताकि यह मालूम हो सके कि कौन माल जायज तरीके से निकल रहा है और कौन नाजायज तरीके से । इसलिये दो नये पैसे का टैक्स इस पास को लेने के लिये लगाया गया है । लेकिन इस पास का मंशा यह नहीं था कि जिन लोगों को अपनी जरूरत के लिये थोड़ी बहुत लकड़ी ले जाने की इजाजत है, उन पर भी इस किस्म का कोई टैक्स लगे और न उन पर ऐसा टैक्स लगाया गया है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९१५ के इस आर्डर को जनवरी, सन् १९५८ में लागू करके फिर दो नये पैसे लगाने की क्या आवश्यकता पड़ गयी और यह किस कानून के अनुसार हुआ है ?

श्री सैयद अली जहीर—आवश्यकता यह थी कि नाजायज तरीके से वहां के जंगल से माल न निकल सके ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस बात को ध्यान में रखते हुये कि ४३ वर्ष तक यह टैक्स नहीं लगा, पास के लिये दो नये पैसे के टैक्स को हटाकर, फ्री पास का इन्तजाम करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं, पहले तो पास होता ही नहीं था, लेकिन अब चूंकि पास दिया जाता है और उसमें कुछ न कुछ खर्च होता ही है, लिहाजा दो नये पैसे टैक्स पास के लिये ही लगाया गया है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह दो नये पैसे जो पास के लिये टैक्स के रूप में हैं, वह घरेलू काम के लिये लकड़ी व घास के बोझे पर भी लिया जायगा ?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं, गलती से सिर्फ रानीखेत में एक चौकी पर कुछ दिनों तक ऐसे पास के लिये यह टैक्स लिया गया लेकिन इसकी इत्तला जैसे ही कंजरवेटर को मिली उन्होंने तुरन्त ही ३ फरवरी, १९५८ को यह हुक्म दिया कि उनसे टैक्स नहीं लेना चाहिये और ऐसे लोगों से अब तक जो कुछ लिया गया है, उनको वापस कर दिया जाय ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी इस की कोई जांच करायेंगे कि यह आर्डर जो गलती से लगाया गया वह किस ने लगाया और कौन इसके लिये जिम्मेदार है ?

श्री सैयद अली जहीर—यह गालिबन गलतफहमी की बुनियाद पर रेन्ज आफीसर रानीखेत ने किया, लेकिन वह गलतफहमी दूर हो गई है और टैक्स वापस हो गया है ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सन् १५ में जो यह आज्ञा जारी हुई थी उसके कितने दिन बाद तक यह आज्ञा अमल में लाई गई थी और कब मुल्तवी कर के पुनः जारी की गई है ?

श्री सैयद अली जहीर—इसकी सूचना इस वक्त नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो पास का २ नया पैसा टैक्स लगाया गया है यह किस ऐक्ट के मातहत लगाया गया है ?

श्री सैयद अली जहीर—मैंने तो अभी बताया कि यह टैक्स नहीं है और यह जी० ओ० नम्बर ६७२/१४/४२, तारीख ३० सितम्बर, सन् १९१५ के मातहत लगाया गया था ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार इस बात पर विचार करने का इरादा रखती है कि वह इन फार्मों की छपाई का खर्च खुद बरदाश्त कर ले और यह २ नये पैसे न लिये जायं ?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं, ऐसा इरादा इस वक्त नहीं है ?

कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई ऐडमिनिस्ट्रेशन के मजदूरों को लेबर कालोनी में रहने की जगह न मिलना

**३—श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई ऐडमिनिस्ट्रेशन में लेबर ला अब तक क्यों नहीं लागू किया गया ?

उद्योग उपमंत्री (श्री रऊफ जाफरी)—कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई ऐडमिनिस्ट्रेशन में लेबर ला लागू है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि केसा में लेबर ला लागू है तो वहां के मजदूरों को लेबर कालोनी में जगह क्यों नहीं दी जाती है ?

श्री रऊफ जाफरी—इसके लिये नोटिस चाहिये ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास केसा के मजदूरों की ऐसी शिकायतें आई हैं कि उन को लेबर कालोनी में जगह नहीं दी जाती ?

मुख्यमंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—लेबर कालोनी में रहने से और लेबर-लाज से कोई ताल्लुक नहीं है। उसमें यह नहीं लिखा है कि किसको जगह दी जाय या न दी जाय। जब गवर्नमेंट आफ इंडिया से रुपया मिला था और बातचीत हुई थी तो उन्होंने कानपुर के बारे में क्लियर कर दिया था कि वहां सरकारी कन्सर्न्स के मजदूरों के बसाने का इंतजाम न किया जाय। अगर कोई रहने वाला न मिले तभी दूसरे लोगों के मामले पर गौर हो सकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि लेबर लाज केसा के लिये ही लागू हैं या दूसरी अन्डरटेकिंग्स के लिये भी ?

श्री रऊफ जाफरी—इस वक्त केसा के मुताल्लिक सवाल था, उसी की सूचना मेरे पास है, वह देदी गई।

गोंडा जिले की उतरौला तहसील में रबी फसल की क्षतिपूर्ति के लिये प्रार्थना

**४—श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह (जिला गोंडा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिला परगना बूढ़ापार व सादुल्लानगर तहसील उतरौला में खरीफ की फसल में हानि होने तथा हानि की जांच कराके खरीफ के लगान को माफ करने के हेतु उसे कोई सूचना प्राप्त हुई ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

माल उपमंत्री (श्री परमात्मानन्दसिंह)—गोंडा जिले में जिसमें उतरौला तहसील भी सम्मिलित है, १३६५ फसली की खरीफ फसल की हानि के संबंध में जिलाधीश की प्रारम्भिक (preliminary) सहायता रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गई है जो केवल सूचनार्थ है। परिषद् से इस विषय में फाइनल रिपोर्ट आने के पश्चात् उचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें ५ अक्तूबर को और ११ दिसम्बर को इस बात का कोई पत्र प्राप्त हुआ है कि वहां सूखे की जांच करा के खरीफ के लगान को माफ किया जाय ?

श्री परमात्मानन्दसिंह—ऐसा कोई पत्र तो नहीं है परन्तु वहां के जिला मैजिस्ट्रेट ने तो खुद ही १९ नवम्बर को अपना प्रपोजल भेज दिया है लिहाजा उस में कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या यह सही है कि यह खरीफ के नुक्सान की रिपोर्ट १५ नवम्बर के पहले अवश्य सरकार के पास आ जानी चाहिये, लेकिन यह बाद में आई है ? और क्या इस पर सरकार कार्यवाही करेगी ?

श्री परमात्मानन्दसिंह—यह नियम तो इस समय याद नहीं है। पर माननीय सदस्य जैसा कहते हैं इस पर विचार किया जायगा।

एटा जिले में ऐग्रीकल्चर इंटर कालेज, राजा का रामपुर को सहायता देने की प्रार्थना

**५—श्री भूपकिशोर (जिला एटा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५७-५८ से ऐग्रीकल्चर आर०बी०एल० स्कूल, राजा का रामपुर, जिला एटा को सरकार की ओर से क्या अनुदान सहायता के रूप में दिया जाता है ?

कृषि मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)—इस स्कूल को कोई सहायता नहीं दी जाती है।

**६—श्री भूपकिशोर—क्या सरकार इस स्कूल को ऐग्रीकल्चर स्कूल होने के कारण अधिक सहायता देने को सोच रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री भूपकिशोर---क्या सरकार बतायेगी कि इस ऐग्रीकल्चरल स्कूल को सहायता न देने का क्या कारण है जब कि जिला एटा में यही एक ऐग्रीकल्चरल इंटर कालेज है?

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---शायद वह फिट केस समझा नहीं गया।

श्री भूपकिशोर---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस ऐग्रीकल्चरल स्कूल के अधिकारियों की ओर से सहायता प्राप्ति के लिये कोई प्रार्थना पत्र आया था?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस स्कूल को सरकारी मान्यता मिली है या नहीं?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इसके लिये भी नोटिस की जरूरत है।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या माननीय मंत्री जी प्रश्नकर्ता के इस प्रश्न को सूचना मान कर फिर से सहायता देने के प्रश्न पर विचार करेंगे?

श्री हुकुमसिंह विसेन---ऐसा मैं मुनासिब नहीं समझता।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में जानकारी

**७---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या उत्तर प्रदेश की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्लानिंग कमीशन की सलाह से कोई परिवर्तन अथवा संशोधन किया गया है? यदि हां, तो क्या?

नियोजन उपमंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)---कोई उल्लेखनीय परिवर्तन अथवा संशोधन नहीं किया गया है, परन्तु परिस्थितियों के अनुसार इतस्ततः थोड़ा हेर फेर हो सकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि अब तक क्या परिवर्तन हुआ है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इसका ठीक ठीक जवाब देना मुश्किल है इसलिये कि हमारा पूरा प्लान २५३ करोड़ का था। अगर हम को २५३ करोड़ एक साथ मिल जाता तो कोई हेरफेर न होता, या अगर यह भी होता कि २५३ करोड़ का पांचवां भाग, जो करीब ५० करोड़ के होता है, हर साल आटोमेटिकली मिलता रहता तो परिवर्तन की बात न होती या पहले से हमें मालूम होता कि इतना नहीं मिलेगा। लेकिन हर साल प्लानिंग कमीशन से बातचीत करके कुछ न कुछ रकम तय होती है। तो ठीक-ठीक, क्या परिवर्तन हुआ उसका अन्दाजा पांचवें साल में लगेगा, कुल जितना साल भर में हुआ उसका कितना टोटल होता है।

दूसरी बात यह है कि फारेन एक्सचेंज की दिक्कत है। उस की वजह से हमारे काम रुकेंगे। कौन कौन से काम रुकेंगे यह अभी नहीं कहा जा सकता। मुमकिन है कि इस साल कम हो अगले साल मिल जाय। उसकी बाबत ठीक नहीं कहा जा सकता कि इसमें क्या परिवर्तन होगा।

तीसरे, बलवन्तराय मेहता कमेटी ने सिफारिश की है कि सारे देश में एन० ई० एस० ब्लाक्स के खोलने का काम कुछ स्टे कर दिया जाय। अगर यह सुझाव मान लिया गया तो भी कुछ न कुछ परिवर्त्तन होगा। वह क्या परिवर्तन होगा, क्या पालिसी अन्त में तय होगी प्लानिंग कमीशन के जरिये से, वह भी हम नहीं कह सकते। इसलिये ठीक ठीक कहना मुश्किल है कि क्या क्या परिवर्तन होंगे।

मोटे तौर से, सिद्धान्त के रूप में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—प्रदेशीय सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम साल में २३ करोड़ रुपया मांगा था और कुल १८ करोड़ मिला और इस वर्ष कुल २ करोड़ रुपया अभी तक मिला है, क्या यह सही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—पिछले साल का तो हमारा प्लान ५२ करोड़ रुपये का था। अभी तो साल खत्म हुआ नहीं। इसलिए रुपया बराबर रिलीज होता जा रहा है। कितना रुपया रिलीज हुआ यह कहना मुश्किल है। इस साल का बजट अभी शुरू हुआ है। इसलिए इस साल अभी २ करोड़ रुपये का कोई सवाल पैदा नहीं होता।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बतायेंगे कि इस योजना में कटौती की आशंका है इसके कारण रिहैंड डैम की योजना के पूरा होने में कोई सन्देह पैदा हो गया है ?

श्री अध्यक्ष—इसका तो कल जवाब दिया जा चुका है कि रिहैंड डैम शामिल रहेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बतायेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो परिवर्त्तन होंगे उनके बारे में सरकार इस सदन के सामने भी प्रस्ताव रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अगर कोई मौलिक परिवर्तन हुआ तो जरूर उसे सदन के सामने रखने की कोशिश करेंगे।

काशीपुर क्षेत्र के गन्ने की पेराई की व्यवस्था

**८—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को ज्ञात है कि काशीपुर क्षेत्र में इस वर्ष भी लगभग २० लाख मन गन्ना खड़ा है ? यदि हां, तो सरकार उक्त गन्ने के पेरे जाने हेतु क्या उपाय कर रही है ?

श्री रऊफ जाफरी—जी हां, यह गन्ना क्रश करने के लिए उस क्षेत्र के आस पास की अन्य चीनी मिलों को दे दिया गया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि अतिरिक्त गन्ना किन-किन चीनी मिलों को दिया गया है और किस परिमाण में ?

श्री रऊफ जाफरी—काशीपुर गेट का गन्ना १० लाख मन तो अयोध्या शुगर मिल को और ५ लाख मन धामपुर शुगर मिल को दिया गया है। सरकारा और बाजपुर और बड़े-बड़े फार्म ओनर्स का १० लाख मन गन्ना रजा-बुलन्द शुगर फैक्टरी को दिया गया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या कोई ऐसी भी सिफारिश सरकार ने की है कि यह गन्ना निर्धारित दाम से कम रेट पर दिया जायगा ?

श्री रऊफ जाफरी—कम रेट पर क्यों दिया जायगा ? जो उसका कायदा है उसी के हिसाब से दिया जायगा।

श्री मदन पांडेय—गन्ने का बटवारा जिन मिलों को किया गया है क्या वह इस हिसाब से किया गया है कि अप्रैल के महीने तक यह गन्ना समाप्त हो जाय ?

श्री रऊफ जाफरी—जल्दी से जल्दी कोशिश की जायगी और सिचुएशन जो है वह बराबर रिव्यू होती रहती है, अगर यह मालूम होगा कि किसी मिल में बहुत देर लगने वाली है तो फिर उसको इधर उधर बांट दिया जायगा। यह कहना मुश्किल है कि अप्रैल में यह खत्म हो जायगा।

श्री प्रतापसिंह—क्या सरकार को ज्ञात है कि जो २० लाख मन गन्ना खड़ा है वह इसलिए है कि काशीपुर फैक्ट्री गन्ना उत्पादकों से गन्ना न लेकर के उन लोगों से गन्ना लेती है जो गन्ना खरीद कर लाते हैं ?

श्री रऊफ जाफरी—ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि जिन फैक्ट्रियों को गन्ना दिया गया है वहां पर उनके क्षेत्र का गन्ना भी इतना है जिसको कि वह मई तक शायद न पेर पावें ?

श्री रऊफ जाफरी—यह जाहिर है कि उनके अपने क्षेत्र का गन्ना तो है लेकिन यह देख लिया गया है कि वह यह गन्ना भी इस्तेमाल कर सकेंगी और इस हिसाब से यह किया गया है कि वह यह सब गन्ना पेर सकें ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को सूचना है कि काशीपुर शुगर फैक्ट्री ने इस साल एक हजार टन का एक नया प्लांट लगाया है, जिसका उद्घाटन अभी केन्द्रीय खाद्य मन्त्री श्री अजित प्रसाद जैन ने किया है ? यह २० लाख मन गन्ना उसी फैक्ट्री में पेरवाने का इन्तजाम क्यों नहीं किया गया ?

श्री रऊफ जाफरी—मैंने अभी अर्ज किया कि गन्ने की हालत की बराबर देखभाल होती रहती है । हर पन्द्रह दिन पर उसको देखते रहते हैं और अगर ऐसा मालूम हुआ कि काशीपुर मिल में वह जल्दी से पिर जायगा और वहां देर लगेगी तो यह फिर ऐडजस्टमेंट हो सकता है ।

कानपुर जिलान्तर्गत बिठूर में नानाराव पेशवा की संदिग्ध मूर्ति की स्थापना

**९—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या यह सही है कि बिठूर जिला कानपुर में १९५७ की शहीद शताब्दी के उपलक्ष में नानाराव पेशवा की जो मूर्ति लगाई गई है वह तत्कालीन अयोध्या प्रसाद ठेकेदार की है और इसीलिये सरकार के आदेश पर उक्त मूर्ति पर १० मई, १९५७ को पर्दा डाल दिया गया था ?

गृह मंत्री के सभासचिव (श्री इस्तफा हुसैन)—जी नहीं ।

**१०—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या केन्द्रीय सरकार ने उपर्युक्त सम्बन्ध में कोई आदेश दिया है ?

श्री इस्तफा हुसैन—जी नहीं ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या यह सही है कि नानाराव पेशवा की कोई प्रामाणिक मूर्ति नहीं है ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—जी हां । कुछ पुस्तकों में जो चित्र उनके छपे हैं उनमें एक दूसरे में साम्य नहीं है, उस पर संदेह किया जाता है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या मंत्री जी को यह भी ज्ञात है कि १८५७ शताब्दी समारोह के अवसर पर उनके पास यह शिकायत भेजी गई थी या अधिकारियों को दी गई थी कि यह मूर्ति ठेकेदार की है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ठेकेदार की है या नहीं, यह तो मालूम नहीं । लेकिन १८५९ में जो पुस्तक हिस्टरी आफ दी इंडियन रिवोल्ट छपी थी उसमें जो चित्र छपा है उसी के आधार पर वह बनाई गई थी ।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित--(जिला कानपुर)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कानपुर शहर कांग्रेस कमेटी के मंत्री ने उनके पास इस प्रकार का पत्र भेजा था जिसमें यह बात कही गई थी कि यह चित्र नानाराव का नहीं है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इसकी सूचना तो मेरे पास नहीं कि पत्र आया था या नहीं।

श्री ब्रजबिहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)--क्या गृह-मंत्री को मालूम है कि माननीय मुख्य मंत्री ने इस सदन में आश्वासन दिया था कि मूर्ति रिप्लेस कर दी जायगी और जैसी मूर्ति होनी चाहिये वैसी लगेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जिस पत्र का जिक्र माननीय ब्रह्मदत्त दीक्षित ने किया है वैसा पत्र मेरे पास आया था और मैंने जो कहा था उसको अब इस वक्त भी कहता हूं। १८५७ के शताब्दी समारोह के वक्त हमारे सामने यह प्रश्न हुआ कि नानाराव की एक मूर्ति स्थापित की जाय क्योंकि उस वक्त की घटना में उनका प्रमुख भाग था। तो जितनी तस्वीरें हमको मिल सकीं उनको देखा गया। जैसा शिक्षा मंत्री जी ने कहा जो सबसे पुरानी प्रामाणिक पुस्तकें मिल सकीं उनके आधार पर वह मूर्ति लगायी गई। लेकिन अगर किन्हीं और तरीकों से किसी वक्त साबित हो जाय कि वह मूर्ति ठीक नहीं थी और कोई और प्रामाणिक तस्वीर हमको मिल सकेगी तो हम लगवा सकते हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सूचना मंत्री जी सूचना विभाग से सूचना मंगायेंगे कि शहर कांग्रेस कमेटी, कानपुर के मंत्री का उनके पास कोई पत्र आया था कि नहीं आया था ?

श्री अध्यक्ष--माननीय मुख्य मंत्री जी ने जवाब दे दिया।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--पत्र मेरे पास आया था, वह कैसे बता दें ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार इस प्रकार की कोई अधिकृत जांच या रिसर्च किसी इतिहासकार या इतिहास डिपार्टमेंट के पास भेजकर करायेगी कि नानाराव पेशवा की सही फोटो कैसी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--नानाराव पेशवा की एक तस्वीर तो १८५९ वाली उस किताब में छपी है। यह सोच करके कि विद्रोह के दो वर्ष बाद ही जो पुस्तक छपी है अवश्य ही वह प्रामाणिक होगी, उसको स्वीकार करके यह बनवायी गई। अब भारत सरकार की जो पुस्तक १८५७ के संबंध में छपी है डाक्टर सेन की उसमें दूसरे प्रकार का चित्र छपा है, तो विचार हो रहा है। भारत सरकार ने उसी चित्र को प्रामाणिक माना है। अब इसमें मत मतान्तर है और अंतिम रूप से जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस संबंध में कहा वही नीति बरती जायगी।

श्री हरिदास मूंधड़ा द्वारा ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन; कानपुर, के मिलों में हिस्सों की खरीदारी के सम्बन्ध में जानकारी

**११--श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--क्या सरकार को पता है कि श्री मूंधड़ा ने ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन की जो मिलें कानपुर में थीं जैसे लाल इमली, कूपर एलेन, कानपुर काटन मिल, नार्थ-वेस्ट टेनरी ब्रांच, इलगिन मिल कानपुर, टेक्सटाइल तथा ५ शुगर मिल्स के शेयरों को खरीद लिया है ?

श्री रऊफ जाफरी--सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई विश्वस्त सूचना नहीं है।

**१२--श्री राजनारायण--क्या सरकार को मालूम है कि श्री मूंधड़ा ने इन मिलों के रिजर्व फंड को दूसरी जगहों में लगाकर इन मिलों के लिये आर्थिक संकट पैदा कर दिया है ?

श्री रऊफ जाफरी—सरकार के पास कोई विश्वस्त सूचना नहीं है।

**१३—श्री राजनारायण—क्या सरकार को मालूम है कि कानपुर काटन मिल दो महीने से बन्द है और सरकार ने आथराइज्ड कंट्रोलर की मांग अभी तक नहीं की है ?

श्री रऊफ जाफरी—सरकार को यह सूचना मिली थी कि प्रबन्धकों को लगातार हानि होने तथा कपड़े के एकत्र होते रहने के कारण प्रबन्धकों ने २ दिसम्बर, १९५७ से अनिश्चितकाल के लिये बैठकी कर दी। आथराइज्ड कंट्रोलर तैनात करने के लिये केंद्रीय सरकार को काफी पहले लिखा जा चुका है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार कृपा कर जो कुछ भी सूचना उसके पास है उसकी जानकारी सदन को करायेगी ?

श्री रऊफ जाफरी—प्रश्न ११-१२ के संबंध में उत्तर दे दिया गया है कि कोई विश्वस्त सूचना नहीं है। जब विश्वस्त नहीं है तो उसका यहां रखना मुनासिब नहीं है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को पता है कि केंद्रीय सरकार ने टेक्सटाइल कमिश्नर से जांच कराई थी और उसमें ऐसी बात आई थी ?

श्री रऊफ जाफरी—इसकी सूचना मुझे नहीं है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को पता है कि स्टेट बैंक आफ इंडिया ने अब कम्पनीज को कर्जा देना इसलिये बन्द कर दिया है कि वह उसकी लिमिट के बाहर हो गया है और कम्पनीज का रुपया इधर उधर कर दिया गया है ?

श्री रऊफ जाफरी—मुझे फिर यह अर्ज करना पड़ेगा कि कोई विश्वस्त सूचना नहीं है, इसलिये वह यहां नहीं रखी जा सकती। फिर शार्ट नोटिस क्वेश्चन के द्वारा एक दिन के अन्दर यह तमाम तफसीलात इकट्ठी भी नहीं की जा सकतीं, इसलिए कोई सूचना नहीं दी जा सकती।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—कानपुर काटन मिल्स जो २ महीने से बन्द है क्या उसकी कोई रिपोर्ट टेक्सटाइल कमिश्नर के द्वारा सरकार के पास आई है ?

श्री रऊफ जाफरी—जैसा कि जवाब में कहा गया सरकार को यह मालूम है कि २ दिसम्बर से वहां बैठकी हो गई और आथराइज्ड कंट्रोलर के लिये केंद्रीय सरकार को लिखा गया।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार बतलायेगी कि उसके पास जो सूचना है वह किनके जरिये से प्राप्त हुई ?

श्री रऊफ जाफरी—अगर कोई ठिकाने के जरिये से मिली होती तो वह विश्वस्त होती। अखबारों के जरिये या इधर उधर से जल्दी में सूचना इकट्ठी नहीं की जा सकी।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि विश्वस्त सूचना प्राप्त करने के लिये सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम उठाया है, यदि हां, तो क्या ?

श्री रऊफ जाफरी—मैंने अर्ज किया जहां तक इस सवाल के जवाब का ताल्लुक है उसके लिये तो वक्त की कमी थी। बाकी रहा यह कि वह बन्द हो गई और वहां की हालत को देखते हुए श्रम मंत्री का बयान हो चुका है कि मिल में क्यों बैठकी हुई। माननीय सदस्यों को याद होगा। उसके बाद आथराइज्ड कंट्रोलर के लिये लिखा गया। उसका जवाब आया कि जो हानि हो रही है उसको ध्यान में रखते हुये केंद्रीय सरकार यह मुनासिब नहीं समझती कि वहां आथराइज्ड कंट्रोलर मुकर्रर किया जाय।

श्री झारखंडेराय—श्री मूंधड़ा ने जो शेयर खरीदे हैं वे कितने हैं और इन मिलों का रिजर्व फंड कितना रहता है?

श्री अध्यक्ष—विश्वस्त सूचना नहीं है, यह भी उसी उत्तर में आ जाता है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—आपकी इजाजत से एक चीज अर्ज करना चाहता हूं कि जो बृटिश इंडिया कारपोरेशन है, जिसकी सब मिलें थी, उसके सेक्रेटरी ट्रस्टी का एक पत्र आया है। शायद इस सदन में माननीय राजनारायण जी ने किसी दिन अपनी स्पीच में कहा था कि इसका रिजर्व फंड किसी और जगह पर भेज दिया गया है। मेरे सामने की यह बात नहीं है। उन्होंने लिखा कि असेम्बली में ऐसा कहा गया है और यह बात बिल्कुल गलत है और हमारे यहां रिजर्व फंड का पैसा कहीं नहीं दिया गया है। उन्होंने शायद प्वाइनियर में यह खबर पढ़ी थी प्वाइनियर अखबार को उन्होंने एक कांट्रेडिक्शन भेजा और उसकी प्रति मेरे पास भेज दी है। मैं इस बात की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। उनका पत्र मेरे पास आया है और उन्होंने कहा है कि यह खबर गलत है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को विश्वस्त सूचना है कि कानपुर काटन मिल्स ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन की एक यूनिट है और वह कंट्रोलिंग यूनिट श्री हरिदास मूंधड़ा, कलकत्ता वालों की है?

श्री रऊफ जाफरी—मालूम होता है कि माननीय सदस्य को खुद इसकी सूचना है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, मैं तो उनसे सवाल पूछ रहा हूं।

श्री रऊफ जाफरी—मेरा कहना यह है कि इसकी इतनी चर्चा रही है कि मालूम होता है कि मूंधड़ा का उसमें कंट्रोल है और माननीय सदस्य को भी मालूम है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसने आथराइज्ड कंट्रोलर के लिये किस तिथि को लिखा था?

श्री रऊफ जाफरी—पहली दफा २८ अप्रैल को लिखा जब यह खबर मिली थी, उसके बाद १० दिसम्बर को।

श्री राजनारायण—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १० दिसम्बर को आथराइज्ड कंट्रोलर नियुक्त करने की बात जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने लिखी तो आथराइज्ड कंट्रोलर क्यों नहीं नियुक्त किया गया, इसकी जानकारी सरकार ने की?

श्री रऊफ जाफरी—इसका जवाब तो मैं दे चुका कि १० दिसम्बर को लिखा गया। १८ दिसम्बर को जवाब भी आ गया कि इस वक्त जो फाइनेंशियल हालत है और जो नुक्सान हो रहा है उसको देखते हुये केंद्रीय सरकार मुनासिब नहीं समझती कि वहां आथराइज्ड कंट्रोलर मुकर्रर करे।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि सूती मिल मजदूर सभा, कानपुर के प्रतिनिधियों ने सरकार को बतलाया था कि मूंधड़ा ने वहां के कैपिटल को दूसरी जगह बम्बई में लगा दिया है?

श्री रऊफ जाफरी—मुझे तो इसकी इत्तला है नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को जानकारी है कि श्री हरिदास मूंधड़ा ने ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन से संबंधित शुगर मिल्स के शेयरों को खरीद लिया है और उसके बाद २४ सितम्बर को लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन को इसके शेयर्स बेंच दिये।

श्री रऊफ जाफरी—इसके लिए नोटिस की जरूरत है।

बाराबंकी जिले में हत्यायों में बढ़ती

**१४—श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार बताने ही कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले में १५ जनवरी, सन् १९५८ और ५ फरवरी, सन् १९५८ ही के बीच कितनी हत्यायें हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस अवधि में ६ हत्यायें हुईं ?

श्री जंगबहादुर वर्मा—जिन लोगों की हत्यायें हुई हैं उनके नाम क्या है और किस किस गांव के रहने वाले हैं ?.

श्री कमलापति त्रिपाठी—कालीदीन अहीर, शरफाबाद, थाना कोतवाली, मुहम्मदजान बेहना, गांव जकरिया, थाना सफदरगंज, सुन्दरलाल कुर्मी, गांव करीलो, थाना कोतवाली, जितेंद्रनाथ कुरमी, गांव खपरवा, थाना फतेहपुर, अहसान भट्टी, गांव रायपुर, थाना मवई ।

श्री जंगबहादुर वर्मा—इतने कत्ल होने पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इनमें से चार मुकदमों का चालान किया जा चुका है, तफतीश हो चुकी है और १९ आदमी गिरफ्तार किये जा चुके हैं। बाकी में अभी जांच जारी है ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो बाराबंकी जिले में हत्यायें हुई हैं वह कितने थानों के अन्तर्गत हुई हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—वह तो मैंने बतलाया कोतवाली, सफदरगंज, फतेहपुर, मवई और कुर्सी ।

श्री उग्रसेन—क्या मंत्री जी बाराबंकी जिले में हत्याओं की वृद्धि को देखते हुये जनजीवन की रक्षा के लिये कोई विशेष प्रबन्ध करने जा रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जो आवश्यकता होती है वह व्यवस्था की जाती है।

श्री राजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कत्ल के मामलों में कितने आदमी गिरफ्तार किये जा चुके हैं ?

श्री अध्यक्ष—वह तो बतला दिये हैं ।

श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या सरकार बाराबंकी जिले में जो पुराने जमींदारों, गुंडों और पुलिस का गुट बना हुआ है, उसको तोड़ने की कृपा करेगी ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस प्रकार के गुट की कोई सूचना मुझे नहीं है ।

मोदीनगर मजदूर आन्दोलन में गिरफ्तार श्री चन्द्रशेखर एवं श्री ओमप्रकाश के हैबियस कार्पस पर हाई कोर्ट से सरकार को कथित चेतावनी

**१५—श्री गौरीशंकरराय (जिला बलिया)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मोदीनगर मजदूर आन्दोलन के सम्बन्ध में गिरफ्तार प्रदेशीय प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के मंत्री एवं संयुक्त मंत्री श्री चन्द्रशेखर एवं श्री ओम प्रकाश की ओर से उच्च न्यायालय इलाहाबाद में हैबियस कार्पस का आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने पर दो न्यायाधीशों, सर्वश्री जेम्स एवं तकरू ने गत ४ फरवरी को इसी हैबियस कार्पस के सम्बन्ध में प्रादेशिक सरकार एवं उसके उच्चाधिकारियों को किसी प्रकार की कोई चेतावनी दी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सरकार के पास उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रति अभी तक नहीं आई है, अतः सरकार को इसकी कोई सूचना नहीं है।

**१६—श्री गौरीशंकरराय—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कौन कार्यवाही की जा रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—प्रश्न नहीं उठता।

श्री गौरीशंकरराय—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ऐडवोकेट जनरल या किसी दूसरे सूत्र से सरकार को निर्णय का पता है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अभी फैसले की कोई नकल नहीं आई है।

श्री गौरीशंकरराय—श्रीमन्, मैंने प्रश्न पूछा था कि किसी दूसरे सूत्र से सरकार को निर्णय की जानकारी है। अब मैं पुनः जानना चाहूंगा कि सरकारी वकील या किसी दूसरे सूत्र से सरकार को निर्णय का पता है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार के पास हाई कोर्ट के इंटर लोकूटरी आर्डर्स की नकल आया करती है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसे मामलों में जिनमें सरकार की ओर से पैरवी की गई थी और दरख्वास्त पड़ी हुई है, उसका विरोध किया गया था तो जो फैसला हुआ होगा उसकी नकल आई होगी।

श्री रामायणराय—उसकी नकल के आने की कब तक सम्भावना है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—नियमानुसार आ जाती है। तारीख तो मैं नहीं बतला सकता।

तारांकित प्रश्न

*१-३—श्री मदन पांडेय—[२८ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

आजमगढ़ जिले में रसूलपुर अस्पताल की सरकारी इमारत न होना

*४—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार को ज्ञात है कि आजमगढ़ जिले के अन्तर्गत रसूलपुर, तहसील घोसी में एक सरकारी अस्पताल १९५० से चल रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह इस अस्पताल के भवन निर्माण के निमित्त क्या कार्यवाही कर रही है?

स्वास्थ्य उपमंत्री (डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी)—जी हां। इस चिकित्सालय के भवन निर्माण का प्रश्न द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विचाराधीन है।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विचाराधीन योजना पर कब तक निर्णय हो जायगा और अस्पताल का भवन निर्माण कब से शुरू होगा?

श्री हुकुमसिंह विसेन—गोनेश्वरप्रसाद नारायण सिंह ने ५,००० रुपया देने का वायदा किया था और जमीन भी मुफ्त देने का वायदा किया था। उन्होंने केवल ३,००० रुपया दिया है: कुछ ऐग्रीकल्चरल कम्पेंसेशनल बांड्स दिये हैं, उनसे २,००० रुपये की बकाया की पूर्ति नहीं होती है। जब वह अपना वायदा पूरा कर देंगे काम शुरू हो जायगा।

*५—श्री मुक्तिनाथ राय—[सोलहवें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

बढ़रांव प्रसार खंड में अस्पताल खोलने की स्वीकृति

*६—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार को ज्ञात है कि बढ़रांव प्रसार खंड (आजमगढ़) से बढ़रांव में एक एलोपैथिक अस्पताल बनाने की मांग सरकार के पास आई है? यदि हां, तो इस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—जी हां। बढ़रांव (बदरांव) में चालू वर्ष में एक एलोपैथिक चिकित्सालय खोले जाने की स्वीकृति दे दी गई है। यह चिकित्सालय स्वास्थ्य केन्द्र का एक अंग होगा।

खीरी जिले के दो अस्पतालों में डाक्टर का न होना

*७—श्री जगन्नाथप्रसाद (जिला खीरी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि खीरी जिले में किन-किन अस्पतालों में तीन मास से अधिक समय से डाक्टर नहीं हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—खीरी जिले के निम्नलिखित अस्पतालों में तीन मास से अधिक समय से डाक्टर नहीं हैं:

(१) रमिया विहार
(२) जनाना अस्पताल निघासन।

सरकारी प्रबंध में लिये जाने वाले जिला बोर्डों के अस्पताल

*८—श्री जगन्नाथप्रसाद (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि १९५७-५८ में जिला बोर्ड के किन-किन अस्पतालों को वह अपने प्रबन्ध के अन्तर्गत लेना चाहती है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सरकार १९५७-५८ में चार अस्पतालों का प्रान्तीयकरण कर रही है जिनके नाम निम्नलिखित हैं:—

(१) कैन्टूनमेंट अस्पताल, लैन्सडाउन, जिला गढ़वाल।
(२) जिला बोर्ड अस्पताल, नगीना, जिला बिजनौर।
(३) जिला बोर्ड अस्पताल, महोवा, जिला हमीरपुर।
(४) जिला बोर्ड अस्पताल, मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर।

शाहजहांपुर गन्ना विकास समिति लिमिटेड के कर्मचारियों को वेतन न मिलने की शिकायत

*९—श्री शिवराजबहादुर (जिला बरेली)—क्या यह सत्य है कि शाहजहांपुर गन्ना विकास समिति लिमिटेड ने अपने सीजनल कर्मचारियों को अभी तक माह जून, १९५७ का वेतन नहीं दिया है?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी नहीं।

*१०—श्री शिवराजबहादुर—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त यूनियन के सीजनल कर्मचारियों की नियुक्ति किस मास में हुई थी तथा उनकी नौकरी कब terminate की गई?

श्री बलदेवसिंह आर्य—सीजनल कर्मचारियों की नियुक्ति नवम्बर, १९५६ तथा फरवरी व मार्च, १९५७ में हुई थी। कुछ कर्मचारियों की नौकरी जुलाई तथा कुछ की अक्तूबर सन् १९५७ में समाप्त की गई।

*११—श्री शिवराजबहादुर—यदि यह सही है, तो गन्ना विकास संघ, शाहजहांपुर इन कर्मचारियों के वेतन भुगतान का क्या प्रबन्ध कर रहा है?

श्री बलदेवसिंह आर्य--प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री शिवराजबहादुर--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन कर्मचारियों को माह जून का वेतन कब दिया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री शिवराजबहादुर--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन कर्मचारियों की कितनी कितनी अवधि के लिये नियुक्ति की गयी थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सीजन के लिये मुख्तलिफ वक्त के लिये नियुक्ति होती है, ऐसा मेरा खयाल है ।

श्री शिवराजबहादुर--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इनकी पूरी तनख्वाह का भुगतान कर दिया गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इसके लिये तो मुझे कोई पता हो नहीं सकता है । तनख्वाह यूनियन देती है ।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई और अक्तूबर, १९५७ में जो उनकी नौकरी समाप्त की गई उसका क्या कारण था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सम्भवतः सीजन खत्म हो गया होगा ।

देवपुरी, पुरुषार्थी कालोनी, मेरठ के निवासियों की क्वार्टरों के सम्बन्ध में शिकायत

*१२--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार के पास देवपुरी (पुरुषार्थी कालोनी), मेरठ के निवासियों को कोई शिकायत बाबत उनके क्वार्टरों के सन् ५७ में आई है ? अगर हां, तो सरकार ने उन शिकायतों को दूर करने की क्या कार्यवाही की ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जी हां, परन्तु देवपुरी (पुरुषार्थी कालोनी) मेरठ के क्वार्टर "विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) अधिनियम १९५४" के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निवासी विस्थापित व्यक्तियों को बेचे गये हैं तथा इन क्वार्टरों का मूल्य इन विस्थापित व्यक्तियों और निर्माणकर्ता ने मिल कर निर्धारित किया है। इन क्वार्टरों की बिक्री से राज्य सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है।

*१३--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--इस शिकायत में देवपुरी कालोनी के निवासियों ने क्वार्टर बनाने वालों और जिला अधिकारियों के खिलाफ जो संगीन आरोप किये हैं उनकी कोई जांच कराई गई ? उस जांच का क्या नतीजा हुआ ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल-- क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्वार्टरों के निर्माण से राज्य सरकार का सम्बन्ध है या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जब बने थे तब तो सम्बन्ध था।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्वार्टरों के निर्माण के सम्बन्ध में जो शिकायतें आयी हैं और जिले के अधिकारियों के सम्बन्ध में जो संगीन आरोपों की शिकायतें आयी हैं, वे क्या हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जहां तक मेरी सूचना है मेरे पास जिला अधिकारियों के खिलाफ कोई शिकायत नहीं आयी है ।

आजमगढ़ सदर अस्पताल का नवीन भवन बनवाने का विचार

*१४—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या आजमगढ़ सदर अस्पताल के भवन का पुनः निर्माण नगर से दूर बलरामपुर गांव में किया जाने वाला है? यदि हां, तो क्यों?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—जी हां। दोहरीघाट रोड पर बलरामपुर गांव के निकट हर्र की चुंगी पर एक नये अपस्ताल बनाने की योजना विचाराधीन है। इस योजना का इसलिये विचार हो रहा है क्योंकि वर्तमान अस्पताल का भवन बाढ़ की क्षति के कारण असन्तोषप्रद बताया जाता था।

*१५—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुल कितनी भूमि अस्पताल के भवन निर्माण के लिये ली जाने वाली है तथा पुराना भवन किस काम में लाया जायेगा?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—नये भवन के लिये लगभग २० एकड़ भूमि की आवश्यकता पड़ेगी। पुराने अस्पताल के भवन के प्रयोग का मामला नये भवन के बनवाने की योजना के पूर्ण हो जाने पर विचार किया जायगा।

*१६—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नये भवन के निर्माण की योजना की रूपरेखा क्या है?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—नये अस्पताल के भवन की रूपरेखा अभी तैयार नहीं हुई है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो २० एकड़ जमीन ली गई इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से अभी तक क्या कार्यवाही की जा चुकी है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय कृषि मंत्री को जानकारी है कि जो पुराना अस्पताल है उसकी छत तोड़ कर फिर से बनाई जा रही है?

श्री हुकुमसिंह विसन—कौन हिस्सा तोड़ा गया है यह नहीं बतला सकता। मरम्मत हो रही है।

*१७—श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—[श्रम मंत्री की प्रार्थना पर २१ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*१८-१९—श्री त्रिलोकीसिंह—[२१ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*२०-२१—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—[२८ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*२१(क)—डाक्टर तारादेवी (जिला जौनपुर)—[२१ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*२२-२३—श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)—[२१ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

इटावा जिले में प्रोफेशनल सार्टिफिकेट के लिये मछुओं के प्रार्थना-पत्र

*२४—श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले के कितने मछुओं ने प्रोफेशनल सार्टीफिकेट प्राप्त करने के लिये जिलाधीश इटावा के यहां सन् १९५७ में प्रार्थना-पत्र दिये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिला नियोजन अधिकारी इटावा के दफ्तर में सन् १९५७ में मछुओं से १७ प्रार्थना-पत्र प्रोफेशनल सार्टीफिकेट (Professional Certificate) के लिये प्राप्त हुये थे जिनका ब्योरा निम्नलिखित है:

१—तहसील इटावा	..	..	१२
२—तहसील विधूना	..	..	५

इनमें से एक प्रार्थना पत्र खारिज हो चुका है और बाकी १६ विचाराधीन हैं ।

*२५—श्रीमती बेनीबाई (जिला झांसी)—[२८ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*२६-२७—श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)—[२८ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२८-२९—श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—[२१ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*३०—श्री टीकाराम पुजारी—[हटा दिया गया।]

*३१-३२—श्री गनेलीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)—[तेरहवें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या ४-५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

बलिया जिले में रसड़ा जनाना अस्पताल की इमारत न होना

*३३—श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला बलिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी जिला बलिया के अन्तर्गत रसड़ा कस्बे में सरकार द्वारा जो जनाना अस्पताल खोलना स्वीकृत किया गया था उसमें अब तक क्या प्रगति हुई है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—रसड़ा जिला बलिया में जनाना अस्पताल ४ सितम्बर, १९५७ ई० से कार्य कर रहा है ।

श्री गंगाप्रसादसिंह—क्या यह सही है कि रसड़ा में मरदाना अस्पताल में जनाना अस्पताल भी काम कर रहा है, यदि हां, तो वह जमीन जो जनाना अस्पताल के लिये ली गई है उसमें बिल्डिंग का निर्माण कब से आरम्भ होगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अभी यह प्रश्न विचाराधीन है । बजट के पास होने पर निश्चय किया जायगा ।

राज्य में क्षय-ग्रस्त व्यक्तियों के सम्बन्ध में जानकारी

*३४—श्री गंगाप्रसादसिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पृथक-पृथक सन् १९५५, १९५६ और १९५७ में इस प्रदेश की जन-संख्या के कितने प्रतिशत व्यक्ति क्षय-रोग के शिकार रहे हैं तथा क्षय-ग्रस्त व्यक्तियों में कितना प्रतिशत इस रोग से मुक्त हो पाया है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—इस प्रकार की सूचना कार्यालय में संग्रह नहीं की जाती है ।

श्री गंगाप्रसादसिंह—क्या माननीय स्वास्थ्य मन्त्री महोदय को स्मरण है कि कई अवसरों पर इस आदरणीय सदन के सम्मुख उन्होंने अपने भाषण में और अनेक प्रश्नों द्वारा यह कहा है कि टी० बी० का रोग कम हुआ है और मृत्यु कम हुई हैं, यदि हां, तो किस-किस आधार पर उन्होंने इसको कहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—याद नहीं है कि कब-कब कहा है। प्रयास किया जाता है कि फैलने न दें और उसमें कमी हो।

श्री उग्रसेन—जब प्रदेश में भेड़ और बकरियों की संख्या की गिनती करली जाती है तो क्षय से पीड़ित लोगों की गिनती कराने की व्यवस्था सरकार करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह दिक्कततलब बात है।

देवरिया सिविल अस्पताल को अधिक दवायें देने तथा बरहल व सलेमपुर अस्पतालों में मरीजों के वार्ड बनवाने की प्रार्थना

*३५—श्री उग्रसेन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरहज, सलेमपुर (देवरिया) के अस्पतालों में मरीजों के वार्ड्स बनवाने के लिये कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह कब तक पूरी होगी ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग ही नहीं उठता।

*३६—श्री उग्रसेन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५६-५७ में सिविल अस्पताल देवरिया में कितने रुपये की दवाइयां दी गई ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—११,८८४ रु० की दी गई।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बरहज और सलेमपुर क्षेत्र की जनता की मांग को देखते हुए यह बताने की कृपा करेंगे कि वहां अस्तपाल में मरीजों का वार्ड क्यों नहीं बनाया जा रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—धनाभाव ही इसका मुख्य कारण है।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी के पास अस्पताल ऐडवायजरी कमेटी, देवरिया से इस बात की मांग आई है कि जो धन सदर अस्पताल देवरिया में दवाइयों के लिये स्वीकृत है वह बहुत ही कम है और उसे बढ़ाया जाना चाहिये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जहां तक सम्भव होता है सब जगह दवाइयों की तादाद को बढ़ाने की कोशिश की जाती है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—देवरिया सदर अस्पताल का भवन बड़ा है और मरीजों की संख्या ज्यादा है और ८० से १०० तक भर्ती होते हैं, क्या सरकार वहां ६० की जगह ८० बेड करने का विचार कर रही है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—अभी कोई ऐसा विचार नहीं है।

सहकारी बीज गोदामों से बीज के पूरे दाम न वसूल होना

*३७—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि १९४८ से १ अगस्त, १९५७ तक किस-किस गल्ले का कितना-कितना बीज सरकारी कृषि बीज गोदामों से सहकारी बीज गोदामों को उधार या नगद दिया गया ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—वांच्छित सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४८९ पर)

*३८—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उधार दिये गये बीज की अदायगी की क्या शर्तें हैं और अब तक कितना भुगतान हुआ है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—बीज निम्नलिखित शर्तों पर उधार दिया गया :

१—(क) सारा बीज जो दिया गया वह प्रान्तीय सहकारी संगठन पर एडवान्स (advance) समझा जाय।

(ख) उस पर सूद कुछ न लिया जाय।

२—अब तक २, ८६, ५५, ६५१ रुपये की कीमत में से २३, २३, ८२७ रुपये भुगतान हो गये हैं।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इसका क्या कारण है कि लगभग २ करोड़ ८० लाख रुपये का गल्ला सन् १९४८ में देने पर सहकारी संघ से अब तक लगभग २० लाख रुपया ही वसूल हुआ है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—किसान गल्ला ले जाकर देने में बहुत गुरेज करते हैं, देने में दिक्कत पैदा करते हैं।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—यह ज्यादा गल्ला किसानों को दिया गया या कोआपरेटिव फैडरेशन को ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—फैडरेशन को दिया, उसने किसानों को बांटा।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह—जो स्टाक आजकल मौजूद है उसका मूल्य लगभग क्या वही होता है जो रकम बाकी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैं नहीं कह सकता कि वही मूल्य है जो पहले था।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—क्या यह सही है कि जिन कोआपरेटिव सोसाइटीज को यह गल्ला दिया गया उन्होंने मुनाफा कमाया, तो इस गल्ले को देने में क्यों ढिलाई की गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उनको हिदायत कर दी गई है कि ईजी किस्तों में रुपया दें, सम्भवतः अदा करेंगे।

बांदा जिले में आदिवासियों की शिक्षा की व्यवस्था के लिये प्रार्थना

*३९—श्री जगपतिसिंह (जिला बांदा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष १९५७-५८ में बांदा जिले में आदिवासियों की शिक्षा और उन्हें ऊंचा उठाने के लिये वह कितना धन व्यय करने का विचार कर रही है ?

हरिजन कल्याण मंत्री के सभा सचिव (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—मामला विचाराधीन है।

श्री जगपतिसिंह—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उसके विचाराधीन होने के कारण क्या है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १० लाख रुपया इसके लिये रखा गया था। जिलों से यह पूछा जा रहा है, और जब सुझाव आ जावेंगे तो यह निश्चय कर दिया जायगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५७ और १९५८ के लिये इस सिलसिले में क्या प्रदेश में कहीं पर भी कुछ रुपया व्यय हुआ ?

श्री अध्यक्ष---यह बाँदा का सवाल है ।

श्री जगपतिसिंह---क्या कमी को देखते हुए सरकार इसे बढ़ाने का विचार करेगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---हर जिले से सुझाव मांगे गये हैं । जब वे आ जावेंगे, इस पर विचार होगा और काम प्रारम्भ होगा ।

श्रीमती सियादुलारी (जिला बांदा)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किस समय तक यह विचार हो जायगा ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---बहुत शीघ्र ।

बांदा जिले के करवी मऊ क्षेत्र में हरिजन छात्रावास तथा पिछड़ी जाति व हरिजन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

*४०---श्री जगपतिसिंह---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि गत वर्ष ५ हजार रुपये कर्वी, जिला बांदा में जिस हरिजन बोर्डिंग हाउस के लिये मंजूर किया गया था वह कब तक खुल जायेगा और उसकी इमारत किस जगह बनाने का विचार है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---उल्लिखित छात्रावास का निर्माण अब तक नहीं हुआ है तथा मामला अभी विचाराधीन है ।

*४१---श्री जगपतिसिंह---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बांदा जिले के कर्वी मऊ क्षेत्र में पिछड़ी जातियों तथा हरिजनों को कितने वजीफे गत वर्ष में दिये गये तथा चालू वर्ष में वह कितने देने का विचार कर रही है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गयी है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४९० पर)

श्रीमती सियादुलारी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि छात्रावास का निर्माण कब तक हो जायगा ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---सन् १९५५-५६ में ५,००० रुपया इसके लिये श्री दर्शनरामजी को दिया गया था । किसी कारण से जमीन उपलब्ध नहीं हो सकी और वह बन नहीं सका । अब जिला प्लानिंग कमेटी को लिखा गया है कि इसका प्रबन्ध शीघ्र से शीघ्र कर दे ।

श्रीमती सियादुलारी---क्या माननीय मंत्री जी इस रुपये से कर्वी क्षेत्र के राजापुर में छात्रावास निर्माण कराने की कृपा करेंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---अभी तक यह रुपया एक संस्था को दिया गया था । ५,००० रुपये में छात्रावास नहीं बन सकता । इसलिये प्लानिंग कमेटी को प्रबन्ध करने के लिये लिखा गया ।

लखनऊ स्थित आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला में औषधि उत्पादन तथा दवे समिति के सम्बन्ध में जानकारी

*४२---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ स्थित आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला कब बनी थी ? उसने औषधि निर्माण का काम कब से शुरू किया और तब से ३१ मार्च, १९५७ तक कितनी, (अ) आयुर्वेदिक और (ब) यूनानी औषधियां बनाईं तथा क्या-क्या औषधियाँ बनाईं ?

*४३---क्या सरकार यह बतायेगी कि वह भारत सरकार द्वारा मनोनीत दवे समिति की किन-किन सिफारिशों पर विचार कर चुकी है तथा उनके सम्बन्ध में उसने क्या निर्णय किया है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—आवश्यक सामग्री एकत्रित की जा रही है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रश्न में पूछा गया है कि यह सरकार भारत सरकार द्वारा मनोनीत दव समिति की किन-किन सिफारिशों पर विचार कर चुकी है तथा उनके संबंध में उसने क्या निर्णय किया है ? इसकी क्या सूचना एकत्रित की जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—संबंधित सूचना एकत्रित की जा रही है, दोनों प्रश्नों की साथ साथ ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—प्रश्न नं० ४३, दूसरे से बिल्कुल भिन्न है और उसकी सूचना मिले ३ महीने हो गये । ३ महीने में सरकार ने किन-किन सिफारिशों पर विचार किया है और क्या निर्णय किया है, क्या इसकी सूचना सरकार को नहीं मिली है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—हमने यह मुनासिब समझा कि दोनों सवालों का जवाब एक साथ दें ।

देवरिया हरिजन कल्याण समिति द्वारा हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति

*४४—श्री उग्रसेन—क्या हरिजन कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७-५८ के लिये देवरिया हरिजन कल्याण समिति द्वारा कितने हरिजन छात्रों को कितना धन छात्रवृत्ति के रूप में दिया गया ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—अब तक २२५ हरिजन छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं, जिन पर २८,३४४ रुपया इस वर्ष व्यय होगा ।

*४५—श्री उग्रसेन—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि किन विशेष योग्यताओं और आधार पर हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—उनकी योग्यता, निर्धनता और जिला हरिजन कल्याण उप-समिति के परामर्श के आधार पर ।

*४६—श्री उग्रसेन—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हरिजन समिति देवरिया का गठन किन आधारों पर किया गया है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—अन्य सभी जिलों की भांति शासकीय आदेश के अनुसार ।

श्री उग्रसेन—मेरा प्रश्न है कि १९५७-५८ फाइनेंशियल ईयर में देवरिया हरिजन कल्याण समिति द्वारा कितने हरिजन छात्रों को कितना धन छात्रवृत्ति के रूप में दिया गया ? उत्तर है कि अभी तक इतने छात्रों को छात्रवृत्तियां दी गयीं, यह बिल्कुल गोलमोल है ।

श्री अध्यक्ष—गोलमोल तो नहीं है । १९५७-५८ का वित्तीय वर्ष ३१ मार्च को खत्म होगा, इसलिये वह "अब तक" ही कह सकते हैं ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन छात्रों को छत्रवृत्तियां दी गयी थीं, उनमें अधिक से अधिक छात्रवृत्ति कितनी दी गयी और कम से कम कितनी दी गयी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—अधिक से अधिक २० रुपया और कम से कम १० रुपया दी गयी ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि निर्धनता के लिये हरिजन कल्याण समिति सिफारिश करती है या किसी दूसरे सार्टीफिकेट की आवश्यकता होती है ?

नोटः—तारांकित प्रश्न संख्या ४६ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---मैंने जैसा निवेदन किया, हरिजन कल्याण समिति सिफारिश करती है। उनसे यह कहा गया है कि योग्यता के आधार पर सिफारिश करें।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इन विद्यार्थियों में हाई स्कूल परीक्षा वाले कितने विद्यार्थी हैं और उनको कितनी छात्र-वृत्ति दी गयी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---कक्षा ९ में ३९ और कक्षा १० में ३९।

श्री उग्रसेन---माननीय मंत्री जी ने बताया कि २८,३४३ रु० व्यय होगा। मेरा प्रश्न यह है कि उसमें से कितना व्यय हो गया है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री उग्रसेन---अध्यक्ष महोदय, यही मेरा सवाल था जिसको माननीय मंत्री जी गोल कर गये।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या यह सही है कि जो रुपया मंजूर किया गया है उसमें से हरिजन क्षेत्र में बिलकुल नहीं दिया गया ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---यह बात सही नहीं है।

हरिजन कल्याण अधिकारियों के अधिकार

*४७---श्री मुरलीधर कुरील---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि प्रत्येक जिले में जो हरिजन कल्याण अधिकारी नियुक्त किये गये हैं उन्हें किस प्रकार के अधिकार दिये गये हैं ?

हरिजन कल्याण राज्य मंत्री (श्री मंगलाप्रसाद)---मामला विचाराधीन है।

मैनपुरी जिले में अस्पृश्यता निवारणार्थ कथित अनुदान तथा मामले

*४८---श्री रामदीन (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मैनपुरी के प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, इन्टर कालेज तथा डिगरी कालेजों में छुआछूत निवारण के संबंध में कितना-कितना धन प्रत्येक विद्यालय में १९५६-५७ में सरकार ने अनुदान में दिया और जो धन सरकार ने दिया है वह कुल खर्च किया गया या कुछ बाकी है ?

श्री मंगलाप्रसाद---१९५६-५७ में इस हेतु कोई अनुदान नहीं दिया गया था।

*४९---श्री रामदीन---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, १९५६ से अगस्त, १९५७ तक मैनपुरी जिले के प्रत्येक थाने में अलग-अलग अस्पृश्यता निवारण अधिनियम के अन्तर्गत कितने मामले दर्ज हुये ? उनमें से कितने अदालत भेजे गये और कितने छोड़े गये ?

श्री मंगलाप्रसाद---उपलब्ध सूचना के अनुसार किसी थाने में कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। अतः न कोई अदालत भेजा गया न कोई छोड़ा गया।

पीलीभीत जिले में स्टाकमैन

*५०---श्री मुनीन्द्रपालसिंह (जिला पीलीभीत)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पीलीभीत जिले में इस समय कितने स्टाक मैन कार्य कर रहे हैं तथा पिछले वर्ष कितने थे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---पीलीभीत जिले में इस समय ८ स्टाकमैन कार्य कर रहे हैं और पिछले वर्ष १० थे।

कृषि विभाग के अन्तर्गत बीज भंडारों के सुपरवाइजर

*५१---श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कृषि विभाग के बीज भंडारों में कुल कितने सुपरवाइजर हैं तथा उनमें से कितने स्थायी एवं कितने अस्थायी हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इस प्रदेश में कृषि विभाग में ३०२ बीज भंडार सुपरवाइजर हैं जिनमें से २२५ स्थायी हैं और बाकी अस्थायी हैं।

फर्रुखाबाद जिले में कायमगंज अस्पताल को सरकारी प्रबंध में लेने पर विचार

*५२---श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)---क्या सरकार जिला फर्रुखाबाद में कायमगंज के अस्पताल को राज्य सरकार के अधीन करना चाहती है ? यदि हां, तो कब ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह प्रश्न अभी विचाराधीन है।

*५३-५४---श्री सुल्तान आलम खां---[२१ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

लखीमपुर जिले की गन्ना सोसाइटियां

*५५---श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखीमपुर जिले में कितनी गन्ना सोसाइटियां हैं और उनकी ओर से सरकार के पास कितना-कितना रुपया अलग-अलग जमा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---लखीमपुर खीरी जिले में निम्नलिखित गन्ना सोसाइटियां हैं---

१---गन्ना सहकारी समिति, गोलागोकरननाथ।
२---गन्ना सहकारी समिति, पलिया मीरा।
३---गन्ना सहकारी समिति, फरधान।
४---गन्ना सहकारी समिति, अरनीखाना।
५---गन्ना सहकारी समिति, ऐरा
६---गन्ना सहकारी समिति, जंगबहादुरगंज।
७---केन एसोसियेशन, लखीमपुर खीरी।

गन्ना सोसाइटियों का रुपया सरकार के पास जमा नहीं होता।

*५६---श्री बंशीधर शुक्ल---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यह रिजर्व रुपया जो प्रतिवर्ष सरकार के यहां जमा होता रहता है उसको वह किस खर्च में लगायेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---प्रश्न ही नहीं उठता।

*५७---श्री बंशीधर शुक्ल---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या जो रुपया जिस गन्ना सोसाइटी से आता है उसी सोसाइटी के क्षेत्र में खर्च किया जायेगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---प्रश्न ही नहीं उठता।

*५८-५९---श्री भजनलाल (जिला इटावा)---[२८ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*६०-६१---श्री मूलचन्द (जिला सीतापुर)---[२८ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

पीलीभीत में इन्फ्लुएंजा तथा रानीखेत सिविल अस्पताल में कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनवाने की योजना

*६२---श्री गोविंदसिंह विष्ट---क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पीलीभीत नगर में इंफ्लुएन्जा से १९५७ में कितने लोग पीड़ित हुये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---पीलीभीत नगर में इंफ्लूएंजा से सन् १९५७ में ५,०२२ व्यक्ति पीड़ित हुये।

*६३---श्री गोविंदसिंह विष्ट---क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रानीखेत सिविल अस्पताल में डाक्टर, कम्पाउन्डर व नर्सों के क्वार्टर बनाने की योजना है ? यदि हां, तो वे कब तक बन जायेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी हां। निर्माण कार्य कब तक पूरा हो सकेगा, इसके संबंध में अभी नहीं कहा जा सकता है।

*६४---श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी (जिला आजमगढ़)---[२८ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*६५-६७---श्री झारखंडेराय---[२१ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*६८---श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---[२१ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*६९---श्री श्री कृष्ण गोयल (जिला बदायूं)---[२१ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

वाराणसी जिले में चौबेपुर, चोलापुर डिस्पेंसरी की इमारतें तथा सुल्तानीपुर की डिस्पेंसरी

*७०---श्री लोकनाथसिंह (जिला वाराणसी)---क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चौबेपुर, वाराणसी की सरकारी डिस्पेंसरी नये खरीदे गये भवन में चल रही है ? यदि नहीं, तो क्या अड़चन है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी नहीं। नये भवन में मरम्मत कराने के बाद डिस्पेंसरी जा सकेगी। अभी मरम्मत नहीं हो सकी है।

*७१---श्री लोकनाथसिंह---क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चोलापुर, जिला वाराणसी की सरकारी डिस्पेंसरी के लिये भवन निर्माण कब तक समाप्त हो जायेगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह बताना सम्भव नहीं है क्योंकि अभी निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ।

*७२---श्री लोकनाथसिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि परगना सुल्तानीपुर, जिला वाराणसी मे कोई सरकारी डिस्पेन्सरी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---जी हां। परगना सुलतानीपुर, जिला वाराणसी में एक राजकीय एलोपैथिक डिस्पेन्सरी चोलापुर में है।

लखनऊ जिले के गुसाईंगंज जनाना अस्पताल में डाक्टर न होने की शिकायत

*७३---श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)---क्या सरकार को मालूम है कि जिला लखनऊ के गुसाईंगंज के जनाना अस्पताल में कोई लेडी डाक्टर नहीं है ? यदि हां, तो क्या कारण है और कब तक प्रबन्ध किया जावेगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—गुसाईंगंज के जनाने अस्पताल में महिला डाक्टर हैं।

*७४-७५—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—[२१ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

अतारांकित प्रश्न

देहात के मेहतरों को मकान बनाने में सुविधा के लिये जिलाधिकारियों को आदेश

१—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि देहात के मेहतरों के रहने के लिये सरकार ने मकानों की क्या व्यवस्था की है ?

श्री मंगलाप्रसाद—गृह निर्माण तथा मरम्मत आदि के लिये हरिजनों को दी जाने वाली सभी सुविधायें देहात के मेहतरों को भी उपलब्ध हैं।

मेहतरों के लिये इस प्रकार की कोई योजना अलग से नहीं बनाई गई है। परन्तु इस सम्बन्ध में जिलाधिकारियों को मेहतरों का विशेष ध्यान रखने के लिये आदेश हैं।

गेहूं को रतुआ से बचाने तथा मथुरा जिले में फसल को हानि पहुंचाने वाले जानवरों को पकड़ने की प्रार्थना

२—श्री टीकाराम पुजारी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गेहूं में रतुआ, जौ में लखा, बाखर में चैपा जो किसान की फसल में लग जाता है उसमें किसान का काफी नुकसान होता है जिसके लिये सरकार ने कुछ उपाय करने के लिये सोचा है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां। गत दो वर्षों से गेहूं की विभिन्न जातियों में रतुआ लगने के सम्बन्ध में अनुसन्धान हो रहा है जिसके फलस्वरूप गेहूं की ऐसी किस्में ज्ञात हुई हैं जिनमें रतुआ बहुत कम लगता है। "जौ में लखा" तथा "बाखर में चैपा" प्रचलित नाम नहीं हैं और स्थानीय प्रतीत होते हैं। यदि रोगों या कीटों के प्रचलित नाम अथवा इन रोगों या कीट द्वारा ग्रसित पौधे निरीक्षण के लिये कीट विशेषज्ञ के पास कानपुर भेजे जायं तो उनके उपचार के विषय में सूचना दी जा सकती है।

३—श्री टीकाराम पुजारी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वह मथुरा जिले में जंगली तथा पहाड़ी जानवरों द्वारा किसानों की फसलों को प्रतिदिन होने वाले नुकसान को रोकने के सम्बन्ध में कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सन् १९५६-५७ से प्रान्त में जंगली पशुओं को पकड़ने के लिये योजना चालू है जिसमें मथुरा जिला भी शामिल है। इस योजना के अनुसार जंगली गायों के उत्पात को रोकने के निमित्त उन्हें पकड़ने तथा पालतू बनाने के लिये स्थानीय गांव सभाओं को प्रति पशु १५ रु० तक का सरकारी अनुदान दिया जाता है। मथुरा जिले में कोई पहाड़ी जानवर नहीं है और न उनके पकड़ने की आवश्यकता है।

राज्य में खाद्यान्नों का उत्पादन

४—श्री गंगाप्रसादसिंह—क्या सरकार इस सम्बन्ध में कि १९५४, १९५५ और १९५६ में निम्नांकित खाद्यान्नों का इस प्रदेश में क्या उत्पादन रहा है, निम्न रूप में एक तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

	गेहूं	चावल	जौ	चना	बाजरा	ज्वार
१९५४	..	..	..	..	..	..
१९५५	..	..	..	..	..	..
१९५६	..	..	..	..	..	..

श्री हुकुमसिंह विसेन—उत्तर संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४९१ पर)

बदायूं जिले में हेल्थ आफिस के गैंग कर्मचारियों को छुट्टी न मिलना

५—श्री टीकाराम (जिला बदायूं)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बदायूं में हेल्थ आफिस के गैंग के कर्मचारियों को हफ्ते में १ दिन की छुट्टी दी जाती है या नहीं ? यदि नहीं , तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं । चूंकि उनको दैनिक वेतन के हिसाब से काम पर रक्खा जाता है, अतः वे हफ्ते में एक दिन की छुट्टी पाने के अधिकारी नहीं हैं ।

सर्वश्री राजनारायण, उग्रसेन तथा रामस्वरूप वर्मा द्वारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—मुझे एक कामरोको प्रस्ताव श्री राज नारायण, श्री उग्रसेन व श्री रामस्वरूप वर्मा जी ने दिया है । चूंकि उसकी शब्दावली ठीक नहीं है इसलिये मैंने, उसकी शब्दावली को ठीक करके, कल देने को उनसे कहा है । इसलिये आज वह नहीं लिया जायगा ।

आजमगढ़ नगरपालिका द्वारा सरकार की स्वीकृति के बिना जल-कर लगाये जाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक कामरोको प्रस्ताव श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव का है, वह इस प्रकार है :—

"आजमगढ़ नगरपालिका द्वारा बिना सरकारी स्वीकृति के म्युनिसिपैलिटी ऐक्ट के प्राविधान के विरुद्ध अकस्मात् आजमगढ़ शहर के नागरिकों के ऊपर १० प्रतिशत के हिसाब से बिना उचित वेल्युएशन किये पक्षपातपूर्ण तथा मनमाने ढंग से जलकर लगा दिये जाने से तथा इस सम्बन्ध में जारी की हुई नोटिसों से एक गंभीर परिस्थिति आजमगढ़ शहर में उत्पन्न हो गयी है तथा नागरिकों में अत्याधिक क्षोभ तथा असंतोष है ।

इस आवश्यक, निश्चित तथा महत्वपूर्ण सार्वजनिक प्रश्न पर विचार करने के लिये सदन आज का अपना कार्य स्थगित करता है ।"

यह आजमगढ़ म्युनिसिपैलिटी के सम्बन्ध में है, इसलिये एक कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं हो सकता । अगर म्युनिसिपैलिटी कोई टैक्स लगाती है तो यह उसी स्थानीय संस्था की जिम्मेदारी है और उसके लिये ब्यौरे के प्रश्न भी वहीं पूछे जा सकते हैं ।

माल मंत्री द्वारा दिये गए एक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—माननीय गेंदासिंह का कामरोको प्रस्ताव इस प्रकार है :—

"माननीय राजस्व मंत्री ने कल और परसों सदन में जो कुछ प्रश्नोत्तर काल में मालगुजारी में होने वाली ज्यादतियों के सम्बन्ध में कहा है वह इस विधान सभा द्वारा स्वीकृत राजस्व वसूली सम्बन्धी नियमों के बिलकुल विपरीत है । प्रमाण में रेवन्यु मैन्युअल के पैरा १६६, १६७, १७१, १७२, १७४ के विरुद्ध सरकारी आदेश तथा सरकारी अधिकारियों का कार्य है । १३६४ फसली की बकाया , १३६५ की खरीफ की मालगुजारी तथा तकावी की वसूली में पहले से होने वाली ज्यादतियों में राजस्व मंत्री जी के नियम विरुद्ध वक्तव्यों कि वसूली में जबरदस्ती जरूर की जायगी, अप्रत्याशित वृद्धि कर दी है । अतः अत्यन्त महत्व, निश्चित तथा आवश्यक प्रश्न पर विचार करने के लिये सदन अपना आज का कार्य स्थगित करने का निश्चय करता है ।"

अगर किसी शख्स के वक्तव्य और भाषण के उपर सदन में कोई कामरोको प्रस्ताव आवे और उस पर यहां बहस शुरू हो तो यह कोई तरीका कामरोको प्रस्ताव का नहीं हो सकता है। इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

कतिपय अन्य कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष—दो तीन और कामरोको प्रस्ताव मेरी मेज पर कोई सदस्य छोड़ गये हैं, मुझे सचिव जी यह सूचना दे रहे हैं, लेकिन ये किस वक्त आये हैं, मैं नहीं कह सकता। मैं इनको देख कर और जांच करके निश्चय करूंगा। अगर वे समय के भीतर आ गये होंगे तब तो इनके ऊपर कल विचार होगा और अगर समय के भीतर नहीं आये होंगे, बाद में टेबिल पर रखे गये होंगे तो फिर इनके ऊपर विचार नहीं होगा।

इनमें से दो तो श्री ब्रजनारायण तिवारी जी तथा श्री रामायण राय के हैं और एक श्री प्रताप सिंह जी का है जो ११ बज कर ५ मिनट पर आया है। यह स्पष्ट लिखा हुआ है, इसलिये वह तो नहीं लिया जायगा।

१९५७-५८ के द्वितीय पूरक अनुदान

उद्योग उप मंत्री (श्री रऊफ जाफरी)—अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं वितीय वर्ष १९५७-५८ के द्वितीय पूरक अनुदान प्रस्तुत करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष आपने यह व्यवस्था दी थी कि जब कोई बजट या पूरक बजट पेश हो तो उसे केवल वित्त मंत्री ही पेश करें, लेकिन आज भी, दुर्भाग्यवश आपकी पिछले वर्ष की रूलिंग के बाद भी, यहां माननीय उप मंत्री जी ही उसे पेश कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—मैंने ऐसी व्यवस्था दी थी? यदि मैंने ऐसी कोई व्यवस्था दी होगी तो वह प्रोसीडिंग में तो जरूर ही होगी। आप कृपा करके प्रोसीडिंग बतला दें, नियम में वैसे तो "Minister" means a member of the Council of Ministers and includes any member of the Assembly to whom such Minister may delegate any function assigned to him under these Rules."

नियम के हिसाब से तो कौंसिल आफ मिनिस्टर्स का कोई भी सदस्य इसको पेश कर सकता है, लेकिन यदि कोई व्यवस्था ऐसी मैं पहले दे चुका हूं तो उसे आप मुझको बतला दें। मैं समझता हूं कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

†उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (संशोधन) विधेयक, १९५८

खंड ५ (क्रमागत)*

श्री अध्यक्ष—अब उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (संशोधन) विधेयक, १९५८ पर विचार जारी होगा। कल श्री पद्माकरलाल जी श्रीवास्तव खंड ५ में श्री रामायणराय के संशोधन पर भाषण दे रहे थे, वे अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रामायण राय जी के संशोधन के समर्थन में कल बोल रहा था। खंड ५ में प्रस्तावित धारा 5 की उपधारा (4) की पंक्ति ४ में शब्द "seven" के स्थान पर शब्द "fourteen" रखने की बात उस संशोधन द्वारा की गयी है। जैसा कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि माननीय मंत्री जी की मंशा इस धारा के द्वारा यही है कि डाइरेक्टर आफ इलेक्शंस, लोकल बाडीज,

---

†३ फरवरी, १९५८ की कार्यवाही में छपा है।
* १३ फरवरी, १९५८ की कार्यवाही से।

[श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव]

के द्वारा जो प्रत्येक जिले में कांस्टीटुएंसीज निर्धारित की जायंगी तो वह कांस्टीटुएंसी कितनी लम्बी चौड़ी होंगी या एक कांस्टीटुएंसी में कितनी सीट्स होंगी या किस कांस्टीटुएंसी में सुरक्षित सीट की व्यवस्था की जायगी ये तमाम बातें हैं जिनके ऊपर डाइरेक्टर आफ इलेक्शंस का अन्तिम निर्णय होने के पहले जनता से भी उस पर राय ली जाय, विभिन्न राजनीतिक दल के लोगों की भी राय ली जाय ।

श्री अध्यक्ष---माननीय सदस्यगण जरा धीरे-धीरे बाहर जायं ।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव---मैं निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि अगर सचमुच माननीय मंत्री जी की मंशा और नीयत यह है कि जनता के द्वारा कुछ सुझाव और एतराजात इस पर आवें और उसे अच्छी तरह से समझने बूझने का मौका मिले, तो ७ दिन का मौका बहुत कम है, कम से कम १४ दिन की मियाद होनी चाहिये । जिले के कोने-कोने में जहां यह इश्तिहार पहुंचेगा लोग कुछ समझेंगे बूझेंगे और प्रस्तुत योजना को समझ बूझ कर कोई सुझाव और एतराजात पेश करेंगे तो ७ दिन का समय बहुत कम है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे ७ दिन की जगह १४ दिन अवश्य रख दें क्योंकि इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी और जब १४ दिन रख देंगे तभी उनका मंशा पूरा होगा । वर्ना यह तो बिलकुल एक देखने की चीज रह जायगी, दिखावट की चीज रह जायगी कि कानून में लिखा हुआ है कि जनता की भी राय ली जायगी । मंशा तो यह है कि राजनीतिक दलों की भी राय ली जायगी, लेकिन ये सब बातें ऐसी ही हैं, खाली कानून में ही लिखी रह जायंगी और उनका उपयोग नहीं हो सकेगा । इसलिये मैं चाहता हूं कि मंत्री जी ७ दिन की जगह १४ दिन का समय रखने की कृपा करें और इससे मंत्री जी का जो मई में चुनाव का प्रोग्राम है वह भी डिस्टर्ब न होगा ।

श्री अध्यक्ष---मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या यह डिलिमिटेशन आफ कांस्टीटुएंसीज पहले हो चुका है या वह अब फिर से होगा ?

स्वशासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)---जी हां, वह फिर से इस के ऐक्ट बनने के बाद होगा । वैसे इन्फारमली तो हम कर रहे हैं, लेकिन लीगल वेलिडिटी के लिये फिर से कराना होगा ।

श्री अध्यक्ष---तो फिर से नोटिस दिया जायगा ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---जी हां ।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि संशोधनों पर बोलने वाले माननीय सदस्यों को ५ मिनट से अधिक समय न दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं इसमें किसी को आपत्ति न होगी। (कुछ ठहर कर) ठीक है ५ मिनट का समय रहेगा ।

†श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय रामायण-राय जी ने जो ७ दिन के स्थान पर १४ दिन रखे जाने का संशोधन प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करना चाहता हूं । कभी-कभी जिले के हेडक्वार्टर्स देहातों से ६०-६५ मील की दूरी पर होते हैं वहां से जिला बोर्डों की डिलिमिटेशन आफ कांस्टीटुएंसीज के सिलसिले में एतराज के लिये लोगों को तहसीलों में आना पड़ता है । इसमें डायरेक्टर आफ इलेक्शन्स, लोकल

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बाडीज को अधिकार दिया गया है कि वह डिलिमिटेशन आफ कांस्टीटुएंसीज के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय देंगे। ऐसी हालत में केवल एक ही रास्ता रह जाता है जिससे जनता अपना विचार व्यक्त कर सके और एतराज करने वालों का सुदूर देहातों से ७ दिन के भीतर आना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिये मैं मंत्री जी से जनता का अधिक से अधिक हित ध्यान में रखते हुये, प्रार्थना करूंगा कि वह जिला बोर्डों के हित में इस ७ दिन के समय को बढ़ाकर १४ दिन कर दें। इससे सही तरीके की कांस्टीटुएंसीज बन सकती हैं। आशा है मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, इस विधेयक के बरखिलाफ सबसे बड़ा आर्गूमेंट यह भी था जो अपोजीशन की तरफ से और हमारी तरफ से भी आया कि मई के महीने में चुनाव बहुत दुखदायी हो जायंगे। जितना अधिक समय इस तरह देंगे चुनाव आगे बढ़ते चले जायंगे। हमारी कोशिश यह है कि जल्दी से जल्दी मई के पहले सप्ताह में या उससे पहले चुनाव हो जायं। जो बात वह कह रहे हैं उसका साधारण वोटर के लिये कोई खास महत्व नहीं है। साधारण वोटर आब्जेक्शन तो करेगा नहीं। जो पार्टी लीडर्स हैं, और हमारी यह खुशकिस्मती है कि हमारे यहां लीडर्स की कमी नहीं है, वह आकर देख लेंगे और जो करना होगा कर लेंगे। सात दिन काफी समय है। अगर सिर्फ देरी करने के लिये करना है तो उससे किसी का लाभ नहीं होगा, बेफायदा चुनाव गर्मी के दिनों में होंगे और सबको तकलीफ होगी।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—मान्यवर, मंत्री जी का उत्तर सुन कर मुझे काफी दुख हुआ। चुनाव जल्दी कराया जाय इसी उद्देश्य से कल विरोधी दलों ने जो प्रवर समिति को भेजने का संशोधन था उसको वापस कर लिया। यह तो ऐसा संशोधन है जिस संशोधन से गांव की जनता की भलाई का संबंध है। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को जानकारी करा देना चाहता हूं कि अभी हमारे ही जिले में पहले ४० कांस्टीटुएंसीज बनायी गयी थीं। फिर दो दिन की बात है, जब सदन में चर्चा हुई कि जन संख्या २२ लाख है और केवल ४० कांस्टीटुएंसी होने वाली हैं तो अखबारों में सूचना मिली कि नहीं वहां ६०, ६५ कांस्टीटुएंसीज बनायी जा रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही पास हो जाय तो ठीक है। चूंकि आपके पास इतनी शक्ति है, आप चाहे जितना भी गलत काम करना चाहें उसमें आप को समर्थन प्राप्त हो जायगा, लेकिन वक्त ऐसा आयेगा जब ऐसे संशोधनों के ऊपर आपको पश्चाताप करना होगा। आपने सात दिन का वक्त रखा है। मैंने कहा था कि जनता को दो, तीन, चार रोज के अन्दर सूचना मिलेगी। तहसील में लिस्ट टंगी होगी, जिला के कार्यालय में लिस्ट टंगी होगी। दूर-दूर के रहने वाले हैं। पहाड़ी इलाकों में और दिक्कतें होंगी। इसीलिये मैंने प्रस्ताव किया कि मेहरबानी करके सात दिन की जगह पर चौदह दिन कर दीजिए, लेकिन मंत्री जी इन्नोसेंट (निर्दोष) संशोधन भी नहीं मानना चाहते हैं। इसका क्या अर्थ होता है? मैं अपने संशोधन को प्रेस कर रहा हूं।

श्री सूरतचन्द रमोला (जिला टेहरी-गढ़वाल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अभी बतलाया कि जो इस समय डिलिमिटेशन आफ कांस्टीटुएंसीज किया जा रहा है इस बिल के पास हो जाने के बाद उसका निर्णय किया जायगा। मैं ऐसा समझता हूं कि जब कि वह चुनाव बहुत जल्दी करवाना चाहते हैं तो मैं अपने संशोधन को प्रेस नहीं करता। मैं निवेदन करता हूं कि मेरा संशोधन वापस किया जाय।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, मुझे और निवेदन नहीं करना है। गौर वह इतना ज्यादा इसरार करना चाहते हैं और सचमुच समझते हैं कि हम बड़ा अन्याय कर रहे हैं तो मैं इसे स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन मैं अब भी अपील करता हूं कि इसको प्रेस न करें ताकि ज्यादा गर्मी में इलेक्शन न हों। चुनाव जितनी जल्दी हो सके उसी में सब को सहूलियत होगी। इसकी वजह से एक्चुअल इनकनवीनिएंस नहीं होने वाली है। अगर ऐक्ट कुछ दिन रहने वाला होता तो भी बात होती। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौंसिल्स आ जायगी। इस

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

लिये इसका प्रभाव वैसे भी नष्ट हो जायगा। फिर भी अगर बहुत ज्यादा इसरार करते हैं तो मैं मानने के लिये तैयार हूं, लेकिन इसमें और खास कर इस बार के इलेक्शन में, सब को इनकनवीनिएंस होगी।

श्री अध्यक्ष—(श्री रामायणराय से) क्या आप संशोधन को प्रेस कर रहे हैं?

श्री रामायणराय—माननीय मंत्री ने मान लिया कि वह स्वीकार कर रहे हैं। मैंने आवश्यक समझा इसलिये मंत्री जी की सेवा में उपस्थित किया।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मैंने अपील की थी और वास्तव में पूरे तौर से काम जारी है। कोई इनकनवीनिएंस किसी को खास नहीं होगी। इस वजह से मैं कहता हूं कि ख्वाहमख्वाह इलेक्शंस में क्यों देर की जाय।

श्री अध्यक्ष—उनकी अपील है। आप वापस लेना चाहते हैं या प्रेस करना चाहते हैं?

श्री रामायणराय—उसको मैं वापस नहीं ले रहा हूं। अब भी मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं। कोई जिद्द नहीं है।

श्री अध्यक्ष—(स्वशासन मंत्री से) आप मंजूर करते हैं?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मैंने कहा कि अगर आप आग्रह करते हैं तो मैं मंजूर कर लूंगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है [कि श्री सूरतचन्द रमोला का जो संशोधन है उसे वापस लेने की अनुमति दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ में प्रस्तावित धारा 5 की उप धारा (4) की पंक्ति ४ में शब्द "seven" के स्थान पर शब्द "fourteen" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।])

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—मैं आप की आज्ञा से उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (संशोधन) विधेयक, १९५८ के खंड ५ में प्रस्तावित धारा 5 की उपधारा (4) के अन्त में शब्द "and of every public offices" रख दिये जाय, यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष—देखिये, एवरी पब्लिक आफिस होना चाहिए। आफिसेज नहीं होना चाहिये या फिर आल पब्लिक आफिसेज होना चाहिए।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—खैर, उसमें जो होगा वह ठीक कर लिया जायगा....

श्री अध्यक्ष—दूसरी बात यह है कि पब्लिक आफिस की भी कोई व्याख्या आपने नहीं की है।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—पब्लिक आफिस से मेरा मतलब जो गैरसरकारी आफिसेज वहां हैं उनसे है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि स्वस्थ जनतंत्र प्रणाली को कार्यान्वित करने के लिये यह आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष—जब तक आप इस चीज को स्पष्ट नहीं करेंगे तब तक संशोधन बेकार होगा।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि चुनाव कराना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष---आप पब्लिक आफिस को जब तक स्पष्ट नहीं करते.....

श्री ब्रजनारायण तिवारी---मेरा मतलब उससे यह है कि जो संगठन राजनीतिक पार्टियों के हैं.....

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं। मैं समझता हूं कि यह आपका संशोधन अवैध है....

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६

६---मूल अधिनियम की धारा ६ निकाल दी जाय।

यू० पी० ऐक्ट संख्या, १०, १९२२ की धारा ६ का निकाला जाना

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ७

७---मूल अधिनियम की धारा ८ से ११ तक के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:---

यू० पी० ऐक्ट संख्या १०, १९२२ की धारा ८ से ११ का प्रतिस्थापन।

"8. (1) The Director of Elections (Local Bodies) shall supervise and direct the conduct of all elections to a board under this Act including the election of President :

Director of Elections (Local Bodies) to supervise conduct of elections.

Provided that the Director of Elections (Local Bodies) may delegate all or any of his functions under this Act or rules or orders made thereunder to any other officer or officers and such officer or each of such officers may subject to the control of the Director of Elections (Local Bodies) perform the function or functions so delegated as if he were the Director of Elections (Local Bodies).

9. The election of members of every board shall be on the basis of adult suffrage.

Election on the basis of adult suffrage.

10. There shall be an electoral roll for every constituency which shall be prepared by the Electoral Registration Officer in accordance with the provisions of this Act under the superintendence, direction and control of the Director of Elections (Local Bodies).

Electoral roll for every constituency.

11. The electoral roll of a constituency shall be prepared in Hindi in the form adopted from time to time for the preparation of the Assembly Rolls.

Form and language of the rolls.

11-A. (1) There shall be an Electoral Registration Officer for each constituency who shall be such officer of the State Government or of a local authority as the District Magistrate may designate or nominate in this behalf.

Electoral Registration Officers and Assistant Electoral Registration Officers.

(2) The District Magistrate may appoint one or more persons as Assistant Electoral Registration Officers to assist any Electoral Registration Officer in the performance of his functions.

(3) Every Assistant Electoral Registration Officer shall, subject to the control of the Electoral Registration Officer, be competent to perform all or any of the functions of the Electoral Registration Officer.

Disqualifications for registration in an electoral roll.

11-B. (1) A person shall be disqualified for registration in an electoral roll if he is disqualified for registration in the Assembly Rolls.

(2) The name of any person who becomes so disqualified after registration shall forthwith be struck off the electoral roll of the constituency in which it is included :

Provided that the name of any person struck off the electoral roll of a constituency by reason of disqualification under sub-section (1) shall forthwith be reinstated in that roll if such disqualification is, during the period such roll is in force, removed under the provisions of this Act or under any other law authorizing such removal.

Registration to be in one constituency and in one place.

11-C. (1) No person shall be entitled to be registered in the electoral roll for more than one constituency of the same board.

(2) No person shall be entitled to be registered in the electoral roll for any constituency more than once.

Conditions for registration in an electoral roll.

11-D. Subject to the provisions of section 11-B and 11-C, every person who is qualified to be registered in the Assembly Electoral Roll relatable to the area comprised in the constituency or whose name is entered therein shall be entitled in the manner provided by or under this Act to be registered in the electoral roll of the constituency.

Preparation and Revision of electoral rolls.

11-E. (1) The Electoral Registration Officer shall, for purposes of preparation of electoral roll for the constituency adopt the Assembly Rolls relatable to the area comprised in the said constituency and publish the same in the manner prescribed, and upon its publication it shall, subject to any alteration, addition or modification made, under or in accordance with this Act, be the electoral roll for the constituency prepared in accordance with the provisions of this Act

(2) Where any addition, omission, alteration or other amendment is made under the Representation of the People Act, 1950, or the rules framed thereunder, in the Assembly Rolls relatable to the area of the constituency, a similar amendment shall be made in the corresponding electoral roll of the constituency.

(3) The electoral roll prepared as aforesaid or under section 11-J, shall thereafter be revised in every subsequent year in the prescribed manner:

Provided that if for any reason the electoral roll has not been revised in any year, the validity or continued operation of the roll shall not thereby be affected.

11-F. Notwithstanding anything contained in section 11-E, the Director of Elections (Local Bodies) may at any time for reasons to be recorded, direct a special revision of the electoral roll for any constituency or part of a constituency in such manner as he may think fit :

Special revision of electoral rolls.

Provided that subject to the other provisions of this Act, the electoral roll for the constituency as in force at the time of the issue of any such direction, shall continue to be in force until the completion of the special revision so directed.

11-G. (1) The Electoral Registration Officer, for a constituency, on application made to him for the correction of an existing entry in the electoral roll of the constituency, shall, if he is staisfied after such enquiry as he thinks fit, that the entry relates to the applicant and is erroneous or defective in any particular, amend the entry accordingly.

Correction of entries in electoral rolls.

(2) Any person whose name is entered in the electoral roll of a constituency may apply to the Electoral Registration Officer for transposing the entry to another place in the same electoral roll and if the Electoral Registration Officer, after making such enquiry as he thinks fit, is satisfied that the applicant is entitled to have his name shown in that other place, he shall amend the electoral roll accordingly.

(3) The Electoral Registration Officer, may at any time order the correction of any clerical or printing error and removal of duplicate entries in the electoral roll and such correction or removal shall be made accordingly.

11-H. (1) Any person whose name is not included in the electoral roll of a constituency may apply in the manner prescribed to the Electoral Registration Officer of that constituency for the inclusion of his name in that roll.

Inclusion of names in the electoral rolls.

(2) The Electoral Registration Officer, shall, if satisfied that the applicant is entitled to be registered in the electoral roll, direct his name to be included therein :

Provided that if the applicant is registered in the electoral roll of another constituency in that district, the Electoral Registration Officer shall inform the Electoral Registration Officer of that constituency and that officer shall on receipt of the information strike off the applicant's name from that electoral roll.

(3) Where an application made under this section is rejected an appeal shall lie within such time in such manner as may be prescribed to the District Magistrate whose decision shall be final.

(4) Every application and appeal under this section shall be accompanied by the prescribed fee which shall in no case be refunded.

11-I. The State Government may, by order, make provisions in respect of the following matters concerning the electoral rolls, namely—

Order regarding electoral rolls.

(*a*) the manner in which the Assembly Rolls shall be adopted for the preparation of electoral rolls under this Act ;

(*b*) the publication of electoral rolls ;

(*c*) the date on which the electoral rolls prepared under this Act shall come into force and their period of operation ;

(*d*) the correction of entries in the electoral rolls ;

(*e*) the inclusion of names in the electoral rolls ;

(*f*) annual and special revision of the electoral rolls ;

(*g*) custody and preservation of the electoral rolls, and

(*h*) deletion or reinstatement of names under sub-section (2) of section 11-B and amendments under sub-section (2) of section 11-E;

(*i*) generally for all matters relating to the preparation and publication of the electoral rolls.

Special provisions with regard to electoral rolls first prepared under the Act.

11-J. (1) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) of section 11-E but subject to the other foregoing provisions of this Act the first electoral rolls under this Act as amended by the U. P. District Boards (Amendment) Act, 1958, shall be prepared as provided in this section.

(2) For the purpose of preparation of electoral rolls under sub-section (1) the District Magistrate shall appoint Electoral Registration Officers and Assistant Electoral Registration Officers for such areas (referred to hereinafter as electoral units) as he may think fit.

(3) The Electoral Registration Officer shall first take the portion of the Assembly Rolls, including the portions of lists of additions and deletions, relatable to the area comprised in the electoral unit and add in such portion of the list of additions the names of such persons as appear to him to have been eligible for registration in such Assembly Rolls but whose names were left out from being registered and in the portion of the list of deletions the names of such electors as are dead. He shall then publish the portion of the rolls including the portions of lists of additions and deletions as so amended as the draft electoral roll for the unit on such date, in such manner and for such period as may be specified by the Director of Elections (Local Bodies) for the purpose of inviting claims for inclusion of names and objections to the inclusion of names added by the Electoral Registration Officer as aforesaid in the roll of such electoral unit.

(4) Every claim or objection referred to in sub-section (3) shall be preferred within a period of seven days from the date of publication of the roll under sub-section (2) and shall be presented in such form and manner as may be specified by the Director of Elections (Local Bodies).

(5) Any claim or objection which is not lodged within the period or in the manner specified by the Director of Elections (Local Bodies) shall be rejected forthwith by the Electoral Registration Officer.

(6) Where a claim or objection is not rejected under sub-section (5) the Electoral Registration Officer shall fix a date for hearing of the claim or objection and inform the claimant or objector, as the case may be, or his agent, at the time the claim or objection is presented, of the date so fixed and also affix on his notice board a notice of the claim or objection and the date fixed for its hearing in such form as the Director of Elections (Local Bodies) may specify :

Provided that it shall not be necessary to affix any such notice in respect of a claim where the Electoral Registration Officer on being satisfied as to the validity to the claim, decides to allow it without further enquiry.

(7) In the case of an objection the Electoral Regisration Officer shall further give notice of the objection and of the date fixed for its hearing to the person affected thereby by causing to be served on him personally or by affixation at his residence according to the address as recorded in the entry relating to him a notice in such form as the Director may specify along with a copy of the objection.

(8) The Electoral Registration Officer shall on the date fixed for hearing hold a summary enquiry in respect of every claim or objection aforesaid and any objection which may be pressed before him against the claim or objection and shall record his decision thereon. The decision of the Electoral Registration Officer shall be final.

(9) After all the claims and objections have been disposed of the Electoral Registration Officer shall amend the lists of additions and deletions accordingly to carry out the decisions under sub-sections (6) and (7) and the electoral roll as published under sub-section (3) with the list of additions and deletions as so amended shall be the electoral roll for the electoral unit.

(10) After the constituencies for the board have been determined under this Act and after the electoral rolls for all the electoral units and parts of electoral units comprised in a constituency so determined have veen prepared under the foregoing sub-sections, the electoral rolls for all such electoral units and parts of electoral units shall be grouped together and published in the manner specified by the Director of Elections (Local Bodies) as the electoral roll for such constituency and shall, on such publication, be deemed for all purposes to be the electoral roll for that constituency within the meaning of sub-section (7) of the section 11-E.

Expenditure to be borne by the board.

11-K. All expenditure incurred in connection with the preparation and revision of electoral rolls including the first electoral rolls and all expenditure incurred in connection with the conduct of elections to the board shall, except as otherwise directed by the State Government, be charged to and be realizable from the board to the extent and in the manner laid down by the State Government.

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—मान्यवर, यह बिलकुल शाब्दिक संशोधन है। आपकी आज्ञा से मैं प्रस्तुत करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री जी इसको मान लेंगे। संशोधन यह है कि खंड ७ में प्रस्तावित धारा 8 की उपधारा (1) की पंक्ति ४ व ५ में "including the election of President" निकाल दिये जायं। क्योंकि मान्यवर, इस विधेयक के द्वारा या इस ऐक्ट के जरिये बिलकुल साफ हो जाता है कि इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के किस-किस के होंगे, मेम्बर्स के होंगे और प्रेसीडेंड के भी होंगे। यह बिलकुल बेग है। इन्क्लूडिंग दि इलेक्शन आफ प्रेसीडेंट, यह बिलकुल बेग है। यह शाब्दिक संशोधन है और मुझे आशा है माननीय मन्त्री जी इसको मान लेंगे।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, यह संशोधन अनावश्यक है। यह 'प्रेसीडेंट' का शब्द इसमें रहना चाहिये। इससे क्लेरिटी हो जाती है, कोई सन्देह नहीं रह जाता है। इसलिये इसका रहना जरूरी है।

श्री रामायण राय—श्रीमन्, इसमें लिखा हुआ है कि "The Director of Elections shall supervise and direct the conduct of all elections to a board under this Act". तो बोर्ड में प्रेसीडेंट भी है, सदस्य भी हैं। सबका चुनाव आ जाता है। फिर अलग से प्रेसीडेंट का यहां मेंशन करना आवश्यक नहीं था इसलिये इसको रखा गया था।

श्री अध्यक्ष—यह ठीक है, लेकिन वह समझते हैं कि उसका रहना आवश्यक है कुछ कानूनी झगड़े न पैदा हो जायं। क्लैरिटी के लिये रखना चाहते हैं। आपको कोई एतराज है?

श्री रामायणराय—हमको कोई एतराज नहीं है।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं इस संशोधन को वापस ले रहा हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

†श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई)—अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं" कि खंड ७ में प्रस्तावित धारा 11—c की उपधारा (2) निकाल दी जाय। उपधारा (२) इस प्रकार है:

"(2) No person shall be entitled to be registered in the electoral roll for any constituency more than once."

अध्यक्ष महोदय, ऐसा नियम है और विधेयक में ऐसा प्राविजन रखा गया है कि यदि किसी नागरिक का नाम तालिका में न हो तो वह निश्चित समय के अन्दर अपना नाम तालिका के अन्दर लिखा सकता है। इस प्राविजन को दे देने के बाद पुनः यह प्राविजन दिया गया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति दोबारा उस तालिका में अपना नाम नहीं लिख सकता है। प्रश्न यह है कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो दोबारा उसी तालिका में अपना नाम लिखाये। मेरी समझ में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो एक ही फेहरिस्त में दो बार अपना नाम लिखाना चाहें क्योंकि इससे स्पष्ट है:

"No person shall be entitled to be registered in the electoral roll for any constituency more than once".

एक बार ही केवल नाम लिखाया जाता है, दो बार नहीं। ऐसी दशा में मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस प्राविजन को समाप्त कर दें, क्योंकि यह निरर्थक है।

---

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इसे मैं अस्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष—आपने कारण नहीं बताया।

स्वशासन मंत्री के सभा सचिव (श्री रामस्वरूप यादव)—माननीय अध्यक्ष महोदय, कारण इसका यह है कि अभी माननीय सदस्य ने यह कहा कि कोई सज्जन ऐसा नहीं होगा जो अपना नाम दो जगह रखवाने की चेष्टा करें। इसके खिलाफ बहुत जगह ऐसा पाया गया है जहां दो कांस्टीट्यूऐंसीज में नाम मौजूद हैं। ऐसी परिस्थिति में...

श्री अध्यक्ष—एक कांस्टीट्यूएंसी में दो जगह अपना नाम....

श्री राजेन्द्रसिंह—अध्यक्ष महोदय, जी नहीं इसमें यह है कि :—

"No person shall be entitled to be registered in the electoral roll for any constituency more than once"....

तो एक ही कांस्टीट्यूऐंसी में एक आदमी के दो जगह नाम नहीं होंगे।

श्री रामस्वरूप यादव—अध्यक्ष महोदय, यह सम्भव हो सकता है कि उसकी दो जगह काश्त हो और दो जगह नाम करवा ले। ऐसे मौके आये हैं इस वजह से यह प्रतिबन्ध बहुत आवश्यक है।

श्री राजेन्द्रसिंह—इस सेक्शन का यह अर्थ है कि कोई भी आदमी एक ही क्षेत्र में दोबारा नाम नहीं लिखा सकता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि दोबारा नाम होता ही नहीं। प्रयत्न तो दूसरे क्षेत्र में नाम लिखवाने का किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—उन्होंने अनुभव अपना बताया कि किसी के २, ३, ४ गांवों में खेत हों और उनमें किसी की खेती हो तो एक गांव में भी नाम लिखाले, दूसरी जगह भी लिखाले और दो जगह वोट कर दे, ऐसा हो सकता है।

श्री राजेन्द्र सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संकट को दूर करने के लिये

"11-B. (1) A person shall be disqualified for registration in an electora roll if he is disqualified for registration in the Assembly Rolls.

(2) The name of any person who becomes so disqualified after registration shall forthwith be struck off the electoral....."

श्री अध्यक्ष—तो आप उपखंड को एक तरफ से आखिर तक पढ़ रहे हैं। आपका भाषण हो चुका है। आप कृपया बैठें।

(कुछ रुक कर)

प्रश्न यह है कि खंड ७ में प्रस्तावित धारा 11-C की उपधारा (2) निकाल दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री ब्रजनारायण तिवारी—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ में प्रस्तावित धारा 11-D के अन्त में निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"But the concerned authority shall be responsible for getting the name of the elector entered in the register".

बहुत सीधासादा यह संशोधन है। यह देखा जाता है कि वोट देने के समय जिनके नाम रह जाते हैं बाद में अगर वे इलेक्टोरल रोल में अपना नाम दर्ज कराना चाहें तो इस ऐक्ट

[श्री ब्रजनारायण तिवारी]

में आप देखेंगे कि उनको कुछ फीस भी देनी होती है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि नाम छूटने की जिम्मेदारी सम्बन्धित अधिकारियों की है और उनसे पूछा जाय कि क्यों ऐसा हुआ? यह जनतांत्रिक पद्धति पर चलने वाला देश है। हर नागरिक इस मुल्क का राजा कहा जाता है। फिर राजा का नाम वोटर लिस्ट से एक नौकर छोड़ दे और फीस उसके लिये जमा करनी पड़े राजा को यह कहां तक उचित है। यह सीधा सादा संशोधन है और मैं माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि वे इसे स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष---यह देखिये 11-E में जो आगे दी हुई है यह शब्दावली है:---

"The Electoral Registration Officer shall, for purposes of preparation of electoral roll for the constituency, adopt the Assembly Rolls relatable to the area comprised in the said constituency and publish the same in the manner prescribed, and upon its publication it shall, subject to any alteration, addition or modification made, under or in accordance with the Act, be the electoral roll for the constituency prepared in accordance with the provisions of this Act".

आप का संशोधन इस कारण बिलकुल अनावश्यक हो जाता है।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---जिनका नाम असेम्बली वोटर्स लिस्ट में दर्ज होगा वे तो हैं ही या इस ऐक्ट के अनुसार जिसका नाम दर्ज होना है उसका भी नाम इसमें दर्ज होगा। तो इसी के आधार पर मैं कहता हूं कि सम्बन्धित अधिकारी की जिम्मेदारी हो।

श्री अध्यक्ष---उसका तो आगे प्रोसीजर दिया हुआ है। इस जगह यह चस्पां नहीं हो सकता। मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री सुरथबहादुरशाह---अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ की प्रस्तावित धारा 11-E की उपधारा (3) का प्रतिबन्ध निकाल दिया जाय। वह इस प्रकार है:---

"Provided that if for any reason the electoral roll has not been revised in any year, the validity or continued operation of the roll shall not thereby be affected".

यह हिस्सा जो प्रतिबन्ध का है उसमें से निकाल दिया जाय।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सुरथबहादुर जी के संशोधन का समर्थन करता हूं। रिप्रेजेंटेशन आफ दी पीपुल्स ऐक्ट के मातहत चुनाव संबंधी एलेक्टोरल रोल वगैरह सब तैयार होंगे। यह भी नियम है कि हर साल एलेक्टोरल रोल का रिवीजन होगा और हर साल जिन लोगों का नाम छूटा है वह उसमें दर्ज होगा। यह नियमतः आवश्यक होना चाहिये कि संबंधित अधिकारी हर साल एलेक्टोरल रोल का रिवीजन करें और जिन लोगों को बालिग मताधिकार का अधिकार हो जाय उसका नाम उसमें अवश्य आ जाना चाहिये। अगर यह प्रतिबन्ध जोड़ा जाता है तो उससे ढीलापन आयेगा और जिले के स्तर पर अधिकारियों को यह कहने का अवसर मिलेगा कि जाने दीजिये इस साल रिवीजन नहीं होगा। साल भर के अन्दर जो बालिग हो जायंगे उनको अधिकार तो रहेगा, लेकिन उनका नाम वोटर्स लिस्ट में नहीं आयेगा। इसलिये यह प्रोवाइजो इसमें से निकाल दिया जाय।

*श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)---माननीय स्पीकर साहब, मुझे अफसोस है कि जो मेरे दोस्त ने अभी तरमीम रखी है मैं उसका साथ नहीं दे सकता। यह जो प्रोवाइजो यहां पर रखा हुआ है इसका मंशा यह हरगिज नहीं है कि कोई मुकामी अफसर एलेक्टोरल

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रोल को रिवाइज न करे, बल्कि जो भी कानून बनता है वह फूल प्रूफ होता है कि एमर्जेंसी आने पर वह कानून उसको मीट कर सके। फर्ज कीजिये कि अगर कोई ऐसी एमर्जेंसी आ जाय और स्टेट गवर्नमेंट इस तरह से मजबूर हो जाय कि वह किसी साल अफसरान से रिवीजन उस साल का न करा सके और दूसरे साल इलेक्शन होने वाला है तो इसका नतीजा यह होगा कि उस साल कोई बाई-इलेक्शन या इलेक्शन रुक जायगा। इसलिये इसको यहां रहने देने की जरूरत है। यह भरोसा होना चाहिये कि उसका कोई नामुनासिब इस्तेमाल नहीं होगा।

*श्री प्रताप सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सुल्तान आलम खां साहब ने जो कहा, आपके द्वारा मैं उनसे और माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि एक स्थान पर ६ महीने रहने के बाद तब किसी व्यक्ति को वोटर होने का अधिकार मिलता है। माइग्रेटरी प्राब्लम जो हमारे तराई भावर में है उसके कारण वहां पर बहुत से लोग जो ६ महीने से बसे हुये हैं वह वोट नहीं दे सकेंगे, जैसा कि इसमें दिया हुआ है। इससे यह जाहिर होता है कि अगर एलेक्टोरल रोल का रिवीजन नहीं होता तो बहुत से लोग वोट देने से वंचित रह जायंगे।

अभी नोटीफाइड एरिया के जो चुनाव हुए उनमें तजुर्बा हुआ कि हमारे असेम्बली और पार्लियामेंट के जो वोटर्स थे उनके नाम वहां नहीं जोड़े गये थे। उनको पोल्स से वापस जाना पड़ा, क्योंकि लिस्ट रिवाइज नहीं हुई थी। प्रैक्टिकल आस्पैक्ट यही बतलाता है कि रिवीजन हर साल होना चाहिये। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि यह प्रोवाइजो वहां से निकाल दिया जाय।

श्री रामायणराय—मान्यवर, अभी सुल्तान आलम खां साहब ने जो तर्क प्रस्तुत किया है उसको देखते हुए जब मैं इस प्रोवाइजो को देखता हूं तो कह सकता हूं कि यह बहुत ही लिबरल है। लेकिन और शब्द "इमर्जेंसी" इसमें जोड़ दें तो बात साफ हो जाती है। फिर हम सोचेंगे कि हमारे साथी संशोधन को वापस ले लें। यहां पर तो "फार एनी रीजंस" है, तो इससे बड़ा भारी स्कोप हो जाता है। अगर कोई इमर्जेंसी आ जाय तो रिवाइज न किया जा सके, ऐसा कर दें।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, यह प्राविजन इसलिये है कि सारी कोशिशें होने के बाद अगर कहीं रह जाय तो यह न हो कि चुनाव न हो सके। अभी तो प्रताप सिंह जी को शिकायत है कि ५-७ आदमी वगैर वोट डाले चले आयें, लेकिन अगर यह नहीं रहा तो यह हो सकता है कि सब कोई चले आये, और चुनाव ही नहीं हो सके। इसलिये यह हार्मलेस प्राविजन है। अगर किसी की बेवकूफी से कोई ठीक काम न हो तो उसकी वजह से सारा काम रुक न जाय, इसके लिये यह प्राविजन किया गया है।

श्री सुरथबहादुरशाह—श्रीमन्, मेरा कहना यह है कि यह बहुत इन्नोसेंट चीज है। अगर यह रहता है तो वक्तन फवक्तन नाजायज फायदा उठाया जा सकता है। इसलिये यह बहुत भली चीज है। मेरी समझ में नहीं आता है कि इसमें कौन सी बुराई है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७ में प्रस्तावित धारा 11—E की उपधारा (3) का प्रतिबंध निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री सुरथबहादुरशाह—श्रीमन्, मैं यह प्रस्ताव करना चाहता हूं कि खंड ७ में प्रस्तावित धारा 11-G की उपधारा (2) की पंक्ति ६ में शब्द " that other " के स्थान पर शब्द " another " रख दिया जाय।

यह केवल शाब्दिक परिवर्तन है और अंग्रेजी शब्दों के लिहाज से मेरा संशोधन उचित होगा, आगे मंत्री जी जैसा समझें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---यह शाब्दिक है इसलिये वह मेरी बात मान लें, क्योंकि यह खास के लिये शब्द हैं और ऐनअदर से कोई भी हो जायगा। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि वह इसे वापस ले लें।

श्री सुरथबहादुरशाह---श्रीमन्, मैं इसको वापस लेने को तैयार हूं, लेकिन एक सैकिंड में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि "after making such enquiry as he thinks fit, is satisfied that the applicant is entitled to have his name shown in that other place" इसमें अगर " another " शब्द आता है तो ठीक है।

श्री अध्यक्ष---ऊपर एक जगह "another" शब्द आ चुका है :---
"another place in the same electoral roll".

इसलिये लैंगुयेज के लिहाज से " that other " शब्द फिट बैठते हैं।

श्री सुरथबहादुरशाह--- ठीक है तो मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ में प्रस्तावित धारा 11-I के खंड (ii) के अन्त में शब्द "and decision of claims and objections relating thereto" जोड़ दिये जायं। बिना इन शब्दों के जोड़े हुये यह कम्पलीट नहीं मालूम होता है। मुझे आशा है कि मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---धन्यवाद सहित स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--- प्रश्न यह है कि खंड ७ में प्रस्तावित धारा 11-I के खंड (i) के अन्त में शब्द "and decisions of claims and objections relating thereto", जोड़ दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*श्री ब्रजनारायण तिवारी---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ में प्रस्तावित धारा 11-J की उपधारा (4) की दूसरी पंक्ति में शब्द "seven days" के स्थान पर शब्द "one month" रख दिये जायं।

श्रीमन्, आप देख रहे हैं कि हमारे देश की अधिकांश जनता पढ़ी लिखी नहीं है और उनके सामने जब यह वोटर्स लिस्ट रखी जायगी तो यह तो तहसील हेडक्वार्टर्स पर या जिला हेड-क्वार्टर्स पर या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सेड क्वार्टर्स पर रखी जायगी और ७ दिन के अन्दर उस जनता से यह आशा करना कि वह उसमें देख ले कि उसका नाम उसमें है या नहीं, उचित नहीं है। यह बड़ा बुनियादी अधिकार है और इसकी रक्षा हम तभी कर सकते हैं जब अधिक से अधिक दिन वोटर्स लिस्ट देखने के लिये मिलें। ऐसा समझ कर मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इसे मान लें। एक महीने में किसी को यह शिकायत नहीं रहेगी कि लिस्ट ठीक तरीके से नहीं बनायी गयी है या काफी समय उसे देखने का नहीं मिला। इसके अलावा, श्रीमन्, एक मर्तबा नाम छूट जाने पर उसे दर्ज कराने में कितनी दिक्कत होती है। इसलिये इन तमाम दिक्कतों को दूर करने के लिये अगर यह अवधि बढ़ा दी जाय और सबको जानकारी हो जाय तो अच्छा होगा। इसलिये मैं यह संशोधन पेश करता हूं।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, मैं इसको स्वीकार करने में अपनी मजबूरी पाता हूं। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये यह बता दूं कि यह काम रिवीजन का अभी से जारी है और इसके बाद फिर उनको ७ दिन का मौका मिलेगा। उससे जो जितना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लाभ उठाना चाहे वह अभी से उठा सकता है। इसमें अभी किसी तरह का बन्धन नहीं है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि इस तरह से हर चीज के लिये डेट को बढ़ाना हमारे लिए विलम्ब का कारण होगा और हम पिछड़ते जायंगे। इस वजह से मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता हूं।

*श्री ब्रजनारायण तिवारी—सरकार बारबार यह कहती है कि हम जल्दी कराना चाहते हैं। अगर जल्दी कराना चाहते हैं तो एक आर्डर दे दिया जाय। जल्दी यह काम हो जाय और यहां सदन में पेश करने की जरूरत ही न रह जाय। जब आप किसी कठिनाई को दूर करना नहीं चाहते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। यह १९४८ का चुनाव तो आप १९५८ में कराने जा रहे हैं। गर्मी का समय रखा गया है। मैं जानता हूं कि जानबूझ कर यह गर्मी का समय रखा गया है। यह सरकार फिर इस समय को आगे बढ़ायेगी। अगर एक महीने का समय वोटर लिस्ट के तैयार होने में बढ़ जाय तो इसमें क्या आपको कठिनाई है। हर आदमी को अपना नाम देखने में सुविधा होगी। इसमें कोई कठिनाई आपको महसूस नहीं होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७ में प्रस्तावित धारा 11-J की उपधारा (4) की दूसरी पंक्ति में शब्द "seven days" के स्थान पर शब्द "one month" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ में प्रस्तावित धारा 11-J की उपधारा (10) की अन्तिम पंक्ति में शब्द "sub-section (7)" के बजाय शब्द "sub-section (1)" रख दिये जांय।

इसमें सेक्शन ७ का रखना कोई जरूरी नहीं है। यह गलत मालूम होता है। इसलिये मैं समझता हूं इसको इस तरह से रख दिया जायगा।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७ में प्रस्तावित धारा 11-J की उपधारा (10) की अन्तिम पंक्ति में शब्द "sub-section (7)" के बजाय शब्द "sub-section (1)" रख दिये जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ८

८—मूल अधिनियम की धारा १२ तथा १३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

यू० पी० ऐक्ट संख्या १० १९२२ की धारा १२ तथा १३ का प्रतिस्थापन।

"12. A person shall not be qualified to be chosen to fill a seat on a board unless—

Qualifications for membership in the board.

(*a*) in the case of a seat reserved for the Scheduled Castes he is a member of any of these castes and is an elector for any constituency in the district;

(*b*) in the case of any other seat, he is an elector for any constituency in the district.

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री उपाध्यक्ष]

13. A person notwithstanding that he is otherwise qualified, shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of a board if he—

Disqualifications for membership

(*a*) is a dismissed servant of a local authority, the State or Central Government and is debarred from re-employment therein ; or

(*b*) is debarred from practising as a legal practitioner by order of any competent authority ; or

(*c*) holds any place of profit in the gift or disposal of the board ; or

(*d*) is disqualified under section 23, section 25 or section 32; or

(*e*) is in the service of the State or the Central Government or any local authority, or is a District Government counsel or an Additional or Assistant District Government Counsel or an Honorary Magistrate or an Honorary Munsif or an Honorary Assistant Collector ; or

(*f*) is in arrears in the payment of any sum in excess of one year's demand to which section 133 applies ;

(*g*) is suffering from leprosy ; or

(*h*) is an undischarged insolvent ; or

(*i*) holds directly or indirectly, or by a partner, any share or interest in any contract or employment with, by or on behalf of the board ; or

(*j*) has been convicted by a court in India of any offence and sentenced to imprisonment for not less than two years unless a period of five years or such less period as the State Government may allow in any particular case has elapsed since his release :

Provided that in cases (*a*) and (*b*) the disqualification may be removed by an order of the State Government in this behalf :

Provided further that in case (*f*) the disqualification shall cease as soon as the arrears are paid.

श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ में प्रस्तावित धारा 13 की उपधारा (J) की पंक्ति एक में शब्द 'any' के स्थान पर शब्द 'an' रख दिया जाय ।

यह सिर्फ लफ्जी बात है । इसके रखने से यह और उपयुक्त हो जाता है । इसलिये माननीय मन्त्री जी को इसको मानने में कोई आपत्ति नहीं होगी ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मान्यवर मैं समझता हूं कि शब्द "any" मोर एप्रोप्रियेट है ।

*श्री शिवराजबहादुर (जिला बरेली)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें वर्ड "any" इस्तेमाल किया गया है । मैं समझता हूं कि "an" ज्यादा बेहतर है । इसकी वजह यह है कि 'any' बहुत वाइड टर्म है । उसके अन्दर कोई भी जुर्म आ सकता है । इसके रहने से तो किसी भी जुर्म में कहीं सजा हो जाय वह डिबार हो जायगा । इसलिये इससे बहुत दिक्कतें बढ़ जायंगी । अगर किसी को किसी सत्याग्रह के सिलसिले में अथवा ४५२ में ही सजा हो गयी तो वह मेम्बरी के लिये खड़ा होने से वंचित हो जायगा । अगर 'an' शब्द रहेगा तो उसमें स्पेसीफाइड हो जायगा कि किसको डिबार किया जायगा । क्योंकि 'any' से बहुत ज्यादा वाइड सेंस हो जाता है और उसके द्वारा बहुत ज्यादा लोग डिबार हो जायंगे इसलिये 'an' ज्यादा फोर्सफुल और उचित शब्द है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री जगवीरसिंह—श्रीमन्, वैसे तो शब्द 'an' ही ज्यादा उपयुक्त है लेकिन अगर माननीय मंत्री जी उसको स्वीकार नहीं करते तो मैं उसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री जगवीर सिंह—श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ में प्रस्तावित धारा 13 की उपधारा (j) की पंक्ति एक में शब्द "offence" तथा शब्द "and" के बीच शब्द "involving moral turpitude" रख दिये जायं। तथा, खंड ८ में प्रस्तावित धारा 13 की उपधारा (j) की पंक्ति दो में शब्द "for not less than two years" निकाल दिये जायं।

श्रीमन्, इस समय विधेयक में जो है वह इस प्रकार का है कि किसी शख्श को सजा हो जाय, चाहे वह किसी भी जुर्म में हो जाय, वह डिसक्वालीफाई हो जायगा। मेरे खयाल में जब तक ऐसे जुर्म में सजा न हुई हो। जो कि मारल टरपीट्यूड में आता हो, तब तक किसी आदमी को चुनाव के लिए खड़े होने से वंचित नहीं करना चाहिये। अगर किसी को नैतिक अपराध में दो साल से भी कम सजा हुई है तो मैं समझता हूं कि उस पर भी यह चीज लागू होनी चाहिये। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी को इस संशोधन को मान लेने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, माननीय जगवीर सिंह ने जो यह संशोधन उपस्थित किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। यह डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के चुनावों के सिलसिले में संशोधन है। चुनावों के संबंध में पीपुल्स रिप्रजेन्टेशन ऐक्ट में भी ऐसी पाबन्दी लगायी गयी है। उसमें लिखा है मारल टर्पीट्यूड में जो लोग सजा पायें, उनको डिबार किया जाय? मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा कि वे बतायें कि क्यों उन्होंने उस सेक्शन को निकाल दिया है? इसकी वजह से तो बिलकुल एक संवैधानिक प्रश्न पैदा हो जाता है। अगर माननीय जगवीर सिंह का संशोधन मंजूर कर लिया जायगा तो संविधान की भी रक्षा हो जायगी। मेरा निवेदन है कि मंत्री जी जरूर इसको मान लें।

*श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं और इसलिये करता हूं कि अगर किसी को किसी फौजदारी के केस में सजा हुई है तो वह भी चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता। यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव के बारे में है, जहां आवश्यकता इस बात की है कि मौरल टरपीट्यूड शब्द इसमें रख दिया जाय। बहुत सी ऐसी सजायें हैं जो मारल टरपीट्यूड में नहीं आतीं, लेकिन फिर भी वे इस धारा की वजह से चुनाव में खड़े होने से वंचित हो जायेंगे। माननीय मंत्री जी अगर जगवीर सिंह जी का संशोधन मान लेंगे तो यह दिक्कत दूर हो जायगी। मैं आशा करता हूं कि वे इसको मंजूर कर लेंगे।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, यह तो हमने एक सेक्शन बारो किया है पीपुल्स रेप्रेजेंटेशन ऐक्ट से और इसमें अगर हम मारेल टरपिट्यूड को लावें तो इसको डिफाइन करना पड़ेगा। फिर इसको कौन डिटरमिन करेगा, गवर्नमेंट करेगी या कौन करेगा, इससे बड़े कम्पलिकेशंस पैदा हो जायंगे, इसलिये जैसा है वैसे ही चलने दिया जाय।

*श्री राजेन्द्र सिंह—अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को इसके मानने में केवल यह कठिनाई है कि उन्हें डिफाइन करना पड़ेगा। तो केवल क्लेरिकल कठिनाई के कारण जनता के अधिकारों का हनन करना उचित नहीं है। इस संशोधन को उन्हें मान लेना चाहिये, क्योंकि उनके दल में भी बहुत से ऐसे आदमी हैं जो सत्याग्रह के सिलसिले में सजा पा चुके हैं, विरोधी दल में भी ऐसे लोग हैं और उनको अधिकार है कि वे चुनाव लड़ सकें। इसलिये उन्हें इस बात को अवश्य मान लेना चाहिये और मैं इसका समर्थन करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के विषय में मैं माननीय मंत्री जी से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि सजा की बात तो उसमें जैसे रखी गयी है उससे यह प्रतीत होता है कि अगर किसी को फौजदारी के मुकदमें में सजा मिली हो या किसी के ऊपर १० रुपये जुर्माने की सजा मिली हो या किसी और तरह की सजा मिली हो तो वह भी सजा ही है। इसलिये आपको इस संशोधन को मान लेना चाहिये। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि इस संशोधन को मान लेने में उनको कोई विशेष आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी की यह दलील है कि इसको मान लेने से उनके सामने कठिनाई आ जायगी और उन्हें फिर डिफाइन करना पड़ेगा। इस संशोधन को मानने में उनको थोड़ी बहुत कठिनाई होगी, यह हो सकता है, लेकिन इसको न मानने से बहुत से लोग अपने एक बहुत बड़े अधिकार से वंचित रह जायेंगे। माननीय मंत्री जी ने जो बिल का स्वरूप प्रस्तुत किया है, इसके अनुसार यह है कि अगर कोई व्यक्ति जिसे राजनीतिक कारण से दो वर्ष से अधिक की सजा हुई होगी, वह इस अधिकार से वंचित रह जायगा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव लड़ सके। यदि कोई ऐसा अपराधी है जिसको फौजदारी के मुकदमे में सजा हुई होगी और वह जेल गया होगा, वह भी इस अधिकार से वंचित रह जायगा। मेरा तो सुझाव यह है कि अगर कोई नैतिक अधःपतन के अपराध में जेल गया हो और उसे सजा हुई हो तो उसको इस अधिकार से वंचित किया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। ऐसी व्यवस्था पंचायत राज ऐक्ट में की गयी है, यद्यपि ऐक्ट में यह पूर्ण रूप से डिफाइन नहीं किया गया है कि आई० पी० सी० की कौन-कौन सी धाराएं हैं जिनके अनुसार मोरेल टरपिट्यूड का अपराधी माना जायगा, लेकिन बाद में गवर्नमेंट का एक जी० ओ० निकला जिसमें यह है कि फलां-फलां धाराएं हैं जिनमें किसी को सजा हुई होगी तो वह नैतिक अधःपतन का अपराधी माना जायगा। उसी जी० ओ० को मन्त्री महोदय यहां उठा कर लागू कर सकते हैं। इस तरह से माननीय मंत्री जी की कठिनाई भी कम हो जायगी और बहुत से लोगों का जो मूल अधिकार है वह भी उनको मिल जायगा।

श्री रामायणराय—मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने उत्तर देते हुए यह कहा कि पोपुल्स रेप्रेजेंटेशन ऐक्ट से यह क्लाज बारो किया गया है। तो श्रीमन्, दिक्कत इसीलिये है कि सारी चीजें तो बारी की गयी नहीं, एक चीज को उठा कर रख दिया गया। इसीसे गड़बड़ी पैदा हो गयी है। मोरेल टरपिट्यूड की सारी चीजें मौजूद हैं, यह क्लाज उसमें रखा गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर माननीय मंत्री जी चाहें तो उसे हम आपके सामने रख सकते हैं। यह केवल एक क्लाज रखने से बड़ी गड़बड़ी हो जायगी इसीलिये आप से आग्रह किया जा रहा है।

श्री उग्रसेन—अध्यक्ष महोदय, मुझे केवल इतना निवेदन करना है कि अभी मंत्री जी ने कहा कि अगर यह नहीं रखा जायगा तो बड़ी गड़बड़ी हो जायगी, लेकिन पार्लियामेंट और असेम्बली के चुनाव होते हैं उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती है। मोरल टरपिट्यूड के सम्बन्ध में जो भारतीय दंड विधान की कुछ दफायें है उन्हें कोट किया जा सकता है, लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि मंत्री जी को इसमें क्या दिक्कत होगी। यह तो फंडामेंटल राइट की बात है, हमारी सोशलिस्ट पार्टी के लोगों को राजनीतिक मामलों में ३१-३१ मास की सजा हुई है, वह भी इस चुनाव में भाग नहीं ले पायेंगे, श्री राजनारायण जी को भी सजा हो चुकी है, वह तो हर साल जेल जाते हैं वह भी जिला बोर्डों के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। इसलिये मंत्री जी कृपा कर के इस संशोधन को मान लें बाकी तो जैसा वह चाहते हैं विधेयक पास हो ही रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---अध्यक्ष महोदय, अगर मुझे यह मालूम हो जाय कि 'मोरल टरपिट्यूड' कहां पर डिफाइन्ड है या पहले जो हमारा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट था उसमें डिफाइन्ड हो तो हमें उसे मानने में एतराज नहीं है ।

श्री चन्द्रजीत यादव---अध्यक्ष महोदय, पन्चायत राज ऐक्ट के सम्बन्ध में जो जी० ओ० हुआ है उसमें कुछ धारायें हैं 'मोरल टरपिट्यूड' के विषय में उसी को इसमें ले लें ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---अगर वह है तो मानने में हमें कोई एतराज नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---और लोगों को बोलने दिया जाय, तब तक माननीय मंत्री जी पता लगा लें ।

*श्री सुल्तान आलम खां---जनाब स्पीकर साहब, इस वक्त जो संशोधन हमारे सामने है उसको तो मैं भी जाती तौर पर पसन्द करता हूं । मेरा खयाल है कि हमारे यहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट में और म्युनिसिपल बोर्ड ऐक्ट में बराबर यह चीज रही है कि जो जरायम मोरल टरपिट्यूड के मातहत आते हैं उनके ऊपर तो पाबन्दी लगाई गई है कि उनके मातहत जुर्म करने वाले डिसक्वालीफाई हो जाते हैं, लेकिन जो जुर्म मोरल टरपिट्यूड के मातहत नहीं आते हैं, अखलाकी जुर्म नहीं होते उन पर पाबन्दी लगाना ज्यादा बेहतर नहीं है । पीपुल्स रिप्रिजेंटेशन ऐक्ट में भी यह है । मेरे पास वह किताब इस वक्त नहीं है, लेकिन उसमें भी मारल टरपिट्यूड डिफाइन नहीं किया गया है, वह कहीं पर भी डिफाइन्ड नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के एग्जिक्यूटिव आर्डर से ही वह चीज तय होती रही है। जब कभी केसेज हुआ करते थे, मुझे खुद भी तजुरबा है जब मैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड में था उस वक्त किसी को इस तरह के जरायम में सजा होती थी तो डिसक्वालिफाई होने का सवाल उठता था, मामला गवर्नमेंट को रेफर किया जाता था और सरकार कुछ दफात को मोरल टरपीट्यूड के अन्दर रखकर फैसला कर देती थी । यहां तक कि दफा ३०४ कलपेबिल होमीसाइड के मामले भी उसमें नहीं आये थे लेकिन ३०२ या ३०५ के चोरी, डकैती वगैरह के जो अखलाकी जुर्म होते थे उस पर वह एप्लाई करता था। अगर हम इस संशोधन को नहीं मानते हैं तो जो लिबर्टी हमें संविधान ने दे रखी है उससे भी पीछे चले जायेंगे । इसलिये मैं भी इस संशोधन की ताईद करता हूं और माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि वह इसे कबूल फरमायें ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय स्वशासन मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि जो संशोधन रखा गया है उसे वह स्वीकार करें और उन्हें उसके स्वीकार करने में कोई कानूनी दिक्कत नहीं होगी । जो पार्लियामेंट का या विधान सभा का चुनाव हुआ है उसमें भी प्राविजन रहा है कि किस तरह के लोगों को वंचित किया जाय और किस तरह के लोगों को न किया जाय । जब यहां टाउन एरिया और म्युनिसिपैलिटीज का ऐक्ट संशोधन के लिये आया था और जब वहां के नेता सदन माननीय गोविन्द वल्लभ पंत थे तो टाउन एरिया ऐक्ट में उधर से संशोधन आया था कि दो वर्ष की सजा भ्रष्टाचार के अभियोग में भी हो तो उन्हें भी चुनाव लड़ने के लिये अधिकार दिया जाय । मुझे पूरी तरह याद है कि हम लोगों ने इसकी मुखालिफत की । अन्त में माननीय पंत जी ने मध्यस्थता की कि छः महीने की जो सजा हो उसको बरी कर दिया जाय । म्युनिसिपल बोर्ड और टाउन एरिया ऐक्ट में भी है । फिर शर्मा जी को इसको मानने में क्या आपत्ति है ? मैं चाहता हूं कि आप इस तरह की बंदिश न लगायें । चोरी, डकैती आदि जुर्मों में जिनको सजा हुई हो उनको उम्मीदवार होने मत दीजिये, लेकिन बहुत से ऐसे आदमी हैं जो कि कत्ल में फंसाये जाते हैं, फौजदारी में फंसाये जाते हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]
जिनको आप सत्याग्रही नहीं मानते हैं, उनको देश के बहुत से लोग सत्याग्रही मानते हैं, उनको भी सजा होती है। उनको इस अधिकार से वंचित करना कम से कम शर्मा जी के लिये उपयुक्त नहीं है। मैं आपके द्वारा शर्मा जी से विशेष करबद्ध निवेदन करूंगा कि इस संशोधन को स्वीकार करें।

श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)---माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन जो प्रस्तुत है माननीय जगवीरसिंह जी के द्वारा, इससे संविधान के मौलिक अधिकारों का गम्भीर प्रश्न संबंधित है।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---रास्ता बताइये। मैं स्वीकार कर सकता हूं।

श्री रामशरण यादव---मैं आपकी सूचना के लिये निवेदन करूं कि रिप्रेजेंटेशन आफ पीपुल्स ऐक्ट में मोरल टरपिट्यूड डिफाइन है। आपका यह कहना है कि हमें डेफिनीशन और डिटेल देना पड़ेगा। कोई डिटेल नहीं है।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, मैं साफ कर दूं ताकि सदन का व्यर्थ समय न नष्ट हो। अगर उसके अन्दर यह डेफाइंड है जैसा कि माननीय सदस्य कहते हैं तो हम वहां से बारो कर लेंगे और अगर नहीं है तो इसमें यह प्राविजो हो जाय, ऐज में बीडिफाइंड बाई स्टेट गवर्नमेंट बाई आर्डर (as may be defined by State Government by order) तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष---तो यह बात ठीक है। आप का कहना यह है कि निम्न वाक्य होना चाहिये:---

"any officer involving moral turpitude to be defined by State Government."

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन् मैं एक निवेदन कर दूं। जो पहले का पुराना ऐक्ट है उसकी भाषा यह है---

"9. A person, notwithstanding that he is otherwise qualified, shall not beentitled to be or to remain enrolled as an elector if he has been sentenced under the Indian Penal Code to imprisonment for a term exceeding six months or to transportation for an offence or convicted by a criminal court of an offence which is declared by the State Government to imply such moral turpitude as to unfit him to be an elector....."

उसको रहने दें उसी का संशोधन आया है।

श्री अध्यक्ष---वह तो दूसरी बात है। वह तो इलेक्टर के लिये है। यह डिस्क्वालिफेकेशन टु मेम्बरशिप है।

श्री राजनारायण---जो एलेक्टर नहीं होगा वह मेम्बर कैसे होगा? जो एलेक्टर के लिये है वही मेम्बर के लिये कर दें।

श्री अध्यक्ष---यह क्लाज दूसरा है।

श्री राजनारायण---मैं श्रीमन् यह कह रहा था कि जो इसकी लैंगुएज है माननीय मंत्री जी मान लें। उसी लैंगुएज को उसमें रख लेंगे।

श्री अध्यक्ष---मैं लौट कर नहीं जा सकता हूं।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव---माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं माननीय जगवीरसिंह जी के संशोधन में एक शाब्दिक संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि माननीय जगवीर सिंह जी के संशोधन में "इनवाल्विंग मोरल टरपिट्यूड" के बाद "ऐज मे बी डिफाइन्ड बाई दी स्टेट गवर्नमेंट" इसको जोड़ दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---तो मैं अब इसके ऊपर राय ले लेता हूं ।

श्री राजेन्द्रसिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि इसमें ये शब्द जोड़ दिये जायं कि "as defined in schedule" और शिड्यूल बन बाद में हम लोग बैठकर तय कर लेंगे । अब क्या मालूम स्टेट गवर्नमेंट क्या डिफाइन करे ।

एक सदस्य---अध्यक्ष जी, यह आलरेडी डिफाइन्ड है ।

दूसरा सदस्य---श्रीमान जी, एक निवेदन करना चाहता हूं कि मारल टरपीट्यूड की कहीं आज तक डेफीनीशन भी है ?

श्री अध्यक्ष---इसीलिए तो वह कहते हैं कि वह इसको इन्युमरेट करना चाहते हैं ।

श्री राजनारायण---हमारा कहना है कि जो पुराना क्लाज है वही रहने दिया जाय:.....

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल (जिला आगरा)---बजाय "as defined by the State Government'" के बजाय "as declared by the State Government from time to time" रख दिये जायं तो ज्यादा उपयुक्त होगा । डिफाइन करना स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शन में नहीं आता । declared by the State Government from time to time ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---"as notified by the State Government in the official *Gazette* from time to time" ये शब्द रख दिये जायं ।

श्री राजनारायण ---श्रीमन्, इस क्लाज पर विवाद इस समय बन्द कर दें और इसके आगे चलें ।

श्री अध्यक्ष ---आगे चलने का सवाल नहीं है । अब तो ऐसा है कि माननीय मंत्री जी, इस बीच में घंटे भर का समय है, अपने लीगल ड्राफ्टमेन की सलाह ले लें कि क्या शब्दावली रखना चाहिये । मन्शा मालूम हो गई । 'मारल टरपीट्यूड' ये शब्द इसमें आना चाहिए । अब उसके बाद उनका स्पष्टीकरण करने के लिये एग्जैक्ट वर्ड्स जो होंगे वह आप बाद में पेश कर दें। उसके ऊपर राय ले ली जायगी जब हम फिर यहां बैठेंगे ।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १८ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री उपाध्यक्ष---माननीय स्वशासन मंत्री जी, कुछ मारल टरपीट्यूड के बारे में समझौता हुआ आप लोगों में ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---जी, सेक्शन ८ के (j) में यह चल रहा था: "has been convicted by a court in India of any offence....." इसकी जगह इतना और बढ़ा दिया जाय, वह मैं अभी आपके पास लिख कर भेज दूंगा : "offence notified from time to time by the State Government in the *official Gazette* as involving moral turpitude and sentenced to imprisonment for not less than two years." Two years को करना होगा "six months" क्योंकि 'two years' मीनिंगलैस है । यह मान लिया जाय तो बाकी सब ठीक है ।

श्री उपाध्यक्ष---तो जो ४४ और ४५ नम्बर के संशोधन हैं इन्हीं में आप ठीक क दीजिये वह स्वीकृत हो जायगा ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---हां, यही है । क्योंकि मारल टरपीट्यूड डिफाइन नहीं है इस वास्ते यही रख लिया जाय कि गजट में नोटीफाई हो जाय और "two years" की जगह "six months" हो जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष---अच्छी बात है। आप भिजवा दें।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---मैं भिजवा रहा हूं, श्रीमन्।

श्री राजनारायण---"and approved by the Legislature" इतना और बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहिये।

श्री राजनारायण---मैं यह निवेदन करूंगा, श्रीमन्, कि जब चर्चा चल रही थी सुबह तो अध्यक्ष महोदय ने मंत्री जी से कहा था और मंत्री जी से स्वीकार कराके उसके मुताबिक कर लिया। हमारी दिक्कत यह है कि इस समय भी जमीन और धन के बटवारे की मांग करने के लिये ३१ महीने की सजा होती है। तो कहीं यह भी मारल टरपीट्यूड में न आ जाय और जो हमारे भाई सुरेशप्रकाश जी बैठे हुए हैं उनको तो दिक्कत होगी नहीं....

श्री सुरेशप्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)---हो सकती है। कभी हम भी उधर आ सकते हैं।

श्री राजनारायण---आइये। हम खुद चाहते हैं कि सरकार कोई ऐसी चीज करे। इंडियन पैनल कोड में जो दफायें हैं, डकैती के बारे में, लड़की के भगाने के बारे में, यह सब मारल टरपीट्यूड में आता है, लेकिन यह रखना कि "as defined by the State Government" यह ठीक नहीं है। तो मेरा कहना है कि अगर कुछ खास सेक्शन मंत्री जी रख दें तो हमें कोई एतराज नहीं है।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---उसमें दाढ़ी रखना भी आ जायगा।

(हंसी)

श्री राजनारायण---अभी चाहे बुरी लगे, लेकिन आगे की अवस्था में यह दाढ़ी खूबसूरती की चीज होती है। इसलिये मेरा कहना है अरे भाई कि खास सेक्शन्स डिफाइन कर दो तो अच्छा है। मान लिया जाय माननीय विचित्र नारायण शर्मा जी मंत्री न रहें और दूसरा कोई घामड़ मंत्री आ गया तो जुल्म ढा देगा।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---भाई, अभी तो आम चुनाव कराना है। इसलिये अगर करना है तो अभी तय कर लो।

श्री राजनारायण---अरे भाई, कह तो रहे हैं कि....

श्री उपाध्यक्ष---यह शब्द जो 'अरे भाई' आपने इस्तेमाल किया उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, हम कोई भाषण नहीं दे रहे हैं, आपसी सुझाव की बातचीत चल रही है।

श्री उपाध्यक्ष---जी नहीं, सदन में आप बात कर रहे हैं, इतना ध्यान रखिये।

श्री राजनारायण---'अरे भाई' अनपार्लियामेन्टरी भी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---नहीं। आप उनको इस प्रकार ऐड्रेस ही नहीं कर सकते, आपको केवल मुझे सम्बोधित करना चाहिये।

श्री राजनारायण---मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसे डेफिनिट होना चाहिए, वेगनेस में बराबर अन्याय होता रहता है।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—किसी भी स्टेज पर हाउस के लिये ओपेन है कि इसको वह डिफाइन कर दे ।

श्री उपाध्यक्ष—इस समय आप इसमें यह रख दें कि नियमों में इसकी व्यवस्था हो जायगी ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इसके लिये ओरिजिनल ऐक्ट देखना होगा । वह इस समय है नहीं । उसमें देखना होगा कि किस जगह इसे फिट इन किया जा सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष—आप यह रख दें कि नियमों में इसकी व्यवस्था कर दी जायगी तो माननीय राजनारायण जी की जो शंका है वह भी दूर हो जायगी ।

श्री विचित्र नारायण शर्मा—इस समय तो जो इलेक्शन होंगे उनके लिये ही यह लागू होगा । मैं आश्वासन दिलाता हूं कि जिस समय नोटिफिकेशन होगा तो राजनारायण जी से राय ले लूंगा और उन्हें कन्विस हो जाना चाहिये कि कम से कम उन पर यह लागू नहीं होगा । अभी इसको चलने दीजिये ।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ में प्रस्तावित धारा १३ की उपधारा (j) की पंक्ति ३ में शब्द "two years" एवं शब्द "unless a" के बीच में शब्द "or bound down under section 109 or 110, Cr. P. C." जोड़ दिये जायं । इसके साथ ही इस सेक्शन में जो कांसिक्वेन्शल अमेंडमेंट और होता है उसे भी मैं पेश किये देता हूं जो इस प्रकार है :—

अन्त में "कोलन" को हटा कर "Or expiry of the period for which security has been demanded under section 109 or 110, Cr. P. C." जोड़ दिये जायं ।

इस संशोधन को पेश करने की आवश्यकता इस वजह से हुई कि प्रस्तावित धारा १३ की उपधारा (j) का तात्पर्य यह है कि स्थानीय निकायों में शुद्धता और पवित्रता रहे और उनमें अवांछनीय व्यक्ति चुन कर किसी तरह से न आ सकें या कम से कम चुन कर आ सकें । इसीलिये मैंने यह व्यवस्था रखी है कि जिनसे १०९ व ११० के मातहत जमानत मांगी गई हो वे चुनाव में हिस्सा न ले सकें ।

मैं श्रीमन् का ध्यान दफा १०९ और ११० सी० आर० पी० सी० की ओर दिलाना चाहता हूं । दफा १०९ वह सेक्शन है जिसमें वे आदमी आते हैं जिनका कोई जरिया माश न हो, आवारा हों या ऐसी हालत में पाये जाते हों कि जुर्म की नीयत से अपने को छुपाये हों । उसमें मैजिस्ट्रेट को अख्तियार है कि साल भर तक का मुचलका मांगे । दफा ११० का मंशा यह है कि जो आदमी सोसाइटी के लिये और कम्युनिटी के लिये खतरनाक हो और जो चोरों व डकैतों को पनाह देता हो, जालसाजी करता हो और इस किस्म की हरकत करता हो जिससे उसका बाहर रहना सोसाइटी की सिक्योरिटी के लिये खतरनाक साबित हो तो उससे मैजिस्ट्रेट ३ वर्ष तक के लिये मुचलका मांग सकता है । ये जुर्म इतने सीरियस हैं कि ऐसे लोगों को मेम्बरी के लिये चुनने की इजाजत देना हमको शोभा नहीं देता । कोई शख्स पाबन्द मुचलका है ३ वर्ष के लिये और पुलिस आवाज भी लगाती है और वह मेम्बरी के लिये खड़ा होता है तो यह अच्छा नहीं मालूम होता कि वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मेम्बर भी हो और पुलिस उसके घर पर आवाज भी लगाती रहे । मैं समझता हूं कि हमारे अपोजीशन के मित्र भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि दफा १०९ व ११० के मातहत जो लोग पाबन्द मुचलका हैं उनको इजाजत न दी जाय कि वे बोर्ड की मेम्बरी के लिये खड़े हो सकें । इसलिये मैं आपकी आज्ञा से इस संशोधन को पेश करता हूं ।

*श्री शिवराज बहादुर—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका विरोध करता हूं। ये जो दफा १०९ और ११० जाब्ता फौजदारी की पाबन्दी लाने के लिये मेरे दोस्त ने तजवीज रखी है, इसमें कोई सार नहीं है। जहां तक दफा १०९ और ११० का ताल्लुक है, ये दोनों दफात सुपरफ्लुअस हैं। ये केवल प्रिवेंटिव सेक्शन हैं और इसलिये रखे गये हैं कि कोई जुर्म न करे। न जुर्म करने की कोशिश है, न इंटेंशन है, न प्रिपेरेशन है, न ऐटेम्प्ट है। तीनों चीजें जो जुर्म को बनाती हैं उनमें से कोई नहीं है। खाली शुबहे पर यह कह देना कि हम १०९ और ११० के मातहत जिन लोगों का मुचलका किया गया है, वह न खड़े हो सकें, उनको डिबार किया जाय, यह नामुनासिब है।

१०९ में दो चीजें हैं। आदमी का कोई घर न हो और न जरिये माश हो। तो माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके जरिये सदन में अर्ज करना चाहता हूं कि आज हम देखते हैं कि कितने लोग बेकार हैं। इस देश में जबरदस्त बेकारी है, सैकड़ों और हजारों की तादाद में ऐसे लोग मिल जायंगे जो चाहते हैं कि हमें काम मिले। ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हाई स्कूल पास हैं, और भी बहुत-सी परीक्षाएं पास हैं और चाहते हैं कि उनको काम मिले, लेकिन अनएम्पलायमेंट इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि उनको काम नहीं मिलता। आज एम्पलायमेंट एक्सचेंज में देखें तो हजारों की तादाद में वहां ऐसे नाम दर्ज हैं जिनको कोई पेशा नहीं मिल पाता। तो वे लोग ऐसे हैं जिनका कोई पेशा नहीं है। इस तरह से अगर देखा जाय तो काउंटलेस, मुताद्दिद, ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास कोई पेशा नहीं है और रेजीडेंस भी नहीं है, कोई रहने का ठिकाना नहीं है और मारे-मारे फिरते हैं। कहां रहें, कहां ठहरें, इसका पता नहीं। तो ऐसे अच्छे-अच्छे और शरीफ लोग मिल जायंगे जिनके पास ये दोनों चीजें नहीं हैं। म्युनिसिपल कार्पोरेशन बिल में भी इसी किस्म की एक तरमीम थी। उसकी सेलेक्ट कमेटी का मैं भी एक मेम्बर था। जब उसमें यह सवाल आया तो मैंने जबलपुर, नागपुर, मद्रास के कारपोरेशन्स का हवाला देते हुये कहा कि सबका मैंने भली-भांति मुताला किया है। वहां जितनी डिस्क्वालिफिकेशंस हैं उनमें १०९ और ११० का कहीं तजकिरा नहीं है।

तो १०९ का मैंने जिक्र किया। ११० के बारे में भी यही है कि वह प्रिवेंटिव सेक्शन है। उसमें कोई जुर्म नहीं है, इतना है कि हमको शुबहा है कि फलां आदमी चोरों को पनाह देता है, फलां ऐसा है जो खतरनाक है पब्लिक के लिये और जिससे खतरे की आशंका हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि किसी जुर्म का मुर्तकिब हो, खाली शुब्हा पर फंसा देते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको १०९ और ११० में सजायें हुईं और बाद में एलाऊ किया गया। तो मेरी राय में १०९ और ११० की कोई पाबन्दी किसी शख्स पर नहीं होनी चाहिये और इसी वजह से आज हमारे पास कोई पैरेलल ऐसी मिसालें नहीं हैं जिनकी वजह से हम उनको डिबार कर सकें। इसलिये मैं शदीद अल्फाज से मुखालिफत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—अब दोनों पक्षों को जो स्वीकार है ऐसा संशोधन मेरे पास अभी आया है। यह ४४, ४५ और ४६ के विषय में है। इसे मैं उपस्थित करता हूं, अगर यह सदन स्वीकार कर लेता है तो आप लोग ये तीनों संशोधन वापस कर लेंगे।

'खंड ८ में प्रस्तावित धारा १३ की उपधारा (j) में शब्द "any offence" तथा शब्द "and sentenced" के बीच में शब्द "notified from time to time by the State Government as involving moral turpitude" तथा शब्द "two years" के स्थान पर शब्द "six months" रख दिये जायं।'

यानी समय-समय पर वह निर्धारित करे कि 'मारल टरपीट्यूड' क्या होंगे और मियाद दो साल के बजाय ६ महीने कर दी गयी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजनारायण—सजा की लिमिट क्यों रखी जाय, इसकी क्या आवश्यकता है। श्रीमन्, मैं तो जनतंत्रवादी हूं। मैं तो समझता हूं कि अगर कोई चोर और बदमाश होगा तो उसको जनता वोट ही नहीं देगी। यह बड़ा विवादास्पद प्रश्न है कि आखिर जिसको सजा हो गयी है वही डकैत है और जो बाहर बैठा है, पैसे खाता है, डकैती करता है और पकड़ा नहीं जाता वह डकैत है।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—केवल दो मिनट का समय दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—आपके नेता पहले बोल लें।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, हम अपना नियम बना चुके हैं कि हम तो चाहते हैं यह बिल पास हो। हम तो अपना सुझाव देकर बैठ जायेंगे, भाषण करने की हमारी मनोवृत्ति नहीं है। हमने अपनी बात कह दी। हम तो इस पक्ष के हैं कि कौन डकैत है, राजनारायण डकैत है या विचित्रनारायण जी डकैत हैं या कमलापति तिवारी जी डकैत हैं इसका निर्णय जनता को करने दीजिये।

(श्री टीकाराम पुजारी के पुनः उठने पर)

श्री उपाध्यक्ष—आप इसी मारल टर्पीट्यूड पर बोलना चाहते हैं? आपको आगे समय मिलेगा।

एक सदस्य—श्रीमन्, इसकी हिन्दी तो कर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—यह बिल अंग्रेजी में है। उसका मतलब है कि मारल टर्पीट्यूड से यानी नैतिक पतन का जो अपराध घोषित किया जायगा उसे राज्य सरकार निर्धारित करेगी, जिन्हें ६ महीने की सजा हो गई होगी उनको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के इलेक्शन्स में खड़े होने की मुमानियत होगी।

*श्री बालकराम (जिला शाहजहांपुर)—यह तो सब में हो सकता है। किसी को चोरी तथा डकैती में तीन महीने की सजा हो गई है वह खड़ा हो सकता है इसलिये इसमें मियाद की जरूरत नहीं, बल्कि जिसको चोरी-डकैती में सजा हुई हो वह खड़ा नहीं हो सकता है, यह होना चाहिये। अगर मियाद रहेगी तो किसी को सत्याग्रह में साल भर की सजा हो गई तो वह नहीं खड़ा हो सकेगा। इसलिये इसमें यह होना चाहिये कि जिनको चोरी-डकैती आदि में सजा हुई है वह खड़े नहीं हो सकते।

श्री उपाध्यक्ष—आप कृपा कर बैठ जाइये। एक संशोधन सरकार की तरफ से आ गया है। इस पर वोट ले लिया जाय और बाकी संशोधन ४४,४५,४६ वापस ले लिये जायेंगे। क्या माननीय सदस्य उन्हें वापस लेते हैं?

(हाँ, हाँ की आवाजें)

(सदन की अनुमति से तीनों संशोधन वापस लिये गये।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड ८ द्वारा प्रस्तावित धारा 13 की उपधारा (j) में शब्द "any offence" तथा "and sentenced" के बीच में शब्द "notified from time to time by the State Government as involving moral turpitude" तथा शब्द "two years" के स्थान पर शब्द "six months" रख दिये जायं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, इन दोनों को अलग-अलग ले लिया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—मैं इसके पहले अंश पर मत ले लेता हूं। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड ८ द्वारा प्रस्तावित धारा 13-J में शब्द "any offence" तथा शब्द "and sentenced" के बीच में शब्द "notified from time to time by the State Government as involving moral turpitude" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८ में प्रस्तावित धारा 13-J में शब्द "two years" के स्थान पर शब्द "six months" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ:—

पक्ष में—५९,
विपक्ष में—२७।)

श्री जगवीरसिंह—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध और रख दिया जाय:—

"Provided also that this disqualification shall not operate against a person whose appeal is pending against such convictions in any Appellate Court."

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि मंत्री जी को इसके मानने में कतई आपत्ति नहीं होगी। ऐसा देखने में आया है कि नीचे की कोर्ट से गलत सजायें हो जाती हैं और अपील में जा कर छूट जाते हैं। तो अंतिम फैसला ही ठीक फैसला माना जाता है। इसलिये ऐसे लोगों को और मौका देने के लिये जिनको गलत तरीके से फंसा कर, सिफारिश करके और न मालूम कैसे-कैसे छोटे कोर्ट्स में सजा करा दी जाती है, जबतक अंतिम फैसला उनके खिलाफ न हो उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिये मैं अत्यन्त आवश्यक समझता हूं कि मेरे इस संशोधन को मंत्री जी मान लें।

*श्री सुल्तान आलम खां—माननीय डिप्टी स्पीकर साहब आपकी इजाजत से मैं खंड ८ में निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं:—

आखिरी प्रतिबन्ध के आगे एक और प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय जो इस तरह से हो—

"Provided further that in case of (j) the disqualification will have no effect till the appeal, if preferred, is pending with the Appellate Court."

मेरा यह अमेंडमेंट उससे मिलता-जुलता है जो मेरे दोस्त ने अभी पेश किया था, लेकिन इसके वर्डिंग्स में कुछ थोड़ा सा फर्क है और वह मैंने इस खयाल से रखा है कि मैं यह महसूस करता हूं कि अगर इस अमेंडमेंट को आप मंजूर कर लें तो इसमें कुछ कंफ्यूजन बाकी नहीं रहेगा। जो अमेंडमेंट अब पेश है, उसमें यह लिखा है:—

"Provided also that this disqualification shall not operate against a person whose appeal is pending against such convictions in any Appellate Court."

इससे यह चीज साफ नहीं होती, जहां तक मेरा खयाल है कि यह उसी वक्त लागू हो जब अपील का फैसला हो जाय और Subject to the decision of the appeal प्रतिबन्ध का लागू होना खत्म हो जाय। मेरे कहने का मंशा यही है कि उसकी डिस्क्वालिफिकेशन सिर्फ उस वक्त तक कायम रहेगी जब तक उसकी अपील पेंडिंग रहे। अगर अपील पेंडिंग नहीं रहती है और फैसला हो जाता है तो फिर जो उसका फैसला होगा उसके मातहत उसकी डिस्क्वालिफिकेशन या क्वालिफिकेशन का सवाल उठेगा। अगर मंत्री जी को यह पसन्द होगा तो रहेगा वरना मैं इसको वापस ले लूंगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री चन्द्रजीत यादव—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय जगवीर सिंह जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—आप जरा माननीय सुल्तान आलम खां का संशोधन ले कर देख लें, वह आपके नजदीक हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव—दोनों की मंशा एक ही है केवल वर्डिंग का फर्क है।

श्री उपाध्यक्ष—तो उनको यह शिकायत रहेगी कि एक का आप समर्थन करते हैं और दूसरे का नहीं।

श्री चन्द्रजीत यादव—समर्थन तो मैं उनको बधाई दे करके करने जा रहा था। वर्डिंग में भी कोई खास बात नहीं मालूम होती जिसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता हो। इस संशोधन की आवश्यकता इसलिये है और तजुर्बा यह बताता है कि जो मातहत अदालतें हैं वह जिस प्रकार से फैसला करती हैं और जब तक हमारे प्रदेश में दुर्भाग्यवश एक्जिक्यूटिव और जुडिशियरी दोनों अलग-अलग नहीं हो जाती हैं तब तक लोअर कोर्ट के फसलों क रहत हुये ऐसा प्रतिबन्ध अगर होगा तो मैं समझता हूं इससे बहुत से लोगों के अधिकार छिन जायेंगे। यह बात भी सही है कि जब मातहत अदालत के फैसले के खिलाफ अपील में कोई आपत्ति हो और जब तक उस अपील का फैसला उच्च न्यायालय से न हो जाय तब तक उनके उस अधिकार को नहीं छीनना चाहिए। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को कोई आपत्ति इसमें नहीं होगी और वह उस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री राजनारायण—प्वाइन्ट आफ आर्डर, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी सदन में खड़े होकर गैलरी में बैठे अफसरों से बात कर रहे थे इससे सदन का अपमान होता है। अगर उनको बात करनी हो तो वे लाबी में चले जायं।

श्री उपाध्यक्ष—वे समझ गये और उन्होंने सुधार कर लिया है।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, इसमें एक ही खतरा है। अपील हमेशा उसके पक्ष में ही होगी यह जरूरी नहीं है। अगर कोई एक आदमी अपील कर दे और उस जगह पर एक अनडिजायरेबिल आदमी आ जाय तो वह आदमी जब तक फैसला न हो जाय उस पद पर बना रहेगा। तो अगर ऐसा हो कि बाद में उसकी डिस्क्वालिफिकेशन रिमूव की जाय तो फिर मैं इसको मान लूंगा।

श्री उग्रसेन—मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जगवीरसिंह जी का जो संशोधन है वह बिलकुल साफ है। उसको उसी रूप में मान लिया जाय तो अच्छा है। सुल्तान आलम साहब ने जो संशोधन दिया है उससे बहुत भ्रम उत्पन्न हो सकता है। इसलिये जगवीरसिंह जी के संशोधन को मान लेने की कृपा करें। यह कानून जनता का है और जनता को इससे लाभ होना है तो यह कानून सीधा-सादा होना चाहिये और टेढ़ा-मेढ़ा नहीं होना चाहिये। जब तक उसकी अपील पेंडिंग है तब तक वह आदमी डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिये। यह बहुत क्लीयर है और इसको स्वीकार करना चाहिये।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—मैं इस संशोधन की आत्मा की प्रशंसा करता हूं, लेकिन इसकी जो शब्दावली है वह भ्रांतिपूर्ण है। अपील का शब्द ही क्यों रखा जाय। रिवीजन का शब्द रखा जा सकता है। रिवीजन में भी वही बात रहती है जो अपील में रहती है। मेरा ऐसा विश्वास है कि इसके लिये शब्दावली तैयार हो रही है और वह सामने आ गई तो मैं इसका समर्थन करूंगा। इसकी जो आत्मा है उससे किसी को मतभेद नहीं है। इस संशोधन का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति के लिये ये शब्द स्पष्ट नहीं है।

[श्री रामलखन मिश्र]

शब्दों में जो त्रुटि है उसी पर मेरी आपत्ति है। उसके लिये रिवीजन शब्द भी हो सकता है। रिवीजन की शक्ल में उसको लिया जा सकता है। उद्देश्य की पूर्ति के लिये किस प्रकार के शब्द हों इस पर विचार करने की आवश्यकता है। वैसे मैं इसकी आत्मा की प्रशंसा करता हूं।

श्री राजनारायण---माननीय मंत्री जी ने शंका प्रस्तुत की। उस शंका का निराकरण आगे हो सकता है। मान लीजिये अगर अपील उसकी हो जाय और वह बहाल रह जाता है तो उसके बाद वह डिस्क्वालिफाई हो जायगा और उस पद से हट जायगा। अगर उसकी अपील उसके पक्ष में हो गई तो वह चुना गया। अगर अपील उसके विपक्ष में हो गई तो मेम्बर होते हुये भी वह हट जायगा। उसकी जगह फिर चुनाव होगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो स्वीकार किया है उसके लिये मैं उनको तहेदिल से धन्यवाद देता हूं। ऐसी कुछ शब्दावली कर दी जाय कि "Provided further that the person concerned will further incur that liability," something like this कर दिया जाय

श्री विचित्रनारायण शर्मा---यह कर दिया जाय कि "Provided also that the disqualification under clause (*j*) shall not be operative till the appeal or revision, if any, filed against the conviction is pending".

श्री उपाध्यक्ष---मेरे पास भेज दें, मैं इस पर मत ले लेता हूं।

(एक क्षण पश्चात)

प्रश्न यह है कि खंड ८ में प्रस्तावित धारा 13 (j) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय:---"Provided also that the disqualification under clause (*j*) shall not be operative till the appeal or revision, if any, filed against the conviction is pending."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---अब मैं माने लेता हूं कि दोनों, माननीय सुल्तान आलम खां साहब और जगवीरसिंह जी अपने संशोधन वापस ले रहे हैं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिये गये।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ९

यू० पी० ऐक्ट संख्या १०, १९२२ की धारा १४ का प्रतिस्थापन।

९---मूल अधिनियम की धारा १४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

"14. (1) No person who is not, and except as expressly provided by this Act, every person who is for the time being entered in the electoral roll of any constituency shall be entitled to vote in that constituency.

Right to vote

(2) No person shall vote at an election in any constituency if he is subject to any of the disqualifications referred to in section 11-B.

(3) No person shall vote at a general election in more than one constituency and if a person votes in more than one such constituency, his votes in all such constituencies shall be void.

(4) No person shall at any election vote in the same constituency more than once, notwithstanding that his name may have been registered in the electoral roll for that constituency more than once, and if he does so vote, all his votes in that constituency shall be void.

(5) No person shall vote at any election if he is confined in a prison whether under a sentence of imprisonment or transportation or otherwise, or is in the lawful custody of the Police :

Provided that nothing in this sub-section shall apply to a person subjected to preventive detention under any law for the time being in force.

Method of voting

14-A. (1) In plural member constituencies every elector shall have as many votes as there are members to be elected, but no elector shall give more than one vote to any one candidate.

(2) If an elector gives more than one vote to any one candidate in contravention of the provisions of sub-section (1) then at the time of counting of votes not more than one of the votes given by him to such candidate shall be taken into account and all other votes given by him to such candidate shall be rejected as void.

Order regarding conduct of elections

14-B. The State Government may, by order, make provision with respect to the following matters concerning conduct of elections, that is to say—

(*a*) issue of notifications for elections;

(*b*) the appointment, powers and duties of Returning Officers, Assistant Returning Officers, Presiding Officers, and Polling Officers and clerks;

(*c*) appointment of dates for nomination, scrutiny, withdrawal and polling;

(*d*) the manner of presentation and the form of nomination paper, the requirements for a valid nomination, scrutiny of nominations and withdrawal of candidature;

(*e*) appointment and duties of election agents, polling agents and counting agents;

(*f*) procedure at general elections including death of candidate before poll, procedure in contested and uncontested elections, special procedure at elections in constituencies where seats are reserved for Scheduled Castes;

(*g*) identification of voters;

(*h*) hours of polling;

(*i*) adjournment of poll and fresh poll;

(*j*) manner of voting at elections;

(*k*) scrutiny and counting of votes including recount of votes and procedure to be followed in case of equality of votes and declaration of results;

(*l*) the notification of the names of the members elected for the various constituencies of a district and the due constitution of the board;

(*m*) return or forfeiture of deposits;

(*n*) manner in which votes are to be given by the Presiding Officers, polling agents or any other person who being an elector for a constituency is authorized or appointed for duty at a polling station at which he is not entitled to vote;

(*o*) the procedure to be followed in respect of the tender of vote by person representing himself to be an elector after another person has voted as such elector;

(*p*) the safe custody of ballot boxes, ballot papers and other election papers, the period for which such papers shall be preserved and the inspection and production of such papers, and

(*q*) generally on all matters relating to conduct of elections.

14-C. (1) Subject to the provisions of sub-section (2) and section 7 when the seat of a member elected to a board is declared vacant or his election is declared void, the District Magistrate shall, in consultation with the board, by a notification in the official *Gazette*, call upon the constituency concerned to elect a person for the purposes of filling the vacancy caused before such date as may be specified in the notification and the provisions of this Act and of the Rules and Orders made thereunder, shall apply as far as may be, in relation to the election of a member to fill such vacancy.

Bye-elections

(2) If the vacancy so caused be a vacancy in a seat reserved in such constituency for the Scheduled Castes, the notification issued under sub-section (1) shall specify that the person to fill that seat shall belong to the Scheduled Castes.

14-D. (1) The provisions of sections 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 and 136 of Chapter III of Part VII of the Representation of the People Act, 1951, shall have effect as if—

Electoral offences.

(*a*) the references therein to an election were a reference to an election held under this Act ;

(*b*) in section 130 *for* the words "100 yards" the words "25 yards" had been substituted ; and

(*c*) in section 133 *for* "clause (5) of section 123", "clause (1) of section 24 of the U. P. District Boards Act, 1922" had been substituted ;

(*d*) in sections 134 and 136 *for* the words "by or under this Act or under the Representation of the People Act, 1950 (XLIII of 1950)," the words "by or under the U. P. District Boards Act, 1922" had been substituted.

(2) If the Director of Elections (Local Bodies) has reason to believe that any offence punishable under section 129 or 134 or under clause (*a*) of sub-section (2) of section 136 of the said chapter has been committed in reference to any election to a board, he may cause such enquiries to be made and such prosecutions to be instituted as the circumstances of the case may appear to him to require.

(3) No court shall take cognizance of any offence, punishable under section 129 or under section 134 or under clause (*a*) of sub-section (2) of section 136 unless there is a complaint made by order of or under authority from the Director of Elections (Local Bodies).

14-E. (1) No Civil Court shall have jurisdiction—

Jurisdiction of Civil Courts

(*a*) to entertain or adjudicate upon any question whether any person is or is not entitled to be registered in an electoral roll of a constituency ; or

(*b*) to question the legality of any action taken by or under the authority of an Electoral Registration Officer or of any decision given by any authority appointed under this Act, for the revision of any such roll ; or

(*c*) to question the legality of any action taken or any decision given by the Returning Officer or by any other officer appointed under this Act in connexion with an election.

(2) No election shall be called in question except by an election petition presented in accordance with the provisions of this Act."

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव रखता हूं कि खंड ९ में प्रस्तावित धारा 14 की उपधारा (5) की पंक्ति ३ में शब्द "otherwise" के बाद के शब्द "or is in the lawful custody of the Police" निकाल दिये जावें।

सभी जानते हैं कि किसी आदमी के पुलिस की रिहासत में आ जाने मात्र से कोई जुर्म नहीं सिद्ध होता है और जब तक जुर्म सिद्ध न हो जाय उसके पहले ही किसी को सजा देना अनुचित है। जैसा विधेयक में है इससे हिरासत में आया हुआ व्यक्ति मत देने से वंचित होगा। यदि एलेक्शन के समय सत्तारूढ़ दल के साथ पुलिस हो जाय और थोड़ी ही वोटों से हारजीत की बात हो, पुलिस १४४ या कोई दफा लगा कर विरोधियों को हिरासत में ले ले जिससे वे वोट देने से वंचित हो जावें तो सत्तारूढ़ दल का उम्मीदवार विजयी हो जावेगा। इसलिये मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव को सत्तारूढ़ दल के लोग भी स्वीकार करेंगे ताकि विरोधी पक्ष-वालों का डर दूर हो जाय।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—बहुत अच्छा, मैं इसे स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ में प्रस्तावित धारा 14 की उपधारा (5) की पंक्ति ३ में शब्द "otherwise" के बाद के शब्द "or is in the lawful custody of the Police" निकाल दिये जावें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामस्वरूप वर्मा—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ९ में प्रस्तावित धारा 14–B की उपधारा (J) में शब्द ""election" के बाद शब्द "by secret ballot system" बढ़ा दिये जायं।

श्रीमन्, मेरा तर्क यह है कि लगभग १० वर्ष से इस देश में सीक्रेट बैलट से चुनाव होते रहे हैं और जनता उससे भलीभांति परिचित हो गयी। परिवर्तन होने से नया तरीका सीखने में समय लगेगा और जो गड़बड़ियां होंगी उनसे अनावश्यक रूप से चुनावों में फर्क पड़ेगा। यह मानी हुई बात है कि ऐसे आवश्यक परिवर्तन से जनता को परेशानी होती है जिससे हमेशा सत्तारूढ़ दल को लाभ और विरोधी दलों की हानि होती है, क्योंकि अधिकारी आमतौर से सत्तारूढ़ दल के साथ कुछ न कुछ तो मेहरबानी करते ही हैं।

दूसरा तर्क यह है कि आम तौर से अनपढ़ लोग ज्यादा हैं। मंत्री जी चाहते हैं कि मार्किंग सिस्टम हो जिसके लिये पढ़ा-लिखा होना आवश्यक है। बे पढ़े लोगों से लाइन या अंगूठा इधर-उधर हो जाता है। अगर न मानें तो मंत्री जी किसी देहाती आदमी को बुला लें और सब लोग देखें कि वह सही अंगूठा या कलम से निशान लगा सकता है या नहीं। मंत्री जी हजारों अनपढ़ लोगों को इससे मतदान से वंचित करेंगे। प्रजातंत्र में तो यह होना चाहिये कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मत को स्वेच्छापूर्वक डाल सकें। रोजाना नये-नये प्रयोग भी नहीं होने चाहिये। सन् १९३६ में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव मार्किंग सिस्टम से हुआ और वह ४८ में बदल दिया गया। असेम्बली और पार्लियामेंट के चुनावों में भी बदल

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

दिया गया । इससे आशंका पैदा होती है कि आखिरकार सरकार अब फिर मार्किंग सिस्टम क्यों चाहती है और इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट के प्रति लोगों में अविश्वास भी पैदा होता है । पिछली मर्तबा कांग्रेस बहुत हारी और सरकारी पक्ष की संख्या बहुत कम हो गयी तो पब्लिक में यह धारणा हो सकती है कि सरकार ने इसी कारण से सिस्टम को बदल दिया है । पिछली दफा कोई गड़बड़ी नहीं हुई । इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आयी कि वोट नहीं डाले गये या निकाल लिये गये । जब यह सिस्टम सफल हो चुका है तो उस सफलता के बाद इसको क्यों बदला जा रहा है । इसलिये दूसरा सिस्टम इस समय इन्ट्रोड्यूस करने से सरकार के प्रति जनता में अविश्वास पैदा हो सकता है । इसलिये मेरा खयाल है कि सरकार इस प्रस्ताव को मान लेगी । यह एक हानिरहित प्रस्ताव है और जनतंत्र की आवश्यकताओं के अनुसार है तथा जनता को जो शंका हो सकती है, उसको भी दूर करता है, अतः इसको जरूर मान लेना चाहिये ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इसमें कोई शक की बात ही नहीं है कि बैलेट सीक्रेट ही होगा । यह बात जरूर है कि वह नहीं होगा जो पहले था । इस प्रकार का बैलेट असेम्बली और पार्लियामेंट के लिये भी रखा जा रहा है । हम कोई ऐसी नयी चीज नहीं रखना चाहते हैं जो उससे भिन्न हो जिसे पार्लियामेंट और असेम्बली के चुनावों के लिये एलेक्शन कमीशन नियत करे । जो सिस्टम वहां रखा जायगा वही यहां भी ऐडाप्ट किया जायगा, लेकिन वह होगा सीक्रेट ही । इसकी डिटेल्स की बाबत में पहले ही बता चुका हूं । यदि कोई साहब और कोई सुझाव देंगे तो उन पर भी गौर किया जायगा ।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, असल में बहुत सी बातों में हम प्रयोग कर रहे हैं । अगर प्रयोग करने के बाद सचमुच कोई चीज गलत साबित हो तो इंसान को उस आदत को छोड़ देना चाहिये । मैं माननीय रामस्वरूप जी के इस कथन का बिलकुल समर्थन करता हूं कि गुप्त बैलेट के द्वारा ही निर्वाचन हो । यह चुनाव की प्रथा अति उत्तम है । जब तक यह प्रथा नहीं थी, हम लोग सर्वदा मांग करते रहे, पिछले दस वर्षों में उस पर काम हुआ और लोग निर्भय होकर अपना मत दे सके ।

अभी माननीय स्वशासन मंत्री जी ने एक बात बतायी कि एलेक्शन कमीशन जो बात तय करे, उससे हमें अलग नहीं जाना चाहिये । मैं उन्हें स्मरण दिलाने की चेष्टा करता हूं कि बावजूद एलेक्शन कमीशन के गुप्त प्रणाली पर जोर देने के, पंचायतों के लिये हाथ उठाकर वोट देने की प्रथा जारी की गयी । मैंने आपको यह उदाहरण इसलिये दिया कि एलेक्शन कमीशन की सलाह के बावजूद भी हमने कुछ दूसरी प्रथा जारी रखी । उसके द्वारा गांवों में जो अनर्थ हुआ उसको बताने में ज्यादा समय मैं नहीं लेना चाहता । इस सदन के माननीय सदस्यों को उसकी जानकारी है, लेकिन इतने अनर्थ के बाद भी हमने उस प्रथा को जारी रखा । यह बदलाव तो था बुरी तरफ, लेकिन इसमें जो बदलाव बताया जा रहा है वह अच्छी तरफ है, एलेक्शन कमीशन प्रयोग कर रहा है, करे । एलेक्शन कमीशन जब माननीय सदन के विचारों को जानेगा तो उस पर फिर से सोचेगा फिर भी चाहे वह करे या न करे । मैं तो उस प्रथा को बड़ा खतरनाक समझता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, वर्मा जी ने जैसा कहा, चाहे जितनी भी ईमानदारी हो, लेकिन इस प्रथा के बदलने से लोग जरूर समझेंगे कि पिछले सन् १९५२ के चुनाव में और सन् १९५७ के चुनाव में असेम्बली और पार्लियामेंट की ज्यादा सीट्स राजघराना हार गया था और चूंकि इस समय बहुमत में राजघराना ही है, इसीलिये मालूम होता है कि यह मार्किंग सिस्टम लाया जा रहा है जिसमें राजघराने का काम न बिगड़ने पावे । मुझे माननीय शर्मा जी पर बिलकुल शक नहीं है । यह मैं साफ शब्दों में कहता हूं, लेकिन न्याय उसी को कहते हैं जिसे दुनिया न्याय समझ सके । अगर घर में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बैठ कर योग किया जाय या और कोई ऐसी बात की जाय तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सार्वजनिक बातें सार्वजनिक तौर पर दुनिया जान सके, उसका बन्दोबस्त करना चाहिये। अब की मर्तबा जो काम सरकार करने जा रही है उससे लोगों में यह भावना जरूर फैलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, पहले बहुत थोड़े लोग इधर बैठते थे, लेकिन अब १४४ बैठते हैं। ऐसी भावना पैदा हो सकती है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव के साथ-साथ असेम्बली और पार्लियामेंट के चुनाव के लिये वही प्रथा जारी रखने की बात सोची जायगी। मैं बहुत नम्रतापूर्वक इस बात को कहना चाहता हूं कि इस खतरनाक प्रथा को किसी तरह से न आने दिया जाय। इसका परिणाम यह हो सकता है कि इससे बहुत वैमनस्य फैले और वह वैमनस्य इस हद तक बढ़े कि हम उसको जल्दी पाट न पायें। उसका परिणाम बहुत दूर तक यह हो सकता है कि हमें सारे कामों को छोड़ कर उसी को निबटाने में अपना वक्त लगाना पड़ जाय। मैं समझता हूं कि इस पर सरकार को सोचना चाहिये।

इस पर बहुत सी बातें हुई हैं किन्तु अब मैं अन्त में एक बात कह दूं। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक एक्सपेरिमेंट करने की बात कही जाती है, वह तो ऐसी जगह करना चाहिये जैसे नकली चुनाव का रिहर्सल वगैरह है। वहां मार्किंग सिस्टम का एक्सपेरीमेंट करना चाहिये। यह नहीं कि जिस दिन करोड़ों देशवासियों के भाग्य का फैसला वोट के जरिये करना हो, उसी दिन उसका प्रयोग होने लगे। प्रयोग का मुहूर्त कोई दूसरा होना चाहिये, यह मुहूर्त प्रयोग का नहीं है। जब हमें भाग्य का फैसला करना हो तो हम अपने भाग्य के फैसले के दिन ही उसका प्रयोग करें यह ठीक नहीं है।

जैसा कि वर्मा जी ने कहा, शहर वाले इसका प्रयोग कर सकते हैं। श्रीमन्, आप भी तो गांव से कुछ ताल्लुक रखते हैं। आप ही बतलावें कि जहां से आप आते हैं वहां तो हम पुरुषों से स्त्रियां ज्यादा हैं। उधर बिहार, बंगाल में उनकी संख्या अधिक है और सौभाग्य से मैं उसी इलाके का रहने वाला हूं, जहां पुरुषों से स्त्रियों की संख्या अधिक है। ५२ प्रतिशत स्त्रियां हैं, जो निरक्षर हैं और मर्दों में भी काफी संख्या निरक्षरों की है। उपाध्यक्ष महोदय, फिर आप सोच सकते हैं कि आधी से अधिक संख्या ऐसे ही लोगों की है जिन्होंने अपने जीवन में कभी पेन्सिल तक न पकड़ी होगी। वे उसी दिन पेन्सिल अपने हाथों में पकड़ेंगे, जिस दिन अपने भाग्य का फैसला करना होगा। जिस दिन वे पेन्सिल पकड़ेंगे उस दिन वे अपने ही हाथ से अपने भाग्य का फैसला अपने हक में लिख देंगे या कानपुर के किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के हक में लिख देंगे, यह उन्हीं के ऊपर रहेगा। यह उन्हीं के हाथ में रहेगा कि वे अपना डेथ वारंट अपने ही हाथ से लिख कर दे दें। मेरा निवेदन यह है कि उनको अपने ही हाथ से अपना डेथ वारंट दिलवाने का बन्दोबस्त न किया जाय। जब हिन्दुस्तान में, अपने प्रदेश में कम से कम ५० फीसदी लोग पढ़े-लिखे हो जायं और पेन्सिल पकड़ने बनाने वाले हो जायं, निशान वाले हो जायं, उस वक्त आप यह प्रथा जारी कर दें। तो हमको कतई कोई शिकायत न होगी और न दूसरे लोगों को ही कोई शिकायत होगी, लेकिन इस वक्त तो हम यह समझते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव कोई शहरों में तो हो नहीं रहा है शहरों में जब चुनाव होगा, कारपोरेशन या म्युनिसिपैलिटीज का चुनाव होगा, उस वक्त इस पर विचार किया जा सकता है। उसके बाद आप उस तजुर्बे से लाभ उठावें और चूंकि जल्द ही हमें यह बिल पास करना है इसलिये वक्त क्यों खराब किया जाय। मालूम होने के बाद ही हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं। प्रयोगशाला से ही जो अनुभव हमें प्राप्त हुआ है उसी से हम कह रहे हैं कि हमें इस काम को हरगिज नहीं करना चाहिये और इससे नुकसान होगा। हमारे यहां ८७ प्रतिशत लोग गांव के रहने वाले हैं, उनके भाग्य के फैसले के दिन एक्सपेरीमेंट नहीं होना चाहिये, यह मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है। उन्हें यह भी नहीं समझना चाहिये कि सरकारी नौकर जो हैं वह सरकारी पक्ष में ही जायंगे। अगर उन्हें ऐसी छूट दी जायगी तो भगवान जाने वह किस पक्ष में जायं। उधर के लोग यह न समझें कि सारे अफसर मार्किंग इस ढंग पर कर देंगे जैसे वह चाहते हैं, इस धोखे में वह न रहें कि इस तरह से दस बीस वोट मिल जायंगे तो हमें

[श्री गेंदासिंह]

विरोधी को हराने में आसानी होगी। अगर ऐसा हुआ तो उनकी हार ही होगी। लोग पोलिंग अफसर को खरीदने की कोशिश करेंगे। इससे सरकारी मुलाजिम भी दिक्कत में पड़ेंगे। चुनावों में जहां जनतन्त्र में बहुत सी छूट हैं वहां कुछ चेक्स भी रखे गये हैं जिससे कोई खराबी न हो। लेजिस्लेचर एक सार्वभौम सत्ता होती है, लेकिन फिर भी हम जुडीशियरी को अधिकार देते हैं कि अगर हम बहके तो वह हम पर लगाम लगाये। हमने ही एक पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी बनाई है, इसलिये कि अगर गलत खर्च हो तो वह उस पर लगाम लगाये। हमने हर तरफ लगाम लगाने की कोशिश की है। इसलिए हमें किसी भी सरकारी अफसर को या पब्लिक वर्कर को यह मौका नहीं देना चाहिये कि वह लोगों को गलत रास्ते पर ले आने के लिये एनकरेजमेंट दे या उसके लिए उत्साहित करे। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि वह माननीय रामस्वरूप वर्मा जी के संशोधन को स्वीकार करें।

श्री चन्द्रजीत यादव--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रामस्वरूप वर्मा के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं ....

श्री उपाध्यक्ष--मूल बातें तो सभी कह दी गई हैं केवल पार्टियों के नेताओं द्वारा समर्थन ही होना चाहिये।

श्री चन्द्रजीत यादव--यह जो मौजूदा बैलट सिस्टम है इसको भी मैं बिलकुल दोषरहित नहीं समझता। उसमें भी देखा गया है कि रुपये पैसे वाले लोग बैलट पेपर खरीद लेते हैं। उसका ऐसे ही लोगों पर असर पड़ता है। वोटर करप्ट होते हैं और रुपये पर बिकते हैं, लेकिन मार्किंग सिस्टम और भी खतरनाक है और वह इसलिए कि जो ईमानदार वोटर होगा उससे भी यह बहुत बड़ी संभावना है कि वह गलती कर जाय। मैं बताऊं कि म्युनिसिपल बोर्ड के पिछले चुनाव में एक पोलिंग स्टेशन पर २०० बे पढ़े-लिखे हरिजन मर्द और स्त्रियां वोट देने के लिये आये। उन्होंने पोलिंग अफसर से कहा कि हमारा निशान बना दीजिये। उसने कहा कि हमें तो निशान बनाने की आज्ञा नहीं है जैसे चाहो निशान बनाकर डाल दो। नतीजा यह हुआ कि उन सब आदमियों ने बगैर निशान बनाये हुये ही पर्चे बैलट बाक्स में डाल दिये। इसका परिणाम यह हुआ कि वह कैन्डीडेट जिसके हक में वे पर्चे डालने के लिये आये थे उसको वह नहीं मिले और सबके सब इनवैलिड हो गये और वह कैन्डीडेट १०० वोट से हार गया। दूसरे कहीं पर पेन्सिल होगी या कहीं पर रोशनाई थी और उससे निशान बना दिये गये, फिर उसके बाद फोल्ड करके डाले गये तो एक निशान की जगह ४--५ या ६ निशान हो गये और वह पर्चा इनवैलिड हो गया। एक जगह सारे के सारे बैलट पेपर इनवैलिड माने गये। वैसे यह सिस्टम बड़ा अच्छा है, लेकिन आज के हिन्दुस्तान के लिए नहीं। जब हिन्दुस्तान में सब लोग शिक्षित हो जायंगे यहां की जनता शत प्रतिशत नहीं तो ९०, ९५ प्रतिशत शिक्षित हो जायगी तब तो ठीक है, लेकिन आज के भारत में जनता केवल १०, १२ प्रतिशत शिक्षित है और कहीं कहीं देहातों में शत प्रतिशत निरक्षरता है। इस समय यह प्रयोग बहुत हानिकारक सिद्ध होगा। शहरों में जहां जनता अधिक पढ़ी-लिखी होती है और पढ़ी-लिखी भी नहीं होती तो संसर्ग में रह कर कुछ सीखती है वहां भी बहुत बड़ी गलती हुई है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि प्रयोग के लिए ऐसी प्रथा न अपनाएं। अगर एलेक्शन कमीशन कोई ऐसी बात करना चाहे और उस पर अगर हमारी राय यहां से दूसरी जायगी तो, जैसा माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा है, वह भी इस बात पर विचार करेगा। एक प्रदेश जिसकी ६, ७ करोड़ आबादी हो, उस प्रदेश की जनता की राय है और यह प्रयोग सफल नहीं हुआ है। हमारी राय से कमीशन अपना निर्णय बदल सकता है। इसी से शायद लोगों का भला हो जाय।

मैं मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इसको मान लें।

श्री रामलखन मिश्र--मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं।

सीक्रेट बैलट बाक्स, यह बहुत अनिश्चित सा शब्द है। मैं अपनी व्यवस्था के प्रश्न द्वारा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसका भाव चाहे जो कुछ भी हो पर इस सदन में जो क. वाद विवाद चल रहा है वह निश्चित रूप से चल रहा है। "मार्किंग सिस्टम" ऐसा कुछ नहीं हो सकता। यह शब्द बड़ा प्रेगनेंट है। इसके अनेकों अर्थ होंगे। अगर कोई संशोध न हो तो स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि संशो धन का स्वरूप वैधानिक रूप से होना चाहिए। दोनों में सीक्रेसी है, दोनों में बैलट है, दो नों में सिस्टम है। मार्किंग में भी बैलट सिस्टम है, सीक्रेट भी है। इसका कुछ अर्थ ही नहीं होता।

श्री उपाध्यक्ष---सीक्रेट बैलट अब राय का प्रश्न बन गया। आप कहते हैं कि सीक्रेट बैलेट में उसका समावेश नहीं होता और माननीय रामस्वरूप वर्मा जी का खयाल है कि होगा। ऐसी सूरत में वादविवाद को रोकने की मैं अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लूंगा। अच्छा होगा कि माननीय सदस्य वादविवाद में अपनी राय जाहिर कर लें, अन्तिम फैसला हाउस के ऊपर है। अगर हाउस नहीं मंजूर करेगा तो वह स्वयं गिर जायगा, लेकिन मैं रायजनी से रोकना नहीं चाहता।

श्री गेंदासिंह---अगर इतना ही एतराज हो तो दुरुस्त कर दिया जाय।

श्री गोविंदसिंह विष्ट---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग इसमें राजी हैं। विरोधी दल इसको सहर्ष स्वीकार करेगा बशर्ते कि सीक्रेट बैलेट सिस्टम रहे जैसा कि माननीय रामस्वरूप वर्मा जी ने कहा।

मैं तो मंत्री जी को मुबारकबाद देता हूं। आज ऐसा लगता है कि इस सदन में गांधी जी की आत्मा उतर कर आयी है। जो प्रेमालाप हो रहा है, 'गिव ऐंड टेक' का सवाल चल रहा है, शुरू से ऐसा लगता है, जैसा सदन में रोजमर्रा होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष---यह कह कर आप अपने ही खिलाफ बोल रहे हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---मैं तो कह रहा हूं कि हमारी तरफ से जो संशोधन होते हैं बड़े प्रेम से उधर से स्वीकार किये जाते हैं। जो उनकी ठीक बातें होती हैं उसे हम प्रेम से स्वीकार कर रहे हैं। अगर इस तरह का रोज वातावरण रहे तो बड़ा अच्छा हो और होता क्यों नहीं ? मंत्री जी आप गांधी जी के सब से बड़े चेले रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है। मैं अपने दिल के जज़बात कह रहा हूं। हमारी जो सही बातें हैं उनको शर्मा जी स्वीकार करते हैं। इसके लिये मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। जब सारी बातें इस तरह से चल रही हैं तो छोटी सी बात में क्यों हमारे बीच में भेद हो जाय ? वह चीज यह है उपाध्यक्ष महोदय, कि मंत्री जी भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आदमी अपने फ्रैंचाइज का इस्तेमाल कर सकें और वही हम भी चाहते हैं। ऐडल्ट फ्रैंचाइज इसीलिये यहां रखा गया था, वर्ना अंग्रेजों ने तो थोड़े आदमियों को वोट का हक दिया था जो सरकार को निर्धारित रकम देता हो या इतनी प्रापर्टी उसके पास हो, कितनी सारी अड़चनें उसमें थीं, लेकिन प्रजातंत्र के यहां स्थापित होते ही हमने वह पद्धति बदल डाली सिर्फ इस लिए कि अधिक से अधिक आदमी प्रापर्टी का लिहाज न करते हुये, गुरबत का लिहाज न करते हुए, धन दौलत का ज्यादा आदर न करते हुए, वोट दे सकें। हर इन्सान जो हिन्दुस्तान में रहता है अपने फ्रैंचाइज का इस्तेमाल कर सके। आज निरक्षरता होने में हम दोनों दोषी हैं। मैं अकेले सरकार को ही दोष नहीं देता। हमने भी प्रौढ़ पाठशालायें चलाकर उनको साक्षर बनाने की कोशिश की होती तो आज यह हालत न होती। सरकार भी आज तक जब यहां की अशिक्षा को मिटा नहीं सकी है तो उसका यह कदम उठाना कि कलम लेकर के क्रास बनाओ, ऐसा करने से बड़ी दिक्कत होगी। मैं सोचता हूं माननीय मन्त्री जी ने जिस तरह से आज हमारी और बातों को स्वीकार किया है और वह चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने इस हक का इस्तेमाल करें, तो मैं उनके उच्च आदर्शों को और उनके अच्छे सेन्टीमेंट्स को अपील करता हूं कि वह इस बात को मान लें। अगर वे फिर भी नहीं मानते हैं तो एक चीज में उनको सुझाव के तौर पर और दे देता हूं।

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

एलेक्शन कमीशन से, अभी हाल में श्री सुकुमार सेन जी की तरफ से, एक पत्र आया हुआ है। उसमें उन्होंने कहा है कि आगे को हम निशान बनाने की जगह पर एक क्रौस वाली मोहर रख देंगे ताकि क्रौस बनाने की जरूरत न हो बल्कि मोहर लगा दें। यह एक पत्र एलेक्शन कमीशन का मैंने देखा था। अगर आप उसको न मानें तो यह एक सुझाव है। वैसे मेरी तो आप के द्वारा माननीय मन्त्री जी से दरख्वास्त है और बड़ा विनम्र निवेदन है कि इतनी सी बात को वह मान लें, क्यों इस पर वक्त बरबाद हो।

श्री टीकाराम पुजारी---श्रीमन्, बहुत दिन के बाद मौका मिला है। बड़ा वाद-विवाद हो रहा है। मैं तो एक बात कहूंगा। मैं उन्हीं किसानों में से हूं जो कलम पकड़ना नहीं जानते। अभी कहा था मेरे एक साथी ने कि गांवों में बहुत से किसान हैं जो कलम पकड़ना नहीं जानते। उन किसानों में मेरा भी नम्बर है, लेकिन आज के लिये धन्यवाद की आवाज आ रही है। एक चीज है, जब एक आदमी को एक बीमारी होती है और बीमारी में भी त्रिदोष होता है और त्रिदोष में जब बात प्रबल हो जाती है तब वह घर वालों को भूल जाता है। जब वात उसकी पच जाती है तो वह अपने घर वालों को पुचकारता है। ऐसी ही दशा हमारे सत्ताधारी भाइयों की है। जब उनकी वात पच जाती है तो हमारी बात वह मान लेते हैं और जब वात प्रबल हो जाती है तो फिर हमको भूल जाते हैं। बहुत दिनों के बाद मौका आया है। मेरे सब सन् २१ से ४२ तक के पुराने साथी हैं।

मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जहा मान होता है वहां प्रजातंत्र फलता-फूलता है। जहां विरोधी पार्टियों की इज्जत होती है, जहां मान-मर्यादा और जनता का सम्मान रहता है, वहीं प्रजातंत्र चल सकता है और जहां मान नहीं होता है, वहां का प्रजातंत्र खत्म हो जाता है और सरकार डिक्टेटर बन जाती है। इसलिये हमें सब से पहले सम्मान करना चाहिये।

मुझे एक चीज याद आ गई श्रीमन्, हमारे यहां ग्रामों में एक छप्पर होता है, छप्पर को तो आप जानते हैं--छान। जब छप्पर बन कर के तैयार हो जाता है तो वर्षा होती है और बादल आवाज देते हैं। उस छप्पर को उठवाने के लिये पड़ोसियों के पास जाते हैं और कहते हैं भाई हमारा छप्पर उठवा दो नहीं तो हमारा मकान बैठ जायगा, कच्चा मकान है। भले आदमी उसे उठाने को आते हैं। कुछ बीच के बांसों से लटकने को आते हैं। भले आदमी तो चाहते हैं कि अच्छा है उसका मकान बच जाय। कांग्रेसी भले आदमी हैं, लेकिन वे लटकन्तू जो बीच में आ गये वह छप्पर के नीचे हैं।

श्रीमन्, मोटी बात है। बात चुनाव के ऊपर हो रही है, निशान के ऊपर हो रही है। गांवों में तो लट्ठ निशान है और यहां पेपर निशान। गांवों में हाथ उठाइये। ५० कम कर दो चाहे ५० ज्यादा कर दो। ग्राम पंचायतों के चुनाव में जहां प्रधान का चुनाव होता है वहां प्रधान का उतना ही महत्व है जितना कि देश के प्रधान का होता है। उस गांव के प्रधान के लिये हाथ उठवाया जाय और छोटी-छोटी चीजों के लिये निशान लगवाये जायं तो कहां तक ठीक होगा। सब से पहले हमें उन गांवों को बनाना है जिनके ऊपर यह तीन मंजिली इमारत बनी है। जब चौकम्भा राज होगा तभी सच्चा प्रजातंत्र होगा। मेरा विचार है कि यह जो निशान बदले जाते हैं उनको न बदलना चाहिये और गांवों में जो हाथ उठाने की प्रथा है इसको खत्म कर देना चाहिये। यही मेरी प्रार्थना है। श्रीमन्, कभी-कभी मौका दे दिया करो। मैं अब ज्यादा समय नहीं लेना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय लारी जी आप भाषण करें।

श्री उग्रसेन---मैं संशोधन में संशोधन रखना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---जी हां, आप को मौका दे दूंगा। पहले लारी जी बोल लें।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं रामस्वरूप वर्मा जी का जो संशोधन है उसका समर्थन करता हूं।

श्री जगदीशनारायण (जिला मुरादाबाद)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। वह यह है कि हम ऐसा महसूस करते हैं कि बराबर जो हमारे विरोधी पक्ष के भाई हैं उन्हीं को मौका दिया जा रहा है। क्या ऐसा तय हो गया है, हम जानकारी चाहते हैं ?

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं प्वाइंट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं। जो माननीय सदस्य ने अभी कहा है यह बिलकुल सीधे-सीधे आक्षेप चेयर पर होता है। लेकिन चूंकि माननीय सदस्य नये हैं, इसलिये हम नहीं चाहते कि प्रिविलेज का मोशन उठायें। अगर कोई मंत्री जी कहे होते तो डाट कर कहता।

श्री विचित्र नारायण शर्मा---श्रीमन्, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं अपने पक्ष वाले भाइयों से कि अगर आप १०-१२ बजे तक नहीं बैठना चाहते हैं तो मेहरबानी करके न बोलें, क्योंकि हम चाहते हैं कि आज इसको पास कर लें। अगर समय नष्ट होगा तो रात को बैठना होगा।

श्री उपाध्यक्ष---मैं माननीय जगदीश नारायण जी से कहना चाहता हूं कि जैसा माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी ने कहा इन्हीं भावनाओं के आधार पर समय बचाने के लिये मैं यह कह रहा हूं। अगर आप को आपत्ति है तो मैं दोनों तरफ से धुंआधार भाषणों के लिये इजाजत दे दूं। फिर वह मंशा पूरी नहीं होगी।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न हर समय उठा दिया जाता है। माननीय स्वशासन मंत्री जी का जो सुझाव हुआ वह भी व्यवस्था के अन्दर गलत है। इस सदन में इस तरह की उनको प्रार्थना नहीं करनी चाहिये। यह तो वह अपनी पार्टी में तय कर सकते थे।

श्री विचित्र नारायण शर्मा---मैं उसे वापस लिये लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---(श्री राज नारायण जी से) जी नहीं, वे प्रार्थना कर सकते हैं मगर मजबूर नहीं कर सकते हैं।

श्री राजनारायण---जी नहीं। इस तरह की प्रार्थना करना भी स्वस्थ्य परम्परा नहीं है। मंत्री जी का सुझाव ही एक आर्डर है क्योंकि he is representing the Leader of the House। मंत्री जी जो बैठे हुये हैं वे नेता सदन को रिप्रेजेन्ट कर रहे हैं। ऐसी व्यवस्था बराबर है। इस समय उनका सुझाव या ऊपर के अफ़सर का नीचे के अफ़सर का सुझाव नियम के मुताबिक यह आर्डर माना गया है।

श्री उपाध्यक्ष---सदन में कोई माननीय सदस्य किसी मंत्री के सबार्डिनेट नहीं है।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, जो पार्लियामेंटरी सिस्टम है उसकी बुनियाद ही इस पर है।

श्री उपाध्यक्ष---वह ठीक है, सदन में इस प्रकार कहना उचित नहीं है।

श्री राजनारायण---चीफ ह्विप होते हैं और वह खूब ह्विपिंग करते हैं।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---मैं अपनी बात वापस लेता हूं।

श्री राजनारायण---मैं सुझाव इसलिये दे रहा हूं कि इस तरह की भावनायें पार्टी मीटिंग्स में पहले से व्यक्त कर दिया करें।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री रामस्वरूप वर्मा जी ने जो संशोधन रखा है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस संशोधन को माननीय मंत्री जी को मान लेना चाहिए। अभी हाल में जो निकायों का, टाउन एरियाज और म्युनिसिपैलिटीज का चुनाव हुआ है उसने सिद्ध कर दिया है कि अभी भारतवर्ष इस प्रणाली को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय संविधान जहां सब को बालिग मताधिकार का अधिकार देता है कि सब लोग स्वेच्छा से राय दे सकें और अपने प्रतिनिधि चुन सकें तो वहां हम को सिस्टम भी ऐसा रखना चाहिए कि अनपढ़ से अनपढ़, गरीब से गरीब और गंवार से गंवार आदमी भी अपनी सही राय दे सके। बैलट की गिनती जो हुई तो उस में कई जगहों पर काफी वोट खराब हुए, बहुत से बैलट सादे पड़ गये। जैसा कि अभी माननीय चन्द्रजीत जी ने कहा कि एक जगह ३९० बैलट बिलकुल सादे पड़े थे और इस प्रकार ३०० आदमियों को इस प्रणाली ने अपना मत देने से वंचित कर दिया जो कभी भी भारत के संविधान की मंशा नहीं थी।

मैं, आप के द्वारा, मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, जो बहुत ज्यादा हमारे बापू जी के अनुयायी हैं और उनके सच्चे प्रतीक हैं कि इस देश के निवासियों को स्वेच्छा से राय देने का जो अधिकार मिला है ऐसी प्रणाली ला कर वे उनको उससे वंचित न कर दें। जब कि साक्षरता की यह हालत है कि कलम और पेंसिल पकड़ना भी औरतें नहीं जानतीं, सिवा इसके कि पोलिंग आफिसर्स के हाथ में वे अपने बैलट दे दें और कुछ नहीं हो सकता। फिर पोलिंग आफिसर ईमानदारी से या बेईमानी से जिसको चाहे वह मत दे दे जो कि संविधान का मकसद नहीं है या वे खुद कलम पकड़कर गलत निशान बनायें। ऐसे ऐसे निशान बने पाये गये हैं जिन्हें देखकर मंत्री महोदय हंसे बिना नहीं रह सकते। गलत ढंग से लोगों ने निशान बनाये थे। उधर से दलील आती है कि बक्से पर निशान रहता है तो बैलट पेपर पर भी निशान बनाने में क्या परेशानी होती है। निशान बनाना और बैलट पेपर बने हुए निशान को देखना— इन दोनों में बहुत फर्क है। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से यह प्रार्थना करूंगा कि ताकत के लिए इस वक्त ऐसी पद्धति लागू न करें जिससे यहां के संविधान की मंशा का हनन हो और जिनको अधिकार मिला हुआ है वे अधिकार से वंचित रहें। जैसा कि माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा है ऐसा कहने का मौका न दिया जाय जिससे लोग कह सकें कि साहब इसमें फलां पार्टी का यह स्वार्थ रहा है जिसके करण उन्होंने यह चीज की है। सन् ५२ में जो वोट हुए थे उसमें कितने बैलट बरबाद हुए थे। बैलट की जगह पैसे चढ़े थे। ५ वर्ष बाद फिर जब वोटिंग हुई तो उसमें इनवैलिड बैलट्स की तादाद कम रही। फिर यह बात ठीक नहीं है कि जब एक चीज रास्ते पर निकल चली तो उसे बदल दिया जाय और ऐसी पद्धति चालू की जाय जिससे संविधान की मंशा की खिलाफत हो, ठीक नहीं है। इसलिये मंत्री महोदय से मैं प्रार्थना करूंगा कि वे इस पर ठंडे दिल से विचार करके इस संशोधन को मान लें।

श्री उग्रसेन—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से माननीय रामस्वरूप वर्मा के संशोधन में यह संशोधन करना चाहता हूं कि शब्द "by secret ballot system" के आगे निम्न शब्द जोड़ दिये जायं—

"as was in vogue in general elections of Assembly and Parliament in 1952 and 1957".

यानी १९५२ और १९५७ के जो आम चुनाव असेम्बली और पार्लियामेंट के हुए थे उसमें जो प्रथा प्रचलित थी वही होनी चाहिये, यह उस में जोड़ दिया जाय, और मुझे अधिक भाषण देने की आवश्यकता नहीं है।

एक बात मैं जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि अभी-अभी मार्किंग सिस्टम में बम्बई कार्पोरेशन के चनाव हुए। मैं भी वहां मौजूद था। इससे पहले शायद सन् ४८ में मार्किंग सिस्टम का इस्तेमाल बाई एलेक्शन में किया गया था। बम्बई में शिक्षाप्रद लोगों की संख्या अधिक है और नागरिक लोग बहुत ऊंचे दर्जे के हैं। फिर भी आम जनता के पत्र और गुजराती और मराठी अखबारों में जो बातें निकली हैं उनसे सिद्ध होता है कि यह सिस्टम बम्बई में

सफल नहीं हो सका। चाहे रामहेत जी की कांस्टीटुएंसी मेरठ, बुलन्दशहर, आगरा, मथुरा ले लीजिये, चाहें गेंदासिंह जी की कांस्टीट्यूएंसी पडरौना ले लीजिये, कहीं भी यह सफल नहीं हो सकता। अगर हमें डेमाक्रेटिक सिस्टम को यहां चलाना है तो चाहे स्विटजरलैंड हो या कोई दूसरा देश हो, वहां सीक्रेट बैलट सिस्टम ही द्वारा चुनाव होते हैं। उसके बिना प्रजातंत्र कायम नहीं हो सकता। इसलिये अगर यह सिस्टम ऐडमिसिबिल नहीं होगा तो सच्चे माने में काम नहीं हो सकता। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन को आप के सामने रखना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि इधर-उधर के सदस्य बोल चुके हैं, राय मालूम हो चुकी है। अगर सचमुच हम चाहते हैं कि जल्दी से पास हो जाय तो माननीय मंत्री जी को मौका देना चाहिए।

श्री राजनारायण---मंत्री जी मेरी एक शंका का भी जवाब दे दें पहले?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---लघु है या दीर्घ?

श्री राजनारायण---मैं इसलिये कह रहा हूं कि चाहे आगे की धारायें वैसे ही पास हो जायं, मगर इस पर विवाद अच्छी तरह से हो जाय।

माननीय मंत्री जी ने सामान्य विवाद के समय सीक्रेट बैलट सिस्टम का विरोध करते समय यह तर्क उपस्थित किया था कि बहुत से लोग बैलट पेपर चुराकर ले जाते हैं और ले जा कर वहां से आते हैं और डाल देते हैं। मैं उस शंका का निराकरण करना चाहता हूं इसलिये कि अगर सीक्रेट बैलट लागू होता है तो क्या जो निशान लगाने के लिये बैलट पेपर मिलेगा उसको भी बिना निशान लगाये हुए लोग बहर नहीं ले जा सकते और बाहर ले जा कर के एक आदमी १०, २०, ५० वहां से लाकर नहीं डाल सकता है? सरकारी पक्ष की ओर से यह जवाब दिया जा सकता है, जैसा कि कल दिया गया कि हम नियम बनायेंगे और उसमें एजेंट के सामने क्रास होगा, तो फिर सीक्रेसी खत्म हो गयी।

एक सदस्य---नहीं हुई।

श्री राजनारायण---आप हल्ला नहीं कर सकते हैं। अभी आप मेरा हल्ला सुने नहीं हैं, हम भी हल्ला कर सकते हैं।

ऐजेंट के सामने अगर क्रासिंग होगा तो गुप्त मतदान उसका नाम नहीं हो सकता। अगर पुराने जमींदार एजेंट बन कर खड़े हो जायं तो मेरा निश्चित मत है कि जो बेचारे नीची जाति के लोग समझे जाते हैं, वे जब क्रास करने जायंगे तो अगर उन्होंने देखा कि जमींदार की आंखें लाल हैं तो उसके कारण सही वोट नहीं देने पायेंगे। इसलिये यह तो सीक्रसी को खत्म करना होगा। इसलिये हर माने में तर्क माननीय मंत्री जी ने दिया वह इसके बिल्कुल विरुद्ध हो जायगा और जनता के सही जजबात का इजहार नहीं हो पायेगा। इसलिये मैं आप के द्वारा अर्ज करूंगा कि जो बैलट सिस्टम १९५२ और १९५७ के असेम्बली के चुनाव में इस्तेमाल किया गया था उसी को चालू रखा जाय। एलेक्शन कमिश्नर से आज हमारी लड़ाई हो रही है और अभी नहीं कहा जा सकता कि अन्ततोगत्वा क्या होगा? जितने हमारे यहां पढ़े-लिखे आदमी हैं वह सब इस बात को मानते हैं कि हमारे प्रदेश में शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्न है। अभी हमारे प्रदेश में ६ साल से ले कर ११ साल के बच्चों की तादाद जो पढ़ते हैं वह ३० प्रतिशत से भी कम है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा का स्तर अन्य प्रदेशों से कम है। जब अंग्रेजी राज्य था तब बालिग मताधिकार नहीं था। यह नयी प्रणाली निकाली जा रही है।

श्रीमन्, मैं एक खतरे की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जिन लोगों को जनतांत्रिक लड़ाई के इतिहास का ज्ञान है वह इस बात को समझते हैं कि जब-जब सरकार डिक्टेटर बनना चाहती है तो एक ओर बालिग मताधिकार लाना चाहती है। मुझे श्री राजेन्द्र प्रसाद जी के शब्द याद हैं उन्होंने कहा था कि बालिग मताधिकार नहीं होना चाहिये। मैं देख रहा हूं कि हर तानाशाही सरकार यही तरीका अख्तियार करती है कि पहले वह डायरेक्ट वोट्स को

[श्री राजनारायण]

इन्डायरेक्ट वोट्स करती है। पहले सभापति के लिए हुआ और अब मेम्बरों की तरफ बढ़ सकते हैं और फिर इस तरीके से इन्डायरेक्ट क्रासिंग सिस्टम लाकर, अबोध जनता को भयभीत किया जा सकता है और जनता के सही जजबात का इजहार नहीं हो सकता है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि हम लोग गांधी जी का नाम जोड़ना नहीं चाहते हैं। मैं इस निश्चित मत का हूं कि जो सही माने में गांधी जी के अनुयायी होंगे वह इस शासन में नहीं होंगे।

"To know Gandhism is something else and to practice Gandhism is something different."

गांधीवाद का पढ़ना और समझना दूसरी चीज है और व्यवहार में लाना बिल्कुल भिन्न चीज है। मशरूवाला कहा करते थे कि :—

"I know Gandhism better than Gandhiji himself."

मैं गांधीवाद को उनसे ज्यादा जानता हूं। मैं यह लड़ाई १९४२ में देख चुका हूं कि जब कि रेल की पटरियां उखाड़ी गयीं थीं तो उस समय उन्होंने साफ कह दिया था कि यह कोई हिन्सा नहीं है। खैर इन बातों पर जाने की आवश्यकता नहीं है।

शर्मा जी को एक मनुष्य मानकर, और अगर वह जन-तांत्रिक प्रणाली पर चलने के इच्छुक हैं तब, मैं निवेदन कर रहा हूं वरना सरकार कह दे कि हम डिक्टेटरशिप चाहते हैं तब तो ठीक है। लेकिन इसमें शब्दों का जाल न हो, शब्दों के साथ बलात्कार न हो। मैं शर्मा जी की खिदमत में बैठकर दो-तीन दिन तक चर्चा करने के लिये तैयार हूं कि क्या इस क्रासिंग सिस्टम से जनता के सच्चे भावों का प्रतिनिधित्व हो पायगा और जब आज की इस दशा में नहीं हो सकता है तब क्या क्रासिंग सिस्टम को लगाना टेढ़े तरीके से संकुचित करने के रूप में नहीं है? ये सवाल मूल हैं। इसलिये, श्रीमन्, मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो पद्धति सन् ५२ और सन् ५७ के आम चुनावों में, पार्लियामेंट और असेम्बली के थी उसको जारी करें। तमाम विरोधी दल के लोग इस राय के हैं, लेकिन फिर भी सरकार कहती है कि नहीं, हम तो यही चलायेंगे। चला सकते हैं, लेकिन अगर सरकार क्रासिंग सिस्टम को एडाप्ट करती है तो दुनिया कहेगी, यहां का सचेत समाज कहेगा, यहां की शिक्षा व्यवस्था को जानने वाले कहेंगे कि यह इस तरह बालिग मताधिकार को देने के बाद एक हाथ से अधिकार देना और दूसरे हाथ से अधिकार छीनने के समान होगा। इन शब्दों के साथ मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह सोचे और सन् ५२ और सन् ५७ की पद्धति को चालू करे वरना चुनाव तो वे करा ही लेंगे, उनके सदस्य भी चुन कर चले जायंगे, वोट भी हो जायगा और काम भी होता रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष—(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर) अगर लोग इसी तरह से खड़े होते रहे तब तो मैं विवश हूं उनको पुकारने के लिए, क्योंकि क्लोजर मोशन है नहीं, लेकिन क्या और भी वाद-विवाद आवश्यक है?

श्री रामायणराय—श्रीमन्, मेरी भी एक आध शंकायें हैं उनका मैं समाधान करना चाहता हूं।

मान्यवर, सदन में चुनाव की पद्धति क्या हो, क्रासिंग सिस्टम रखा जाय या जो पुरानी पद्धति है उसको रखा जाय इस पर काफी देर से माननीय सदस्यों के विचार में सुन रहा था। मुझे आपके द्वारा मंत्री जी का इस समस्या से सम्बन्धित एक बहुत बड़े प्रश्न की तरफ ध्यान दिलाना है और मैं समझता हूं कि अगर उस प्रश्न की तरफ उनका ध्यान जायगा तो इसकी महत्ता और बढ़ जायगी और मेरा ऐसा विश्वास है कि तब वर्मा जी के सुझाव को वे स्वीकार कर लेंगे।

पिछले जमाने में जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें कितने लोगों ने हिस्सा लिया उसके आंकड़ों की तरफ जब हमारा ध्यान जाता है तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि धीरे-धीरे आज जनता राजनीति में डिसइंटरेस्टेड (उदासीन) होती जा रही है।

एक सदस्य---ग्रेजुएट्स ने कितना परसेंट वोट दिया है ?

श्री रामायणराय---मैं निवेदन कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से सदस्य लोगों का बोलने से जरा रोकिये।

श्री उपाध्यक्ष---मेरे पद का प्रयोग न करें, नहीं तो आपके लिये बाद में कठिन हो जायगा।

श्री रामायणराय---आज देहातों के लिए जो बिल लाया गया है अगर माननीय मंत्री जी वोट डालने के वक्त गांव के मतदाता, किसान मतदाता, को देखें तो उन्हें पता लगेगा कि उनके सामने कितनी मुसीबत होती है। दो उम्मीदवार खड़े होते हैं, एक का कन्वेसर इधर खींचता है, दूसरे का उधर खींचता है। गरीबी का मारा हुआ भारतीय किसान तरह-तरह के प्रेशर में आता है, परेशान होता है, डरता हुआ किसी तरह से वह पोलिंग बूथ की तरफ आगे बढ़ता है। चुनाव की प्रणाली को यदि हम और जटिल बना देंगे तो उसका यह भय बढ़ जायगा और आजतक जितने लोग चुनावों में हिस्सा लेते रहे हैं वह संख्या और घटेगी। किसी भी मुल्क में, जो मुल्क यह दावा करता हो कि हम प्रजातंत्र की लाइन पर अपने को आगे ले जा रहे हैं, अगर जनता में सियासत से डिसइंटरेस्ट (उदासीनता) पैदा हो रहा हो तो इससे खतरनाक बात कोई नहीं होती है। उस उलझन में मैं नहीं जाना चाहता, उस विवाद में भी नहीं पड़ना चाहता, लेकिन आगे आने वाला जमाना बतायेगा कि आज लोगों में डिसइंटरेस्ट किन लोगों ने पैदा किया। यह जो जनता की अरुचि है इसके पीछे भी मोटिव है, एक उद्देश्य से, सियासत से लोगों के हृदयों में अरुचि पैदा की जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष---कृपया संक्षेप में ही कहिये।

श्री रामायणराय---बिल्कुल एक ही बात है श्रीमन्, जिस तानाशाही की ओर हमारे माननीय सदस्य ने संकेत किया, मेरा भी यह निश्चित मत है कि अब प्रत्यक्ष तानाशाही के लिए यह व्यवस्था की जा रही है, उसके लिए ऐसी परिस्थिति पैदा की जा रही है, लेकिन आप स्मरण रखिये कि इस तरह की जो अरुचि पैदा की हुई जनता होगी, उसका जो असन्तोष होगा उस असन्तोष से आप तो लाभ उठायेंगे ही, लेकिन कुछ और लोग भी लाभ उठायेंगे इसको भी आप ध्यान में रखने की कृपा करें। आपके देश में एक दल ऐसा भी है जिस दल का यह लक्ष्य है डोमिनेट आर डिसरप्ट (dominate or disrupt) वह दल आपकी सियासत से लाभ उठावे। आप जनतन्त्र के हामी होते हुए भी गांव की गरीब जनता के रास्ते में ऐसा अवरोध इस प्रणाली के द्वारा उत्पन्न करने जा रहे हैं कि जिस अवरोध से सियासत और बिगड़ेगी और देश को आगे नहीं ले जायगी।

चर्चा हो रही थी कि अनपढ़ लोगों को इससे दिक्कत होगी। मैं सदन का अपमान करने की नियत से नहीं किन्तु आपकी सूचना के लिए यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी जो चुनाव हुए हैं जिसमें हमारे सदस्यों ने भाग लिया.....

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल---मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर यह है कि सुबह अध्यक्ष महोदय ने हर सदस्य महोदय के लिये ५ मिनट का समय मुकर्रर किया था। मैं श्रीमान् का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---अभी उनका ५ मिनट पूरा नहीं हुआ है।

श्री रामायणराय---उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग ४३० यहां पर जो जनता के प्रतिनिधि हैं और जो राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं, उन खिलाड़ियों ने अभी अपना मत इसी क्रासिंग के ढंग से दिया था। मैं भी एक कैंडीडेट का एजेन्ट था। मैंने देखा कि उसमें भी

[श्री रामायणराय]

बैलेट पेपर खराब हो गये, इन्वैलिड हो गये। हम लोग जो अपने को सब से अधिक बुद्धिमान समझते हैं, लाख-लाख जनता के प्रतिनिधि हैं, उन लोगों ने भी भूल की थी। तो फिर उन गांव वालों की बात क्या कही जाय जिन गांव वालों के चारों तरफ नाना प्रकार का अवरोध विद्यमान् है। श्रीमन्, इन दोनों तर्कों के आधार पर मेरा यह दृढ़ मत है कि अगर इस देश को आगे ले जाना है इसमें नई रचना करना है तो हमको चुनाव की ऐसी पद्धति अख्तियार करनी होगी जो जनता के लिये अधिक सरल हो, जो अधिक सहज हो न कि ऐसी जटिल जिसके मार्ग पर चलने से उनके पैर लड़खड़ायें और परेशान होकर उस पर आगे बढ़ने में हिचकिचायें। उसका क्या नतीजा होगा उसको भी सोचने के लिये माननीय मंत्री जी को तैयार होना चाहिये। मुझे आशा है वह इस संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

*श्री बलभद्रनारायण तिवारी---श्रीमन्, मुझे इस पर केवल यह कहना है कि यह जिला बोर्ड का चुनाव बिलकुल देहाती एरिया का है। इसमें शहरी एरिया को भी निकाल दिया गया है और टाउन एरिया को भी अलग कर दिया गया है। देहात में शिक्षा की हालत क्या है, जिसके पास आंखें हों और जिसके सभी अंग शुद्ध हों लेकिन फिर भी देखें कि अशिक्षा के कारण किसी अफसर के सामने वह अपने विचार व्यक्त करे और कहें कि फलां आदमी को वोटिंग करना चाहते हैं, मैं समझता हूं यह मानव अधिकारों के विरुद्ध है। उसके अंग भली प्रकार रहते हुये अपने विचार किसी आदमी के सामने प्रकट करे कि फलां आदमी को हम वोटिंग करेंगे और उसके बदले में कोई अफसर निशान बनाये तो मैं यह कहूंगा कि यह बिलकुल ऐसी चीज है जो बिलकुल मनुष्य के मनोभाव के खिलाफ है। पुरुष के लिये भी गड़बड़ होती है, लेकिन औरतों के लिये तो होती ही है। एक जगह औरतों का यह कहना था कि हमने जिस आदमी के लिये कहा वह हार गया और जिसको हमने अपना वोट नहीं दिया वह जीत गया। जिसको वे औरतें वोट देना चाहती थीं उसका नाम लिया, लेकिन अधिकारियों ने दूसरे नाम के सामने निशान बना दिया। अभी कौंसिल का चुनाव हुआ, निर्दिष्ट स्थान पर निशान न लगाने के कारण ही एक आदमी रह गया। तो जब सदस्य होते हुये भी एक स्थान पर निशान नहीं लगा सके तो हमको फिर इस तरह का प्रस्ताव यहां असेम्बली में पास नहीं करना चाहिये।

श्री भगवानसिंह (जिला मैनपुरी)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राम स्वरूप जी ने जो संशोधन रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। बहुत से माननीय सदस्यों के भाषण इस सदन में हो चुके हैं, उनमें कही हुई बातों की पुनरावृत्ति न करके मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति एक बार अपनी गलती को महसूस कर ले और वास्तव में यह बात मालूम हो जाय कि फलां प्रणाली में यह दोष है, अगर फिर से उन गलतियों को कोई करता है तो वह महान गलती करता है, गलती ही नहीं करता वरन् बहुत बड़ा अत्याचार करता है।

हम लोगों ने पिछले आम चुनावों में, जो टाउन एरिया और म्युनिसिपैलिटी के हुए, उनमें देखा कि एक-एक हजार वोटों में से २००-२०० वोट इनवैलिड हो गये। जब कि एक वोट पर जीत-हार होती है तो काउन्टिंग के समय तीन के बजाय चार निशान लगा दिये जाने से बहुत से वोट इनवैलिड हो सकते हैं और गलत कैंडीडेट जिताया जा सकता है। ऐसे मौकों पर हमने देखा कि वास्तव में इस प्रणाली में क्या दोष है। हमारे देश में इससे भी पहले जनतंत्र प्रणाली रही है और उसके आधार पर जो लोग चुने गये, वे ही जनता के सच्चे प्रतिनिधि कहलाये और उन्हीं को जनता कहती है कि वह हमारा सच्चा नुमाइन्दा है। लेकिन इस प्रणाली में दोष है। हमारे यहां अधिकतर लोग अपढ़ हैं, अशिक्षित हैं। आजकल का जो तरीका है वह भी अच्छी तरह से उनकी समझ में नहीं आता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं। इसके लिये मैं एक उदाहरण देता हूं। चुनाव के समय एक औरत बैलों के पास भूसा लेगयी और डिब्बे में वोट डालकर उसको खटखटाकर कहने लगी कि मैं बैलों को सानी देती हूं इस प्रकार की बातें, चुनाव के समय प्रिसाइडिंग आफीसर्स ने पकड़ी हैं। इससे ज्ञात होता है कि इस देश में किस तरह की चुनाव की पद्धति होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—आप उन्हीं बातों को दुहरा रहे हैं जो अन्य माननीय सदस्य कह चुके हैं। अगर कोई नयी दलील हो तो दें।

श्री भगिखानी सिंह—इस आधार पर मैं कहूंगा कि इस प्रणाली को हम प्रयोग में पहले ला चुके हैं, इसलिये हमको इस गलती को दुहराना नहीं चाहिये। अभी तक सरकार के रिकार्ड में यह होगा कि इस प्रकार से कितने वोट्स इनवेलिड हुए और उस प्रकार से कितना सफल हमारा यह प्रयोग रहा। हो सकता है कि सेंटर से हमारे ऊपर यह बात लादी जा रही हो, लेकिन क्या हम सेंटर से दरख्वास्त नहीं कर सकते कि हमारे लेजिस्लेचर ने, हमारे यहां की जनता के प्रतिनिधियों ने, इस प्रणाली का विरोध किया है। इसलिये हम अपने प्रदेश में इस प्रणाली को नहीं चाहते हैं और पहले जो प्रणाली थी वही अपनाई जाय। अगर यह सरकार वास्तव में जनता की राय की कद्र करने वाली है तो इसको केन्द्र को या इलेक्शन कमीशन को यह चीज रिफर कर देनी चाहिये कि हमारे प्रदेश में इस प्रकार के चुनाव का प्रश्न नहीं उठता।

(श्री गौरी शंकर राय के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—क्या अभी कुछ कहने को रह गया है?

*श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भाषण का समय तो समाप्त हो गया, लेकिन भाई राज नारायण जी की कृपा से प्वाइंट आफ आर्डर नहीं तो शंका के प्वाइंट से कुछ बोलने का अवसर हमको मिल ही जाता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस चुनाव प्रणाली के सम्बन्ध में जितने-जितने तर्कों का प्रश्न है, वह सब माननीय गेंदा सिंह और दूसरे सभी सदस्यों ने मिल कर सदन के सामने उपस्थित कर दिये हैं। मैं केवल एक बात आपके जरिये उधर के बैठने वाले सदस्यों से कहना चाहता हूं और वह यह है और मेरा अपना अन्दाजा है कि उधर के बैठने वाले भाइयों को भी इस एलेक्शन के सिलसिले में उतनी ही व्यावहारिक कठिनाइयां और परेशानियां होंगी जितनी इधर के बैठने वालों को। उधर वालों के लिये कोई दूसरे प्रकार का चुनाव वगैरह होता नहीं है और न वे कोई दूसरे प्रकार के जीव हैं। मैं जानता हूं कि अगर उनके सामने पार्टी डिसीजन या माननीय मुख्य मंत्री जी के गुस्से वगैरह का डर न हो, तथा पार्टी उनको फ्री कर दे तो मैं समझता हूं कि उधर के बैठने वाले भी इस राय के होंगे कि १० साल तक जो प्रयोग किया गया उसको सीख कर लोग एक जगह पहुंच गये हैं और अब फिर दस साल बाद नयी पढ़ाई शुरू हो, वे इसको पसन्द नहीं करेंगे। मैं उनसे कहूंगा कि यह केवल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव के मामले में एकाध मेम्बर के हारने या जीतने का नहीं है, बल्कि यह एक उसूली सवाल है जिसके ऊपर देश में भविष्य में प्रजातन्त्र की स्थापना होनी है, जिसके ऊपर प्रजातन्त्र की भित्ति बनने वाली है, उस सवाल के ऊपर अच्छा यही है कि गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाय। जहां तक मेरी जानकारी है, सरकार इस राय को मानने वाली नहीं है, चाहे हमारे मित्र गांधी जी का नाम लेकर माननीय मंत्री जी की कितनी भी प्रशंसा करें। माननीय मंत्री जी उसे मानने के लिये कभी मजबूर नहीं होंगे, लेकिन मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से और उधर के भाइयों से निवेदन करूंगा कि यह व्यवस्था हो सकती है कि इस समय सरकार इस मामले को पोस्टपोन कर दे और फिर वे अपनी पार्टी मीटिंग में इस पर विचार करें और माननीय मुख्य मंत्री जी से कहें कि मार्किंग सिस्टम को न लागू किया जाय और सदन अलग से एक प्रस्ताव पास करके केन्द्रीय सरकार और एलेक्शन कमीशन के पास भेज दे कि हमारे यहां जो प्रथा आप

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गौरीशंकर राय]

लागू करने जा रहे हैं वह गलत है, क्योंकि पहले शहरों में इसका प्रयोग हो चुका है, जहां कि पढ़े लिखे लोगों की तादाद ज्यादा है, और वहां वह फेल हुआ है तो फिर देहाती क्षेत्रों में जहां डिस्ट्रिक्ट बोर्डस् के चुनाव होंगे, वहां तो और भी अधिक संख्या में अनपढ़ हैं, फिर वहां यह कैसे सफल हो सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, कदाचित् आपको मालूम हो कि चुनाव से दो चार दिन पहले होल्डर्स भी बांटे जायेंगे और जो उम्मीदवार होगा वह एक-एक वोटर के पास जाकर उसे चुनाव की बातें सिखलावेगा और निशान लगाना सिखलावेगा, इस तरह से चार पांच दिन में वह वोटर को तैयार करेगा। श्रीमन्, सरकार के पास तो इतनी बड़ी मशीनरी है, वह तो सब कुछ कर सकती है, लेकिन जो राजनीतिक दल के लोग हैं वे किस तरह से इतने कम समय में लोगों को होल्डर और कलम से पढ़ा सकेंगे। सुनने में आया है कि उम्मीदवारों को होल्डर एक महीना पहले बांटा जायगा ताकि वे उनको वोटर्स तक पहुंचा सकें। श्रीमन्, हम तो यही समझते हैं कि वोटिंग का जो पुराना तरीका है वह बहुत ठीक है, इसको विरोधी दल अच्छी तरह से समझता है। इसके अलावा उधर के जो बैठने वाले हैं वे भी इस बात पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे और माननीय मंत्री जी इसको मान लेंगे तो बहुत उचित होगा, इसमें कोई जिद्द का सवाल नहीं निकलता है।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, यहां पर जो बहस मैंने सुनी उससे थोड़ा खेद हुआ ऐसे सन्देह के वातावरण में हम लोग काम कर रहे हैं कि यह कोई विश्वास ही नहीं कर सकता है कि कोई भी काम जो इस सरकार की तरफ से किया जायगा, उसमें ईमानदारी हो सकती है। मार्किंग सिस्टम की यह प्रथा बदकिस्मती से कहिये, खुशकिस्मती से कहिये हमारी ओर से नहीं आया है, बल्कि यह एलेक्शन कमीशन की ओर से आया है और एलेक्शन कमीशन को भी यह प्रथा उस पार्टी की ओर से दी गयी है जो पार्टी यह कहती है कि यहां डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है या इसके जरिये डिक्टेटरशिप लाने की कोई बात की जा रही है। यह सब सुन कर थोड़ा दुख होता है। मेरे खयाल में इस ऐक्ट में इसके अलावा और कोई विशेष चीज नहीं हुई है। जहां तक सिक्रेट रखने की बात है, सिक्रेसी तो रखी ही जाती है, लेकिन बिल में सिक्रेट शब्द रख देने से तो पेचीदगी पैदा हो सकती है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि किस पार्टी ने एलेक्शन कमीशन से कहा कि मार्किंग सिस्टम लागू होना चाहिये ?

श्री राजनारायण—अभी मंत्री जी ने कहा कि जिस पार्टी की तरफ से यहां विरोध किया गया उसी की ओर से एलेक्शन कमीशन को लिखा गया कि मार्किंग सिस्टम रखा जाय। तो किस पार्टी ने लिखा ? यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—आवश्यकता होगी तो मैं नाम बता दूंगा, लेकिन इतना बता दूं कि आप की पार्टी नहीं थी, बाकी आप नहीं तो आप के भाई होंगे।

श्री राजनारायण—भाई तो सभी हैं, भाई तो आप भी हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव—हमारी पार्टी की ओर से ऐसा नहीं कहा गया।

श्री उपाध्यक्ष—तो अब जनसंघ के ऊपर शंका हो रही है। वे लोग भी अपनी स्थिति स्पष्ट कर दें।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट—हमारे दल के किसी नेता ने भी ऐसा सुझाव नहीं दिया।

श्री राजनारायण—माननीय मंत्री जी ने कहा था कि शंका के वातावरण में लोग बात करते हैं, परन्तु वह तो खुद सन्देहात्मक बात कहते हैं।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जो भी हो, परन्तु हमारी तरफ से यह प्रस्ताव नहीं आया कि यह तरीका रखा जाय और अगर हम यह समझते कि हम इसे स्वीकार करने में इतना बड़ा गुनाह कर रहे हैं तो दस बार इस विषय पर सोचते और ऐसा न करते, लेकिन सरकार के सामने सब से बडा कन्सिडरेसन यह था कि हम यह मानते हैं कि सीक्रेट वोटिंग होना चाहिये लेकिन हम उसे पंचायतों में नहीं करा पाये। इससे हमें खुशी नहीं हुई और मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि उससे हमें दुख हुआ है और बहुत कुछ सुनना पड़ा है, लेकिन इसका कारण यह है कि हमारे पास पैसे का अभाव है और बैलट पेपर में लाखों रुपया व्यय होता है, मार्किंग सिस्टम को स्वीकार करने का केवल एक यही कारण है कि उसमें पैसे की बहुत बचत हो जाती है। अगर यह कन्सीडरेशन न होता और केवल यही होता कि डेमोक्रेसी जी जायगी या और बातें कही गई तो इसे स्वीकार करने में जरा सी भी अनिच्छा हमारी ओर से न होती। लेकिन इन दोनों सिस्टम में लाखों रुपए का फर्क पड़ता है जिसकी वजह से हम इसको मानने के लिये मजबूर हुये हालांकि जितनी बातें इसके लिये कहीं गई हैं वह सब लागू नहीं होती।

जहां तक बैलट पेपर का सम्बन्ध है जिसकी इतनी महिमा गाई गई वहां एक एक कांस्टीट्यूएंसी में हजारों की तादाद में बैलट वेस्ट गये हैं और मेरा खयाल है कि अगर हम सारे देश का हिसाब लगायें तो लाखों की तादाद में वोट्स इनवेलिड हुये होंगे। मेरा ऐसा खयाल है कि इस मार्किंग सिस्टम में इतने वोट्स खराब नहीं जा सकते। इसके अलावा मैं यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि निशान के सम्बन्ध में जो नाइसिटी यहां बरती गई है कि जरा भी लाइन से निशान इधर से उधर हुआ कि वोट इनवेलिड कर दिया उतनी नाइसिटी हम देहात में नहीं बरतेंगे। लाइन के पास दांयें या बांये कहीं भी निशान लग जायगा प्रोवाइडेड वह निशान उस व्यक्ति के निशान के सामने हो जिसको वोट देना है। यह नहीं कि निशान न लगायें या देना चाहे किसी को लगा दें कहीं। आंख तो जरूर होना चाहिये, पढ़ा-लिखा कोई हो या न हो, लेकिन अगर आंख है और वोटर को मालूम है कि वोट किसे देना है जो इतना भी नहीं जानता कि वोट किसको देना है तो वोट जरूर खराब हो जायगा या एजेन्ट से यह कहेगा कि हमारा वोट आप दे दें या निशान लगा दे, तो कौन सा ऐसा एजेंट होगा जो दूसरे का वोट दे देगा, वह तो कहेगा कि वोट तुम्हें देना है हमें नहीं देना है। बार-बार उन एजेंटों के लिये बिना किसी संकोच के कहा जाता है कि जो यहां अपना प्रतिकार भी नहीं कर सकते, जवाब भी नहीं दे सकते कि वह ऐसा करेंगे, आप को दोष दे आप हमें दे, लेकिन जो व्यक्ति यहां मूक हैं, यहां आ नहीं सकते उन को कहना कि वह बिलकुल बेईमान हैं या यह कि हम यह न समझे कि वे हमें वोट नहीं दिलायेंगे और विपक्ष वालों को ही वह वोट दिलायेंगे, मैं समझता हूं इस तरह से सोचने की जो पद्धति है वह बिलकुल गलत है और मैं यह मानते हुये भी कि वह वोट सारे हमारे खिलाफ जायंगे यही चाहूंगा कि यही सिस्टम रखा जाय, क्योंकि इसमें बचत है क्योंकि इसके अन्दर बैलट पेपर चल कर एक जगह से दूसरी जगह नहीं दिये जा सकते। पूरे बैलट पेपर दे दें तो जैसे वहां है, इसमें भी है। इसमें कोई ज्यादा नहीं हो पाता है। इस वास्ते जो डिफेक्ट है बैलट पेपर में उससे यह भी सफर करता है। कोई दूसरी चीज बताई जाय जिसमें यह न हो तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन अगर दो समान इविल्स में से चुनना है तो यह इम्मैटीरियल है कि हम किसको चुनें।

जहांतक इसका सवाल है कि लोग इतना भी नहीं करेंगे कि उसके सामने निशान लगादें जो चुनाव चिह्न है, उनका हाथ हिलता हो, आंखों से कतई न दिखायी देता हो इतनी बूढ़ी हो कि पेंसिल हैंडिल न कर सकती हो, उसके लिये हो सकता है कि एजेंट की मार्फत वोट दे। उसमें उम्मीदवार के एजेंट प्रेजेंट रह सकते हैं। दोनों के लिय च्वायस है। कुछ न कुछ वोट हर हालत में सीक्रेट नहीं रह सकेंगे। इसलिये मैं समझता हूं कि यह जैसा है वैसा हमें पास करना चाहिये और यह प्रश्न इस बिल के पास करने के बाद भी ओपेन रह सकता है और किसी स्टेज पर यह अगर हमारी समझ में आ जाय कि कोई इस से अच्छा और सस्ता तरीका आ सकता है तो ओपेन रहेगा। मैं एश्योरेंस दे सकता हूं कि इसके लिये हमारा दरवाजा कभी बन्द नहीं रहेगा। अगर इलेक्शन कमीशन कोई आज्ञा निकालता है कि यह

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

गलत तरीका है दूसरा मान लो तो वह मान लेंगे, लेकिन यहां रिजिड चीज ले आने के बाद हमारे और आपके हाथ बंध जाते हैं सोक्रेसी मेंटेन करने के लिये जो कुछ भी किया जा सकेगा, जिसमें लाखों रुपये का खर्च न हो वह मैं करने की कोशिश करूंगा।

ऐसे वोटर जिनका माइंड नहीं बन पाया है, हम पकड़ ले गये तो हमारे साथ, कोई दूसरा पकड़ ले गया तो उसके साथ, उनका वोट इधर या उधर पड़ता है इससे कोई बड़ा अन्तर भी नहीं पड़ता है। जिनका पोलिटिकल माइंड मेक-अप नहीं हुआ है आप पहले पहुंच गये तो कह दिया आपको वोट देंगे, हम पहुंचे तो कह दिया कि हम तो वादा कर चुके हैं, ऐसे वोट किसको मिलते हैं? इससे पोलिटिकल एजूकेशन और पालिटिकल एचीवमेंट नहीं होता। जिस वक्त हम डेमोक्रेसी की बातें करते हैं उस वक्त रिऐलिटीज का भी खयाल रखें। बिलकुल शब्दों के प्रवाह में न बह जायं। मैं आशा करता हूं कि इस को पास किया जायगा।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि अगर पांच बजे तक न पास करें तो आध घंटा और बढ़ा लें, लेकिन जैसा कि मैंने कल कहा था ग्यारह बारह बजे तक न बैठें। यह मेरी विनम्र प्रार्थना है। इधर से कई बार कहा गया कि क्लोजर मूव किया जाय, मैंने कहा मत करो। प्रार्थना करने से, हाथ जोड़ कर जो काम निकल जाता है उसके लिये क्यों नाराज किया जाय।

इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि यह वापस कर लिया जायगा।

श्री रामनारायण---पांच बजे के बाद अजेंडा में दूसरा विषय है तो जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा इसके डिस्कशन के लिये समय बढ़ जाय तो उसके लिये आध घंटा रहेगा?

श्री उपाध्यक्ष---अगर माननीय सदस्य चाहें तो मैं कल के लिये भी मुल्तवी कर सकता हूं। यह भी सम्भव है।

श्री शांति प्रसन्न शर्मा---कल के लिये ही कर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष---(श्री रामस्वरूप वर्मा से) पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि आपको माननीय उग्रसेन का संशोधन स्वीकार है?

श्री रामस्वरूप वर्मा---मैं स्वीकार करता हूं। मैंने मंत्री जी के तर्क को सुना। मैं उन माननीय सदस्यों का कृतज्ञ हूं, जिन्होंने तमाम बातें जो इस सम्बन्ध में हो सकती थी विस्तार से कहीं। सीक्रेट बैलेट सिस्टम जैसा कि अभी तक चल रहा था उसकी जो अच्छाइयां थीं उन तमाम पर प्रकाश डाल करके मेरे प्रस्ताव के पक्ष का, जिन्होंने समर्थन किया है, मैं उसके लिये अनुगृहीत हूं। माननीय मंत्री जी के तर्कों को मैंने सुना तो मुझे बड़ी निराशा हुई। जितने तर्क विरोधी पक्ष की ओर से दिये गये उनका कोई उत्तर माननीय मंत्री जी के तर्क में नहीं था।

दो बातें उन्होंने कहीं। एक तो यह कि एलेक्शन कमीशन आफ़ इंडिया ने चूंकि ऐसा कर दिया है लिहाजा माननीय मंत्री जी उसके लिये तैयार हैं। इस सम्बन्ध में मैं उनसे ज्यादा क्या निवेदन करूं। सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि एलेक्शन कमीशन आफ़ इंडिया जो है वह एक नौकरशाही का प्रतीक है और यह सर्व सत्ता सम्पन्न असेम्बली है जिसके अपने अधिकार हैं और अपनी सामर्थ्य है। माननीय मंत्री जी ने एलेक्शन कमीशन के मत को सर्वोपरि मानकर या उसको अपने ऊपर ज्यादा बाध्य समझ कर यह तर्क जो दिया मैं तो समझता हूं कि इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्य भी उसको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि यह उनके अधिकारों के ऊपर एक किस्म का आघात है। अगर एलेक्शन कमीशन आफ़ इंडिया कोई गलती करता है या कोई ऐसा सिस्टम रखता है जो कि इस प्रदेश के लिये अनुपयुक्त है तो यह सबसे पहला

हम लोगों का काम है कि हम अपने प्रदेश की जनता के जो प्रतिनिधि हैं वह उनको बतायें कि यह सिस्टम गलत है ।

दूसरे, माननीय मंत्री जी तो गांधी जी के बहुत बड़े समर्थक हैं, उनके अनुयायी हैं। महात्मा गांधी ने विकन्द्रीकरण की प्रथा, विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त पर सबसे ज्यादा जोर दिया। माननीय मंत्री जी अगर इस संशोधन को मान लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि यहां की जनरुचि जो है और जनमत जो है उसका वह आदर करते हैं और उसको मानने के लिये वह तैयार हैं। जनता जिस प्रणाली को अच्छी तरह सीख चुकी है और जिसके बल पर उत्सुक है कि अगले बार वोटों का फैसला हो, उस मत को आदर मिलेगा, उसको प्रोत्साहन मिलेगा और साथ ही साथ उनका महात्मा जी का अनुयायी होना और विकेन्द्रीकरण सत्ता में विश्वास करना भी भलीभांति सिद्ध हो जायगा। फिर दूसरी बात यह कि लेजिस्लेचर कुछ ऐसे विचार रखे और ऐसी प्रवृत्तियों का दिग्दर्शन करे जिस से ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। यह जो संशोधन था और उस पर आदरणीय वक्ताओं के जो भाषण हुये उनसे स्पष्ट था कि वह सिस्टम जो अब तक चल रहा था गुप्त मतदान का वह सर्वोत्तम था और वह अच्छा था। उसको न मानकर जो माननीय मंत्री जी ने कहा कि एलेक्शन कमीशन की बात को वह मानते हैं और जब एलेक्शन कमीशन कहेगा तब हम परिवर्तन कर देंगे, यह किसी प्रकार उनके अनुरूप नहीं है और न इस आदरणीय सदन की प्रतिष्ठा के अनुरूप है। इसलिये मैं तमाम माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने अधिकार को अक्षुण्ण रखते हुये इस बात पर जोर देंगे और माननीय मंत्री जी उन तमाम लोगों के आग्रह को देखते हुये इस बात के लिये तैयार होंगे कि वह हमारे प्रस्ताव को मान लें। श्रीमन्, इसके साथ-साथ एक बात और कह दूं कि रुपये का सवाल माननीय मंत्री जी ने किया यानी दूसरा तर्क उनका यह था कि रुपया नहीं है इसलिये भी हमें परेशानी है और जिसमें बचत हो वह काम करने को हम तैयार हैं। तो श्रीमन्, पूंजीपतियों के द्वारा करोड़ों रुपयों का यहां पर अपव्यय होता है और सरकार के पैसे का अपहरण होता है। श्रीमन्, अभी बिजली का एक बिल आया था, उसमें यह साफ़ हुआ था कि २७ लाख रुपया बिजली टैक्स का बकाया है पूंजीपतियों पर और एक मिल जो बन्द पड़ी हुई है . . . . .

श्री उपाध्यक्ष—सदन में शान्ति नहीं है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—काम-रोको प्रस्ताव जिसके सम्बन्ध में आया हुआ था उसमें हिसाब लगाकर देखा गया कि एक करोड़ से सवा करोड़ के करीब रुपया निश्चित रूप से सरकार का पूंजीपति खा गये। उस पैसे के लिये पिछले सदन में भी बात आयी थी मऊनाथ भंजन के सम्बन्ध में कि ८ लाख रुपये का अपहरण कर लिया गया। तो इन तमाम बातों के लिये सरकार के पास फुर्सत नहीं है कि वह पैसा बचाये। जनतंत्र विकसित हो, भ्रष्टाचारी को सजा मिले और साथ ही साथ जनता का विश्वास बढ़े। जनतंत्र का विकास हो ऐसे कामों के लिये सरकार के पास कोई औचित्यपूर्ण उत्तर नहीं है। कुछ नहीं कर रही है, लेकिन जहां बैलेट सिस्टम का सवाल आया, जहां जनता स्वतंत्रतापूर्वक अपना मत व्यक्त कर सके और अच्छी से अच्छी प्रणाली जो इस वक्त सर्वोत्तम है, जिसे मंत्री जी भी स्वीकार कर चुके हैं, उसके बारे में कोई संतोषजनक तर्क नहीं दिया कि मार्किंग सिस्टम से कितनी ज्यादा बचत है। यद्यपि बैलट बाक्सेज का ज्यादा खर्च है, वह भी सरकार के पास हैं, पहले से, लेकिन चूंकि पोलिंग स्टेशन का क्षेत्र बढ़ा दिया है, इसलिये उनकी भी ज्यादा आवश्यकता नहीं होगी। तो उन बाक्सेज का इस्तेमाल हो सकता है। पैसे की जो बात होती तो उसको मंत्री जी को स्पष्ट रूप से बताना चाहिये था, क्योंकि यहां सभी सदस्य विद्वान बैठे हैं, जो एक साफ़ चीज देखना चाहते हैं। न यही बताया गया कि जो बैलट सिस्टम अब चल रहा है और जिस मार्किंग सिस्टम को अब सरकार सोच रही है उसमें कितने रुपये का फर्क पड़ेगा और न यही बताया कि मार्किंग सिस्टम में कितने बैलट बाक्सेज की जरूरत पड़ेगी और सीक्रेट बैलट सिस्टम में कितनी जरूरत पड़ेगी। अगर वह फ़र्क बताते तो हम सोचते कि किस प्रणाली को

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

अपनाया जाय और तब निश्चय किया जाता कि कौनसा सिस्टम अपनाया जाय। उन्होंने अपने दिमाग में यह बना लिया कि चूंकि एलेक्शन कमीशन ने यह लिख दिया कि ऐसा करना चाहिये . . . . . .

श्री उपाध्यक्ष---यह आप कई बार कह चुके हैं। इस बहस को खत्म कीजिये।

श्री रामस्वरूप वर्मा---मैं कह रहा हूं कि उन्होंने रुपये का हवाला कुछ नहीं दिया। मेरी समझ में उनके पास कोई अच्छा प्रमाण नहीं है और जो थोड़ा बहुत फ़र्क है वह इतना नेगलिजिबिल है कि उसके सम्बन्ध में माननीय सदस्यों के विचारों को बदला नहीं जा सकता।

मैं एक बात और कहूंगा मंत्री जी से, शायद इन तमाम बातों को सुनने के बाद और अपने को प्रगतिशील घोषित करने के बाद जैसा वह अपने को समझते हैं और दावा भी करते हैं उनके सभी लोग, तो इस दृष्टि से वह हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे। नहीं तो जो हमने बातें बतायी हैं मैं इतना जरूर समझता हूं और यह बात साफ़ हो गयी है कि अपोजीशन मैक्स दी गवर्नमेंट वाइजर। श्रीमन्, एक बड़ा भारी नुक्सान होगा प्रदेश का कि आखिर हम तमाम लोग एक प्रणाली के लिये निश्चित रूप से तर्क उपस्थित करते हुये भी और सरकार की ओर से कोई मजबूत तर्क पेश न होते हुये भी अगर मंत्री जी अपने विचार नहीं बदलते हैं तो मैं समझूंगा गवर्नमेंट दृढ़ है और इससे कोई तर्क का ताल्लुक नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करूंगा कि सदन हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करे।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, मैं निवेदन कर चुका हूं। यहां पास हो जाने के बाद यह प्रश्न ओपिन रह सकता है। वह हमें कनविन्स कर दें किसी स्टेज पर कि बिना ज्यादा खर्च के यह हो सकेगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन उसका इस बिल से सम्बन्ध नहीं है कि ऐक्चुअली हम क्या करने जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष---चूंकि रामस्वरूप वर्मा जी ने माननीय उग्रसेन जी का संशोधन मान लिया है इसलिये मैं दोनों को एक साथ ले लेता हूं अगर किसी को ऐतराज न हो तो।

(किसी के एतराज न करने पर)

प्रश्न यह है कि खंड ९ में प्रस्तावित धारा 14-B की उपधारा (j) में शब्द "elections" के बाद शब्द "by secret ballot system as was in vogue in general elections of Assembly and Parliament in 1952 and 1957." बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी।)

श्री राजनारायण---यह बड़े महत्व का प्रश्न है। इसलिये मैं चाहूंगा कि लाबीज में जाकर वोटिंग हो।

एक सदस्य---टाइम वेस्ट होगा।

श्री राजनारायण---जहां प्रिन्सिपल का सवाल इंवाल्व होता है वहां टाइम वेस्ट होने की बात कही जाती है। इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करके सरकार जनहित की हत्या कर रही है।

श्री उपाध्यक्ष---मैंने आप की प्रार्थना स्वीकार कर ली।

श्री गौरीशंकर राय---श्रीमन्, एक निवेदन है कि जिन लोगों के संशोधन हैं, विशेष तौर से विरोधी दल के लोगों के, वह सब लोग अपने संशोधन रख देंगे और एक-एक, दो-दो मिनट में उस पर भाषण हो जायंगे। और मैं प्रस्ताव भी कर दूं अहतियातन कि . .

श्री उपाध्यक्ष—तब तक मैं कोई प्रस्ताव नहीं ले सकता जब तक डिवीजन की कार्यवाही चल रही है। आप कृपया बैठें।

घंटी बन्द होने के उपरान्त प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और सदन के निम्नलिखित ढंग से विभाजित होने पर अस्वीकृत हुआ :—

पक्ष में—४८

अमरनाथ, श्री
उग्रसेन, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
कल्याणचन्द्र मोहिले, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गरीबदास, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीशंकरराय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमुना सिंह, श्री (बदायूं)
जयदेवसिंह आर्य, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
दशरथ प्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
बालकराम, श्री
बिहारीलाल, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भजनलाल, श्री
मदन पांडेय, श्री
मन्नालाल, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
रघुबीरराम, श्री
राजनारायण, श्री
राजेंद्रसिंह, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामायणराय, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
विश्रामराय, श्री
सजीवनलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री

विपक्ष में—११०

अक्षयवर सिंह, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अहमद बख्श, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री

गौरीराम गुप्त, श्री
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजा सिंह, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपूर)
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नरेंद्रसिंह विष्ट, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बिशम्बर सिंह, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
ब्रजभूषणशरण, श्री
भीमसेन, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुरलीधर, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रणबहादुरसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजेंद्रकिशोरी, श्रीमती
रामचन्द्र विकल, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
वीरेंद्र वर्मा, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शमसुल इस्लाम, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामलाल, श्री
संग्रामसिंह, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरेंद्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह, श्री

श्री गौरी शंकर राय—उपाध्यक्ष महोदय, अब वह प्रस्ताव ले लिया जाय। वैसे हम प्रयास करेंगे कि यह विधेयक ५ बजे तक ही पास हो जाय और अगर न हो तो जब तक यह पास न हो सदन बैठे।

श्री राजनारायण—क्वेश्चन वाला आइटम अगर आज न हो तो कल हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—अगर प्रश्नकर्त्ता और मंत्री जी तैयार हो जायं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, श्री लारी के प्रश्न के ऊपर हमने प्रश्न किया है।

श्री उपाध्यक्ष—कल आ जाय तो क्या दिक्कत है। लारी साहब को तो कोई आपत्ति नहीं है? अच्छा तो इसको बाद को ले लेंगे। यह तय हुआ कि जब तक यह विधेयक पारित न हो यह सदन बैठा रहे।

हरिजन कल्याण मंत्री के सभासचिव (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—या आध घंटे तक।

श्री उपाध्यक्ष—कृपया शांत रहिये। अगर कई लोग एक साथ बोलेंगे तो मुझे निर्णय देने में दिक्कत होगी।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, जब तक यह पास न हो जाय या साढ़े पांच बजे तक।

श्री गौरीशंकरराय—मैं साफ कर दूं कि प्रस्ताव तो मैंने यह जरूर किया है कि जब तक समाप्त न हो जाय तब तक सदन बैठे, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि जल्दी से जल्दी समाप्त करने का प्रयास किया जायगा और कल मंत्री जी कह चुके हैं और आज भी कहा है कि ऐसा न कीजिये कि हमको १२ बजे तक बैठना पड़े। तो १२ बजे तक तैयार हो कर आने वाले मंत्री जी के लिये आध घंटा और घंटा क्या चीज है।

श्री उपाध्यक्ष—इस समय ५ १/२ बजे तक एक मत से तय हो गया?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—ऐसा मान लिया जाय कि स्पीचेज न हों और अधिक से अधिक एक मिनट के अन्दर संशोधन उपस्थित कर दें। उसके बाद वोटिंग हो जाय और अगर उसमें भी फिर ५ १/२ बजे से थोड़ा ज्यादा भी बैठना पड़े तो ज्यादा दोष की बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—५ १/२ बजे तक तो अभी एक मत से तय कर लें और ५ १/२ बजे जैसी परिस्थिति होगी वैसा वक्त बढ़ा दिया जायगा।

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—मैं यह पूछना चाहता हूं कि एक चीज रखी हुई थी ५ बजे के बाद होने को। तो उसके लिये क्या आज्ञा है?

श्री उपाध्यक्ष—मैं अभी कह रहा था कि अगर मुद्दई और मुद्दआलय मुझसे दरख्वास्त करें तो मैं कल के लिये मुल्तवी कर सकता हूं।

श्री सैयद अली जहीर—मुझे कल के लिये कोई एतराज नहीं है। कल के लिये आप हुक्म दे दें, क्योंकि आज तो ५ बजे के बाद यह बिल चलेगा ही।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय लारी जी कहां हैं? उनके आ जाने के बाद मैं देखूंगा।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, माननीय बलवानसिंह जी ने मुझे अपने संशोधन को प्रस्तुत करने की आज्ञा दे रखी है। इसलिये मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ९ में प्रस्तावित धारा 14-C की उपधारा (I) की पंक्ति ५ में शब्द "District Magistrate" के स्थान पर शब्द "Director of Election" रख दिये जायं।

[श्री उग्रसेन]

श्रीमन्, मुझे कुछ अधिक कहना नहीं है। यह बोर्ड के बाई-एलेक्शन के सिलसिले में है। हमारा मतलब यह है कि बाई-एलेक्शन के लिये जिला मैजिस्ट्रेट को अधिकार नहीं मिलना चाहिये बल्कि जिसको इस विधेयक में अधिकार दिया गया है—डायरेक्टर आफ़ एलेक्शन-उसी को यह अधिकार मिलना चाहिये। आशा है मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मुझे स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ में प्रस्तावित धारा 14—C की उपधारा (1) की पंक्ति ५ में शब्द "District Magistrate" के स्थान पर शब्द "Director of Election" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रामस्वरूप वर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ९ में प्रस्तावित धारा 14—E की उपधारा (1) को निकाल दिया जाय।

श्रीमन्, यह धारा सिविल कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन के संबंध में है। माननीय मंत्री जी चाहते हैं कि सिविल कोर्ट्स को इस तरह के विवाद तय करने का अधिकार न मिले। मैं समझता हूं कि सिविल कोर्ट्स के अधिकार कम करना इसलिये भी अच्छा नहीं है, क्योंकि कोर्ट्स में तो जाकर हर चीज सफाई पर आ जाती है और दूसरे मनुष्य को संतोष भी होता है कि आखिर उन अधिकारियों के पास हमारी बात पहुंचती है जो निष्पक्ष हैं और जो इस काम के लिये नियुक्त किये गये हैं।

इन थोड़े से शब्दों में मैं आपके द्वारा यह प्रार्थना करता हूं कि इसको हटा देने से कोई अन्तर नहीं पड़ेगा और इसमें मंत्री जी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, एलेक्शन पिटीशन के लिये अलग प्राविजन किया गया है। इसलिये मैं इसको अस्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ में प्रस्तावित धारा 14—E की उपधारा (1) को निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १० और ११

यू० पी० ऐक्ट संख्या १०, १९२२ की धारा १५ का संशोधन।

१०—मूल अधिनियम की धारा १५ में—

(१) उपधारा (१) के खंड (सी) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(*c*) that such person was disqualified for election under the provisions of section 13 ; or

(२) उपधारा (२) के खंड (बी) में शब्द "any rule" के स्थान पर "any rule or order" रख दिये जायं, तथा शब्द "any rules' के स्थान पर "any rules or orders" रख दिये जायं।

११—मूल अधिनियम की धारा १६ में शब्द "fifteen" के स्थान पर "thirty" रख दिया जाय, तथा शब्द "announced" के स्थान पर "declared under the Act" रख दिये जायं। यू० पी० ऐक्ट संख्या १०, १९२२ की धारा १६ का संशोधन।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १० और ११ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १२ से २०

१२—मूल अधिनियम की धारा १८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:— यू० पी० ऐक्ट संख्या १०, १९२२ की धारा १८ का प्रतिस्थापन।

"18. (1) An election petition shall be presented to the District Judge within whose jurisdiction the constituency concerned is situated and may with the permission of the District Judge, be withdrawn by the petitioner before it has been referred for decision to a Tribunal under sub-section (2).

(2) An election petition shall be heard by a Tribunal consisting of one or more civil judicial officers appointed by the State Government in this behalf and at a place in the district within which the constituency is situated".

१३—मूल अधिनियम की धारा १९ की उपधारा (१) में शब्द "rule" जहां कहीं भी आया हो, उस के स्थान पर शब्द "rule or order" रख दिये जायं। यू०पी० ऐक्ट संख्या १०, १९२२ की धारा १९ का संशोधन।

१४—मूल अधिनियम की धारा २३ में प्रतिबंधात्मक खंड के अंत में फुलस्टाप के स्थान पर कोलन रख दिया जाय तथा निम्नलिखित द्वितीय प्रतिबंधात्मक खंड के रूप में बढ़ा दिया जाय :— यू० पी० ऐक्ट संख्या १०, १९२२ की धारा २३ का संशोधन।

"Provided further that no such declaration shall be made about any candidate who was not a party to the election petition".

१५—मूल अधिनियम की धारा २५ में शब्द "From voting at any board election and" निकाल दिये जायं। यू० पी० ऐक्ट संख्या १०, १९२२ की धारा २५ का संशोधन।

१६—मूल अधिनियम की धारा २६ निकाल दी जाय। यू०पी० ऐक्ट संख्या १०, १९२२ की धारा २६ का निकाला जाना

यू० पी० ऐक्ट संख्या १०, १९२२ की धारा २६–ए का प्रतिस्थापन।

१७—मूल अधिनियम की धारा २६–ए के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"26-*A*. General Elections (1) Except as provided in section 170 or 171 there shall be a general election to the board before the expiry of the term or extended term, as the case may be, of the board under section 4-B on such date or dates as the State Government may, by notificatinon in the official *Gazette*, appoint in that behalf.

(2) When a new board is created under section 4, the first board thereof shall, as far as may be, constituted in accordance with the provisions of this Act relating to general election to a board."

यू० पी० ऐक्ट संख्या १०, १९२२ की धारा २९ का प्रतिस्थापन।

१८—मूल अधिनियम की धारा २९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"29. (1) The term of office of a member of a board elected at a general election shall begin from the date of constitution of the board and unless otherwise terminated under the provisions of this Act, shall be the same as the term of the board.

(2) The term of office of a member elected to fill a casual vacancy or a vacancy remaining unfilled at the general election shall begin upon the declaration of his election under the Act and, unless otherwise terminated earlier under the provisions of this Act, shall be the remainder of the term of the board."

यू० पी० ऐक्ट संख्या १०, १९२२ की धारा ३१ का संशोधन।

१९—मूल अधिनियम की धारा ३१ की उपधारा (१) खंड (बी) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(*b*) after his nomination as a candidate at the election at which he was elected incurs a disqualification under section 11-B or section 13, or".

यू० पी० ऐक्ट संख्या १०, १९२२ की धारा ३२ का संशोधन।

२०—मूल अधिनियम की धारा ३२ में:—

(१) उपधारा (१) में शब्द "or co-option" निकाल दिये जायं, और

(२) उपधारा (२) में शब्द "he is again enrolled as an elector" के स्थान पर शब्द "the disqualification ceases" रख दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १२ से २० तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २१

यू० पी० ऐक्ट संख्या १०, १९२२ की धारा ३५ का प्रतिस्थापना।

२१—मूल अधिनियम की धारा ३५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"35. (1) As soon as may be after the election of members at a general election to a board is completed, the members declared elected shall elect a President for the board in accordance with the system of proportional representation by means of a single transferable vote and the voting at such election shall be by secret ballot.

(2) For the purposes of election of President the election of members of the board shall, notwithstanding any seat remaining unfilled, be deemed to be completed if at least four-fifths of the total number of members fixed under section 4 have been declared elected.

(3) A person shall not be qualified to be chosen as President of a board unless he—

(*a*) is an elector for any constituency of the board concerned, and

(*b*) is not less than thirty years of age on the date of presenting his nomination paper as a candidate for election to the office of President under section 35-D.

(4) A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a President of a board if he—

(*a*) is or has become subject to any of the disqualifications mentioned in section 13 and the disqualification has not ceased or had been removed under the said section, or

(*b*) is otherwise disqualified for election as President under the provisions of this Act". "

श्री सुरथबहादुरशाह—श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड २१ के अन्तर्गत धारा ३५ (१) को निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय:—

35-A. (1) For the purpose of electing a chairman under sub-section (2) of the section 33 a meeting of the board of which no previous notice shall be required to be given shall be held at the office of the Board at 1 p.m. on a date which shall be subsequent to the election of members of the Board and shall be fixed by the State Government by notification in the official *Gazette*.

(2) A stipendiary Civil Judicial Officer previously appointed by the State Government in this behalf shall act as chairman of a meeting held under the provisions of this section :

Provided that the Chairman of a meeting held under the provisions of this section shall not have a right of vote or a casting vote.

(3) The following procedure shall be observed at a meeting held under the provisions of this section, namely—

(*a*) if only one duly qualified candidate is proposed and seconded he shall be deemed to be elected;

(*b*) if two but not more than two duly qualified candidates are proposed and seconded, the candidate who obtains the greater number of votes shall be deemed to be elected;

(*c*) if more than two duly qualified candidates are proposed and seconded, the names of the two candidates who obtain the greatest number of votes shall again be put to the vote and the candidate who then obtains the greater number of votes shall be deemed to be elected;

(*d*) every member who desires to vote shall write the name of the candidate for whom he wishes to vote upon a blank voting paper,

[श्री सुरथबहादुर शाह]

(*e*) in case of an equality of votes the Chairman shall decide the question by drawing vote.

(4) If by 5 p.m. on the date of a meeting held under the provisions of this section a Chairman has not been elected the meeting shall stand adjourned.

(5) If a meeting is adjourned under the provisions of sub-section (4) the adjourned meeting shall be held at 1 p.m. at the office of the Board on the seventh day after the adjournment and the procedure shall be the same as at the previous meeting.

(6) If by 5 p.m. on the date of an adjourned meeting held under the provisions of sub-section (5) a Chairman has not been elected, the Chairman of the meeting shall send the minutes of the meeting and of the adjourned meeting to the District Magistrate who shall send them to the State Govern ment."

श्री विचित्रनारायण शर्मा--इसके पहले तो ५६ मूव करना चाहिये। तभी इसकी गुंजाइश होगी।

श्री सुरथबहादुरशाह--५६ के बारे में यह है कि सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट उसमें होता है जिसमें प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। यहां एक आदमी का इलेक्शन है, इसलिये वह नहीं रहेगा। इसलिए खंड २१ में प्रस्तावित धारा 35 की उपधारा (1) की पंक्ति ४ से लेकर पंक्ति ६ के शब्द "in accordance with the system of proportional representation by means of a single transferable vote". निकाल दिये जावें।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--आइटम ५६ में स्वीकार करता हूं और उसके बाद ६३ के आ जाने से जो नरेंद्रसिंह जी का है, जो माननीय सदस्य चाहते हैं वह हो जायगा। इसलिये वह अपना दूसरा संशोधन वापस ले लें।

श्री सुरथबहादुर शाह--मैं मंत्री जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने कुछ तो इधर का संशोधन स्वीकार किया। मैं दूसरा वापस लेता हूं मगर वह उसमें कुछ ऐसा कर दें कि उसमें शब्द "elimination of the lowest" आ जावें।

श्री उपाध्यक्ष--आप उनसे मिल कर तय कर लें। मैं और कार्यवाही ले रहा हूं।

प्रश्न यह है कि खंड २१ में प्रस्तावित धारा 35 की उपधारा (1) की पंक्ति ४ से लेकर पंक्ति ६ के शब्द "in accordance with the system of proportional representation by means of a single transferable vote". निकाल दिये जावें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरथबहादुरशाह--श्रीमन्, मैं अपना दूसरा संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

*श्री राजेन्द्र सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २१ में प्रस्तावित धारा 35 की उपधारा (2) को निकाल दिया जाय। उपधारा (२) इस प्रकार है:-

"For the purposes of election of President the election of members of the board shall, notwithstanding any seat remaining unfilled, be deemed to be completed if at least four-fifths of the total number of members fixed under section 4 have been declared elected."

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसमें रखा गया है कि अगर ४/५ सदस्य उपस्थित हों और १/५ सदस्य उपस्थित न हों तब भी प्रेसीडेन्ट का एलेक्शन हो जायगा। ऐसी स्थिति आ सकती है कि कुछ सदस्य इस्तीफा देदें या भगवान के घर चले जावें या उपस्थित नहीं हो पाते हैं, तो ऐसी दशा में १०० की जगह ८० सदस्यों के ही होते हुये चुनाव कराना उचित नहीं है। मैं चाहता हूं कि तालिका पर सभी सदस्य उपस्थित होने पर ही चुनाव कराया जाय। सम्पूर्ण सदस्यों के होने पर प्रेसीडेंट का चुनाव कराना प्रजातंत्र के विरुद्ध होगा और हम लोग अपने नागरिकता के अधिकार का पूर्ण प्रयोग नहीं कर सकेंगे।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मैं इसे मानने से इन्कार करता हूं क्योंकि इसे मानने से बहुत दिक्कत होगी। इस हालत में भी कुछ म्युनिसिपल बोर्डों और टाउन एरियाज के एलेक्शन हमको २-३ बार पोस्टपोन करने पड़े। जहां लोग अपना फर्ज ही महसूस नहीं करते हैं वहां यह होना असम्भव है। अगर कोई माइनारिटी में होगा और वे लोग जानबूझकर न आवें तो एलेक्शन ही नहीं हो सकेगा।

श्री राजेन्द्रसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा कि कोई वोट देने न आवे तो एलेक्शन नहीं होगा, इसलिये उन्हें जनता की नीयत पर शक नहीं करना चाहिये। मैं चाहता हूं कि तालिका पर सब होने चाहिये, कोई सीट खाली नहीं होनी चाहिये, उपस्थित चाहे कोई न हो। तब ही चुनाव कराया जाय।

श्री राजनारायण—मैं केवल इतना ही निवेदन करूंगा कि मंत्री जी को इसे जरूर मान लेना चाहिये। वह कहते हैं कि चुनाव हो जाय तब मेम्बर न आवे, तब चुनाव कराना दूसरी बात है और जब कि तमाम निर्वाचन क्षेत्र के १/४ का चुनाव न हुआ हो, केवल ३/४ का चुनाव हुआ हो और सभापति का चुनाव करा दिया जाय, यह दूसरी बात है। मैं मंत्री जी से पूछूंगा कि किसी ऐसी जगह पर जहां पर कांग्रेस का बहुमत नहीं हो रहा है और केवल ३/४ चुनाव हुआ है, तो वे अगर जिला निर्वाचन अधिकारी से मिलकर कहें कि तुम १/४ का चुनाव न होन दो और वह चुनाव न कराये क्योंकि पहले ३/४ में कांग्रेस का बहुमत है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वे हमारे इस शक का समाधान कैसे कर रहे हैं? इसलिये मैं सरकार से चाहूंगा कि वह इस नयी धारा को न जोड़ें और सबका जब चुनाव हो जाय तब सभापति का चुनाव कराये। अगर तीन-चौथाई का चुनाव होने पर ही, सभापति का चुनाव करा दिया जायगा तो हत्या हो जायगी और जो पूरे जिले में बहुमत होगा वह अल्पमत में हो जायगा।

श्री सुल्तान आलम खां—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के नोटिस में एक चीज लाना चाहता हूं वह यह कि अमेंडमेंट मेम्बर साहब की तरफ से पेश हुआ, डिस्कशन हुआ, मंत्री जी की तरफ से जवाब दे दिया गया और माननीय सदस्य ने उसका जवाब भी दे दिया फिर माननीय राजनारायण जी का भाषण कैसे हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—उन्होंने सिर्फ मिनिस्टर साहब का ध्यान आकर्षित किया है। इतना छोटा भाषण अगर माननीय राजनारायण जी का हुआ करे तो आश्चर्य ही हो जाय। उन्होंने सिर्फ ध्यान ही आकर्षित किया है।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि खंड २१ में प्रस्तावित धारा 35 की उपधारा (2) को निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री राजेन्द्रसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है कि:—

खंड २१ में प्रस्तावित धारा 35 की उपधारा (3) के भाग (b) की पंक्ति १ में शब्द "thirty years" के स्थान पर शब्द "twenty-five years" रख दिये जायं।

[श्री राजेन्द्र सिंह]

श्रीमन्, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रेसीडेंट बनने के लिये जो क्वालीफिकेशन्स रखी गयी हैं, उनमें लिखा हुआ है कि उसकी अवस्था ३० वर्ष होनी चाहिये। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब २५ वर्ष की अवस्था में एम० एल० ए० हो सकता है और एम० एल० ए० पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी, डिप्टी मिनिस्टर, मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर हो सकता है तो फिर २५ वर्ष का डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का प्रेसीडेंट क्यों नहीं हो सकता? इसका उत्तर मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा।

मुझे एक शक भी होता है कि माननीय शर्मा जी ने या उनकी पार्टी ने यह इसलिये रक्खा होगा, क्योंकि उनको यह मालूम है कि विरोधी दल में नवयुवक बहुत हैं और उनकी पार्टी में बूढ़े बहुत हैं। उन्होंने सोचा होगा कि कहीं २५ वर्ष कर दिया गया तो विरोधी पार्टी के बहुत से नवयुवक आ जायंगे। इसलिये विरोधी पार्टी के लोगों को प्रेसीडेंटशिप के अधिकार से वंचित करने के लिये ही यह चीज रखी गयी है। वैसे तो सारे विरोधी दलों में ही अधिकतर नवयुवक हैं, परन्तु भारतीय जनसंघ में तो विशेषरूप से नवयुवक ही हैं। ऐसी दशा में हम लोगों के अधिकार का इससे बहुत ही ज्यादा हनन होगा।

श्री उपाध्यक्ष—भारतीय जनसंघ के सदस्यों की औसत उम्र क्या है?

श्री राजेन्द्र सिंह—मैं ठीक तो नहीं कह सकता, लेकिन तीस वर्ष से शायद कम ही होगी।

श्री विश्वनारायण शर्मा—मेरे खयाल से जनसंघ को यह नहीं सोचना चाहिये कि वहां बच्चे ही बच्चे हैं। यदि वे कोशिश करेंगे तो उनमें भी ३० वर्ष से ऊपर के लोग निकल आयेंगे। मैं इसको नामंजूर करता हूं।

श्री राजेन्द्र सिंह—माननीय मंत्री जी यह कैसे समझते हैं कि जनसंघ में बच्चे होंगे? २५ वर्ष से अधिक के लोगों को नवयुवक कहते हैं। इसलिये अब उनको इस चीज को स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि—खंड २१ में प्रस्तावित धारा 35 की उपधारा (3) के भाग (*b*) की पंक्ति १ में शब्द 'thirty years' के स्थान पर शब्द 'twenty-five years' रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड २१ में प्रस्तावित धारा 35 की उपधारा (3) के भाग (*b*) के पश्चात् निम्नलिखित भाग (*c*) रख दिया जाय:—

"(*c*) has passed at least High School Examination or any other examination declared by the State Government to be its equivalent".

श्रीमन्, अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का पद बड़ा ही महत्वपूर्ण पद होता है और उसको गवर्नमेंट की फाइलों और आफिशियल्स से भी डील करना पड़ता है। अगर अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पढ़ा लिखा न होगा तो नतीजा जाहिर है कि वह सेक्रेटरी के हाथ में खेलेगा और आफिस वाले जो चाहेंगे करवा लेंगे। मैं समझता हूं कि विरोधी दल के लिये यह एक कसौटी है कि वे निरक्षरता चाहते हैं या साक्षरता चाहते हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन को पेश करता हूं।

श्री रामस्वरूप वर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध कर रहा हूं और इस नाते विरोध कर रहा हूं कि हमारे यहां शिक्षा का स्तर अभी इतना ऊंचा नहीं हो पाया है कि हम यहां पर एक कैद लगा दें कि सिर्फ हाई स्कूल पास ही हो सकता है, यह बड़ा गलत होगा। दूसरी बात यह है कि प्रदेश की जनता और जिले की जनता स्वयं यह फैसला करेगी कि आखिर किस आदमी की योग्यता अधिक है और कौन बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से अच्छा

काम चला सकता है। इस नाते भी मैं समझता हूं कि ऐसे आदमी नहीं आ पायेंगे जो बोर्ड का काम नहीं चला सकेंगे। माननीय सदस्य को मैं एक बात बतला दूं कि उनको यह भ्रम है कि पढ़े-लिखे और डिग्री वाले ही अधिक काबिल होते हैं। इतिहास में ऐसे उदाहरण मौजूद हैं, अकबर दि ग्रेट का नाम उन्होंने सुना होगा, यदि पढ़े होंगे तो पढ़ा भी होगा, कि वह एक हरफ भी नहीं जानता था, लेकिन वह एक महान् राजा हुआ है। ऐसे और भी बहुत से उदाहरण मिल सकते हैं, जो लिखना-पढ़ना बिलकुल नहीं जानते थे, लेकिन उनके अन्दर काम करने का जोश था। इस तरह से देखा जाय तो बहुत से मिनिस्टर्स भी अगर अपने दिमाग से काम न लें तो सेक्रेटरीज वगैरह के हाथ में खेल सकते हैं, वे दर्जा चार पास भले ही हों। इसलिये मैं समझता हूं कि आदरणीय सदन कम से कम ऐसी पाबन्दी लगाने वाली धारा का समर्थन नहीं करेगा जिससे प्रदेश के एक बहुत बड़े हिस्से को अपने अधिकार से वंचित होना पड़े। अगर देखा जाय तो हमारे प्रदेश में हाई स्कूल पास लोगों की संख्या शिक्षितों के अन्दर १/२० भाग ही होगी। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि माननीय सदस्य इसको स्वीकार न करेंगे।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, माननीय सदस्य के भाषण को सुन कर मैंने महसूस किया कि इसको स्वीकार नहीं करना चाहिये, इसलिये मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं और अपना सौभाग्य समझता हूं कि उनकी बात मानने का एक शुभ अवसर मुझे मिला।

श्री लक्ष्मी नारायण बंसल—उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २१ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामस्वरूप वर्मा—मेरा संशोधन रह गया।

श्री उपाध्यक्ष—वह तो अब पास हो गया, अब क्या हो सकता है।

नया खंड २१-क

*श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २१ के पश्चात् निम्नलिखित एक नया खंड २१-क के रूप में रख दिया जाय:

"२१-क—मूल अधिनियम की धारा ३५ जैसी वह इस अधिनियम द्वारा संशोधित होने पर होगी के पश्चात् निम्नलिखित एक नई धारा ३५-ए के रूप में रख दी जाय:

यू० पी० ऐक्ट संख्या १०, १९२२ की धारा ३५ के पश्चात् एक नयी धारा रखना।

"35-A." (1) For voting at the election of President each member shall have one vote.

Manner of election of President.

(2) The candidate obtaining more than half the total vote cast at the election shall be declared celected.

(3) If there are more than two contesting candidates and none of them obtains more than half the total number of valid votes cast at the election, a fresh poll shall be taken as between the two candidates who obtain the largest number of valid votes and out of them the candidate obtaining the largest number of valid votes cast at the fresh poll shall be declared elected.

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट]

(4) In case of equality of votes between two candidates, if the addition of one vote to the votes obtained by any of them shall entitle him to be declared elected under sub-section (2) or sub-section (3) then it shall be decided by lot as to who out of them shall be deemed to have obtained one additional vote and the candidate on whom the lot falls shall be declared elected."

उपाध्यक्ष महोदय, सेक्शन २१ में यह व्यवस्था है कि किस तरह से प्रेसीडेंट का एलेक्शन होगा।

श्री राजेन्द्र सिंह---मैं इस बात की व्यवस्था चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि अभी तक सदन ने यह तय नहीं किया कि ५ बजे के बाद कब तक यह सदन बैठेगा।

श्री उपाध्यक्ष---यह तय हो चुका है कि सदन ५ १/२ तक बैठेगा और ५ १/४ बजे पोजीशन रिव्यू की जायगी, इस पर कोई एतराज नहीं हुआ और यही मान लिया गया है।

*श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट---इसलिये यह आवश्यक है कि यह बात भी निश्चित हो जाय कि प्रेसीडेंट का एलेक्शन किस तरह से हो। मैंने जो प्रस्ताव रखा है उस से साफ जाहिर है कि जो बहुमत होगा उसका ही प्रेसीडेंट बन सकेगा ; इसके लिये यदि प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा सिंगल ट्रांसफरेबिल वोट का तरीका होता तो गड़बड़ी हो सकती थी। उसी को साफ करने के लिये यह मैंने रखा है कि जिस का बहुमत हो उसी पार्टी का प्रेसीडेंट हो। अभी उस दिन जब जनरल डिसकशन हो रहा था तो श्री त्रिलोकीसिंह जी ने यही विचारधारा सदन के सामने रखी थी, जिसके द्वारा वह भी चाहते थे कि प्रेसीडेंट के एलेक्शन के लिये ऐसी व्यवस्था की जाय और इसके बाद जो श्री सुरथ बहादुर शाह का प्रस्ताव है उसका भी यही मंशा है जो मेरे संशोधन द्वारा पूर्ण रूप से पूरी हो जाती है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय और सदन के अन्य सदस्यगण इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री जगवीरसिंह---श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो जिस नियत से यह संशोधन आया है वह बड़ा ही सुन्दर है, लेकिन मेरे दोस्त कुछ गलती कर गये हैं। जहां तक कि इसके सब-सेक्शन (३) की बात है कि---

"If there are more than two contesting candidates and none of them obtains more than half the total number of valid votes cast at the election, a fresh poll shall be taken as between the two candidates who obtain the largest number of valid votes and out of them the candidate obtaining the largest number of valid votes cast at the fresh poll shall be declared elected".

इसमें ऐसी संभावना है कि एक आदमी जिस की थोड़ी राय हो वह जीत सकता है और जिसकी बहुमत हो वह हार सकता है। मान लीजिये कि ४ उम्मीदवार हैं, एक को दस वोट मिलते हैं दूसरे को ८ वोट मिलते हैं, तीसरे को ७ मिलते हैं और चौथे को ५ मिलते हैं तो आपके कहने के अनुसार पहले ८ व १० वोट वाले उम्मीदवारों में एलेक्शन होगा और २ नीचे के छोड़ दिये जायेंगे। होना यह चाहिये कि जिसके सब से कम हों उनमें से एक को एलीमिनेट कर के पहले ३ में एलेक्शन हो और फिर एक को एलीमिनेट करके २ में हो। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं और प्रार्थना करूंगा कि प्रासेस आफ एलिमिनेशन को लेकर पहले जिसको कम से कम वोट मिले हैं उसको एलिमिनेट किया जाय जिनको ज्यादा वोट्स मिले हैं उन्हीं दो में केवल एलेक्शन न किया जाय।

श्री विश्वनारायण शर्मा---श्रीमन्, मैं यह जो संशोधन आया है उसे स्वीकार करता हूं, लेकिन वह दिक्कत इस में जरूर पैदा होती है, अगर ४ आदमी हो जायेंगे तो दिक्कत हो सकती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री सैयद अली जहीर---उपाध्यक्ष महोदय, इस में यह लिखा है---

"The candidate obtaining more than half the total votes cast at the election shall be declared elected."

पहली चीज यह है कि अगर २५ मेम्बर हैं, अगर किसी को १३ वोट मिल गये तो वह एलेक्ट हो जायगा चाहे ३-४-५ नामीनीज हों। अगर उनको वोट कम मिलें तो उनमें एलेक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर टोटल के हाफ से कम मिले तो एलिमिनेशन का प्रोसेस शुरू होगा :

"If there are more than two contesting candidates and none of them obtains more than half the total number of valid votes cast at the election, a fresh poll shall be taken as between the two candidates who obtain the largest number of valid votes and out of them the candidate obtaining the largest number of valid votes cast at the fresh poll shall be declared elected."

जो दो हाइएस्ट रिसिविंग हैं सिर्फ उनमें एलेक्शन होगा। जब उनमें एलेक्शन होगा तो उनको अख्तियार हो कि चाहे एक को वोट दें या दूसरे को। जब दो ही रह जायं तो जिसका लार्जेस्ट नम्बर आफ वोट्स होगा वह एलेक्ट हो जायगा।

श्री जगवीरसिंह---मेरा मंशा यह है कि मान लीजिये अगर चार आदमी हैं तो उस में नीचे का एक एलिमिनेट हो जाय फिर तीन में एलेक्शन होगा। अगर एक को आधे से ज्यादा वोट मिल गये तो एलेक्शन हो जायगा। कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर फिर भी नहीं होता है तो जिसको सब से कम वोट मिलेंगे वह फिर एलीमिनेट होगा।

श्री उपाध्यक्ष---ऐसी बात नहीं है, मान लीजिये एक को १० वोट मिले, दूसरे को ९, तीसरे को ७ और चौथे को ४ तो १० और ९ में फिर से एलेक्शन कराया जायगा।

*श्री गौरीशंकर राय---इसमें जो मन्त्री जी ने बताया उसमें एक कठिनाई है जैसा कि जगवीरसिंह जी ने अभी कहा। मान लीजिये कि दस, आठ, सात और चार वोट मिलते हैं तो जगवीरसिंह जी का कथन यह है कि अगर चौथे को एलीमिनेट किया जाय तो हो सकता है कि कदाचित् एलेक्शन में बहुमत फिर ८ वाले पर चला जाय और उसको वोट ज्यादा मिल जायं। ऐसी हालत में उसकी हकतल्फी होगी। अगर सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट का निर्णय करते हैं तो एलीमिनेशन बाई प्रासेस होना चाहिए। मंत्री जी भी इस कठिनाई को महसूस करते हैं।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, मैं यह ठीक समझता हूं कि जो आपत्ति उन्होंने उठाई है वह सम्भव है कि जो तीसरा व्यक्ति है अगर उसको भी मौका दिया जाय तो हो सकता है कि कुछ आदमी जो चौथे को एलीमिनेट करते वह तीसरे को मिल सकते हों और दूसरे को न मिल सकते हों। अगर प्रासेस आफ एलीमिनेशन मान लिया जाय तो इम्प्रूवमेंट जरूर होगा जैसा कि उन्होंने बताया है अगर वह ड्राफ्टिंग कर ली जाय तो ज्याद सही होगा इसमें शक नहीं है। अगर बेटर ड्राफ्टिंग हुई तो मैं स्वीकार कर लूंगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--मैं तब तक खंड २२ ले लेता हूं। तब तक आप लोग आपस में समझ लें।

(खंड २१ पर विचार स्थगित किया गया।)

खंड २२

यू० पी० ऐक्ट संख्या १०, १९२२ की धारा ३५-बी तथा ३५-सी का प्रति स्थापन।

२२—मूल अधिनियम की धारा ३५-बी तथा ३५-सी के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"35-B. If a casual vacancy occurs in the office of President owing to death, resignation or removal, or due to the avoidance of his election, the members of the board shall elect a President in the manner, as far as may be, provid d in section 35 and under section 35-D for the election of President at a general election.

35-C. (1) No election of the President shall be called in question except by an election petition presented in accordance with the provisions of this Act.

(2) An election petition may be presented by any member entitled to vote at the election or by a candidate who has been defeated at the election on one or more of the following grounds, that is to say—

(*a*) that the returned candidate has committed any corrupt practice within the meaning of section 24;

(*b*) that the nomination of any candidate has been wrongly rejected, or the nomination of the successful candidate or any other candidate who has not withdrawn his candidature has been wrongly included;

(*c*) that the result of the election has been materially effected by—

(i) the improper rejection or refusal of a vote, or

(ii) any non-compliance with the provisions of this Act or of any rules or orders made under this Act.

(3) An election petition shall be presented to such officer as the State Government may by notification in the official *Gazette* appoint in this behalf and different officers may be appointed in respect of petitions relating to different district boards.

(4) If an election petition has not been presented within the time allowed therefor under section 35-D or is not accompanied with the requisite court-fee or security the officer appointed under sub-section (3) shall reject the petition.

(5) An election petition not rejected under sub-section(4)shall be heard by a Tribunal consisting of one or more Civil Judicial Officer or officers not below the rank of a District Judge to be appointed by the State Government in this behalf.

श्री रामस्वरूप वर्मा---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं खंड २२ का विरोध करता हूं और यह प्रस्ताव करता हूं कि इसको निकाल दिया जाय। उसके कारण यह हैं कि मुख्य तौर से मैं इस पक्ष में हूं कि चेयरमैन का चुनाव प्रत्यक्ष होना चाहिए और उसका तथ्य यह है कि प्रत्यक्ष चुनाव पर चुने हुए चेयरमैन को तमाम जिले का जनमत मिलेगा और तमाम जिला जिसके लिए राय देगा वह जनता का प्रिय होगा। उसकी अगर कोई अपील होगी तो उससे जनता में प्रोत्साहन और उत्साहवर्द्धन ज्यादा होगा। आज जो बोर्ड का प्रिजेंट सेट अप है उसमें ज्यादातर काम बोर्ड के प्रेसीडेंट का है। जिले के सुधार संबंधी

सारे कार्य उसके हाथ में हैं और अगर उसके साथ-साथ ऐडमिनिस्ट्रेशन का काम भी उसके हाथ में आ जाय, जैसा कि सुझाव हमारी पार्टी की ओर से माननीय राजनारायण जी ने दिया था तो निश्चित रूप से उसके लिए इस प्रकार चुना जाना आवश्यक होगा, जिसमें कि तमाम जिले के बालिग लोगों का बहुमत उसे प्राप्त हो। मेम्बरान जो होंगे वह अपने-अपने क्षेत्र की बात तो समझेंगे, लेकिन चेयरमैन के कर्त्तव्य और मेम्बर के कर्त्तव्य भिन्न-भिन्न होते हैं। इसलिये अप्रत्यक्ष चुनाव कराना उचित नहीं है। प्रत्यक्ष चुनाव से यह सहूलियत है कि जनमत का विश्वास उसे प्राप्त होगा। उससे शासन पर बड़ा असर पड़ेगा। उसकी एक जबान पर, एक अपील पर तमाम जिले में असर पड़ेगा। अगर अप्रत्यक्ष चुना जाता है तो कोई आदमी मेम्बरों का तो विश्वासपात्र हो सकता है, लेकिन यह हो सकता है कि वह जनता का विश्वासपात्र न हो और साथ ही साथ उसका इतना बड़ा असर जिले की जनता पर नहीं होगा। इस वजह से मैंने प्रत्यक्ष चुनाव का समर्थन किया था और खंड २१ को निकालने का प्रस्ताव रखा था। खंड २१ के निकल जाने के बाद खंड २२ की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसमें अप्रत्यक्ष चुनाव के बारे में वही प्रासेस दिया हुआ है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---खंड २२ को तो मैं निकालने के पक्ष में नहीं हूं।

श्री रामस्वरूप वर्मा---श्रीमन्, एक निवेदन कर दूं इस संबंध में.....

श्री उपाध्यक्ष---आप कोई प्रश्न करना चाहें तो कर सकते हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा---इतना ही जरा पूछना था कि डाइरेक्ट चुनाव के लिए अगर वह मान लेते और डाइरेक्ट चुनाव हो जाता तो ज्यादा अच्छा था।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राजनारायण---उपाध्यक्ष महोदय, मैं समय बढ़ाने का प्रस्ताव कर रहा हूं। अब जैसा कि देखा जा रहा है हमारी तरफ से पूरा कोआपरेशन हो रहा है तो कोई निश्चित समय न रखा जाय, क्योंकि फिर प्रस्ताव लाना पड़ेगा। इसलिए जब तक हमारी कार्यवाही पूरी न हो तब तक के लिए समय बढ़ा दिया जाय।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, लोगों की इच्छा यह है कि अब स्पीचेज ज्यादा न हों। लेकिन वह उधर रोक नहीं हो रही है।

(व्यवधान) इसलिए ६ बजे तक का रखिए। ६ बजे तक हम पारित कर लें और उसके बाद एकाध मिनट वोट लेने में अगर लग जाय तो उसको आप ले लें।

श्री उपाध्यक्ष---तो फिर सदन ने अपने फैसले पर पुनर्विचार किया और यह तय किया कि हम ६ बजे तक बैठें।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---और फिर एकाध मिनट वोट लेने में अगर लग जाय तो वह भी आप कर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष---यानी ६ बजे तक अगर पारित न हो तो उसके बाद गिलोटीन करेंगे, स्पीचेज नहीं होंगी।

श्री राजनारायण---अब उसमें कुछ नियम नहीं है। मैं मंत्री जी के प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---जैसे-जैसे उस पर और सख्ती करेंगे उसको मानते हुए स्पीचेज न हों। तो हम ६ के अन्दर ही कोशिश करें समाप्त करने की। फिर एक आध मिनट और बढ़ाना पड़ जाय.....

श्री उपाध्यक्ष—तो ६ बजे तक विवाद होगा । और ६ बजे तक विवाद नहीं पूरा हो सका तो उस वक्त गिलोटीन ऐप्लाई होगा और सदन तब तक बैठेगा जब तक विधेयक पारित न हो जाय । किसी को आपत्ति तो नहीं है ?

(कोई आपत्ति नहीं की गयी ।)

तो यही स्वीकृत हुआ ।

प्रश्नों के विषय पर विवाद के सम्बन्ध में जानकारी

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—श्रीमन्, हमें जो आधा घंटा टाइम मिला है वह कब पेश होगा ।

श्री उपाध्यक्ष—जब यह विधेयक समाप्त हो जायगा उसके बाद वह पेश होगा । मंत्री जी की क्या राय है ? आज न लिया जाय ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—आज मुझे ६ बजे से काम है इसलिये मैं जाना चाहता हूं । अब इसको सोमवार के लिये कर दें तो ठीक है ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कोई खास आपत्ति तो नहीं है, लकिन हम सोमवार को नहीं होंगे । और दूसरे मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि यह तो भुखमरों का मामला है जितनी जल्दी हो जाय उतना ही अच्छा है ।

श्री उपाध्यक्ष (श्री सैयद अली जहीर जी)—से तो आपने कोई निश्चित बात नहीं कही । कल के बारे में क्या राय है ?

श्री सैयद अली जहीर—कल मैं नहीं रहूंगा यहां ।

श्री राजनारायण—अभी-अभी माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि कल ले लिया जाय ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—अभी जब शुरू में आपने प्रश्न उठाया था तो मंत्री जी ने कल के लिये स्वीकृति दी थी ....

श्री उपाध्यक्ष—उनको कोई अपना प्रोग्राम और याद पड़ गया होगा । इसमें ऐसी कोई आपत्ति की बात नहीं है ।

माननीय मंत्री जी आप कल के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि यहां नहीं रहेंगे और माननीय लारी जी सोमवार के लिये तैयार नहीं हैं, क्योंकि वह उस दिन नहीं रहेंगे । इसलिए मंत्री जी, आप तशरीफ रखें, आज ही होगा ।

उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (संशोधन) विधेयक, १९५८

नया खंड २१—क—(क्रमागत)

*श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव मैंने उपस्थित किया था उसमें नम्बर (३) और (४) के बजाय यह रखना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—ठीक है आप उसको रख दें ।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—नम्बर (३) के बजाय यह होगा—

"(3) Where more than two candidates have been nominated and at the first ballot no candidate obtains more votes than the aggregate votes obtained by the other candidates, the candidate who has obtained the smallest num-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ber of votes shall be excluded from the election and fresh ballots shall take place, the candidate obtaining the smallest number of votes at each ballot being excluded from the election, until one candidate obtains more votes than the remaining candidate or than the aggregate votes of the remaining candidates, as the case may be."

और नम्बर (४) के बजाय यह रखना चाहता हूं--

"(4) Where at any ballot any two or more candidates obtain an equal number of votes, the candidate to be excluded from the election under sub-section (3) shall be determined by drawing lots".

श्री उपाध्यक्ष--माननीय जगवीरसिंह जी, आपका मंशा पूरा हो गया ?

श्री जगवीरसिंह--जी हां ।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २१ के पश्चात् निम्नलिखित एक नया खंड २१-क के रूप में रख दिया जाय:--

२१-क--मूल अधिनियम की धारा ३५ जैसी वह इस अधिनियम द्वारा संशोधित होने पर होगी के पश्चात् निम्नलिखित एक नई धारा ३५-ए के रूप में रख दी जाय :

यू० पी० ऐक्ट संख्या १०, १९२२ की धारा ३५ के पश्चात एक नयी धारा रखना ।

Manner of election of President.

35-A. (1) For voting at the election of President each membershall have one vote.

(2) The candidate obtaining more than half the total votes cast at the election shall be declared elected.

(3) Where more than two candidates have been nominated and at the first ballot no candidate obtains more votes than the aggregate votes obtained by the other candidates, the candidate who has obtained the smallest number of votes shall be excluded from the election and fresh ballots shall take place, the candidate obtaining the smallest number of votes at each ballot being excluded from the election, until one candidate obtains more votes than the remaining candidate or than the aggregate votes of the remaining candidates, as the case may be.

(4) Where at any ballot any two or more candidates obtain an equal number of votes, the candidate to be excluded from the election under sub-section (3) shall be determined by drawing lots".

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २३

२३--मूल अधिनियम की धारा ३५-सी के पश्चात् निम्नलिखित एक नयी धारा ३५-डी के रूप में बढ़ा दिया जाय :-

यू० पी ऐक्ट, संख्या १०, १९२२ में एक नयी धारा ३५ डी का बढ़ाया जाना ।

"35-D. The State Order regarding cunduck of elections

"35-D. The State Government may, by order make provision with respect to the following matters concerning the conduct of and settlement of dispute regarding election of Presidents, that is to say—

(a) the appointment, powers and duties of Returning Officers ;

(*b*) appointment of dates for nominations, scrutiny, withdrawal and polling ;

(*c*) the manner of presentation and the form of nomination paper, the requirements for a valid nomination, scrutiny of nominations and withdrawal of candidature ;

(*d*) procedure at elections including death of candidate before poll and procedure of contested and uncontested elections ;

(*e*) hours of polling and adjournment of poll ;

(*f*) manner of voting at elections ;

(*g*) scrutiny and counting of votes including recounting of votes and procedure to be followed in case of equality of votes ;

(*h*) declaration of results and notification of the names of persons elected as Presidents ;

(*i*) return and forfeiture of security deposits ;

(*j*) form of the election petition and the court-fee payable thereon and parties thereto ;

(*k*) manner of presentation of the election petition and the time within which the petition shall be presented ;

(*l*) deposit of security with the election petition and return and forfeiture thereof ;

(*m*) relief that may be claimed by the petitioner ;

(*n*) procedure to be followed in the hearing of election petition and the place of hearing ;

(*o*) powers of the Election Tribunal ;

(*p*) order of the Tribunal including declaration of a candidate other than the returned candidate to have been elected and grounds therefor ;

(*q*) disqualification of candidates on the ground of committing corrupt practices, and

(*r*) generally on all matters relating to conduct of and disputes regarding election of Presidents".

श्री रामस्वरूप वर्मा—मैं खंड २३ का विरोध करता हूं और इसके सम्बन्ध में तर्क पहले ही उपस्थित कर चुका हूं कि यह अनावश्यक है । इसलिये मैं चहता हूं कि यह निकाल दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २३ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २४

यू० पी० ऐक्ट संख्या १०, १९२२ की धारा ३७ से ३९ तथा ३९-ए का प्रतिस्थापन ।

२४—मूल अधिनियम की धारा ३७ से ३९ तक के तथा ३९-ए के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"37. (1) The term of office of President elected at a general election shall begin from the date of constitution of the board and unless otherwise terminated under the provisions of this Act, shall be the same as the term of the board.

(2) The term of office of a President elected to fill a casual vacancy shall begin upon the declaration of his election under the Act, and, unless otherwise terminated under the provisions of this Act, shall be the remainder of the term of the Board.

38. (1) If a motion of non-confidence in the President has been passed by the board and communicated to the President in accordance with the provisions of section 48-A, the President shall—

(*a*) within three days of the receipt of such communication, either resign or represent to the State Government to dissolve the board, stating his reasons therefor, and

(*b*) on the expiry of three days after the date of sending of such communication, stop acting as President and shall be deemed to be incapacitated from acting as President within the meaning of section 45.

(2) In the event of failure of the President to act in accordance with clause (*a*) of sub-section (1) within the time allowed under that sub-section, the State Government shall remove him with effect from a date to be specified in the order and any person so removed shall notwithstanding anything elsewhere in this Act be not eligible for re-election to fill any casual vacancy occurring before the general election next following.

(3) If a representation has been made in accordance with sub-section (1), the State Government may after considering the same either ask the President to resign or dissolve the board including the President.

(4) If the State Government asks the President to resign under sub-section (3) he shall within three days of the receipt of the order resign the office of President.

(5) In the event of failure to resign within the time allowed in sub-section (4) the President shall be removed by the State Government and shall not be eligible for re-election at the next election of the President or to fill up any casual vacancy occurring before the next general election of the board.

(6) If the State Government dissolves the board under sub-section (3) the consequences mentioned in section 170 shall follow as if there has been a dissolution under section 169.

39. (1) The State Governmet may, when there has been a habitual failure on the part of a President to perform his duty, remove him from his office :

Removal of President.

Provided that when the State Government proposes to remove a President for habitual failure to perform his duty, it shall give him an opportunity of explaining the conduct on account of which it is proposed to remove him and shall, in the event of taking such action, place on record the reasons therefor, and the decision of the State Government thereon shall not be questioned in any court.

(2) The State Government may also on being satisfied that a President has incurred any of the disqualifications under this Act for being chosen as or for being a President of a board, remove him from the office of President.

39. The President of a board, if he is not already a member, shall be *ex officio* member thereof."

*श्री राजेन्द्र सिंह—मैं अपने दोनों संशोधन एक साथ पेश किये देता हूं, क्योंकि दोनों मिल कर ही संगत होते हैं :—

"खंड २४ में प्रस्तावित धारा 38 की उपधारा (1) के भाग (a) की पंक्ति २ में से शब्द "either" निकाल दिया जाय ।

"खंड २४ में प्रस्तावित धारा 38 की उपधारा (1) के भाग (a) की पंक्ति २ से लेकर पंक्ति ४ तक के शब्द "or represent to the State Government to dissolve the board, stating his reason therefor and" निकाल दिये जायं ।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन धाराओं में यह व्यवस्था की गई है कि अगर प्रेसीडेंट के विरोध में अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाता है तो प्रेसीडेंट को यह अधिकार होगा कि वे ३ दिन के अन्दर या तो इस्तीफा दे दें और यदि त्याग-पत्र नहीं दिया तो सरकार को लिख कर भेजें कि वे स्वयं और पूरा का पूरा बोर्ड दोनों डिजाल्व कर दिये जांय । इस धारा में सरकार को अधिक शक्ति मिलती है । उदाहरण स्वरूप कांग्रेस का कोई प्रेसीडेंट है और विरोधियों ने विरोध में अविश्वास का प्रस्ताव पास कर लिया है और ऐसी दशा में अगर प्रेसीडेंट त्यागपत्र नहीं देता है, अपितु सरकार को लिख कर भेज देता है कि पूरा बोर्ड ही डिजाल्व कर दिया जाय तो सरकार को डिस्क्रिशन होगा कि वह केवल प्रेसीडेंट के त्याग-पत्र को स्वीकार करे या पूरे बोर्ड को ही डिजाल्व कर दे । होना यह चाहिये कि जिसके विरोध में अविश्वास का प्रस्ताव पास हुआ है वही त्याग-पत्र दे और सदस्यगण न हटाये जायं जिन्होंने अविश्वास का प्रस्ताव पास किया है । मैंने जो संशोधन रखा है उससे यह परिवर्तन हो जायगा और प्रेसीडेंट को यह अधिकार न रहेगा कि वह सरकार की कृपा दृष्टि पर सारे बोर्ड को डिजाल्व करा सके और अविश्वास का प्रस्ताव पास होते ही उसे तुरन्त त्याग-पत्र देना होगा और अगर ऐसा नहीं होगा तो सरकार का हस्तक्षेप बना रहेगा । प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों को दृष्टि में रखते हुए माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि वे मेरा यह संशोधन स्वीकार कर लें ।

श्री विश्वनारायण शर्मा—यह ठीक है अगर नो कांफिडेंस मोशन प्रेसीडेंट के खिलाफ पास हो जाय तो वह ऐक्ट न करे, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि मेम्बर्स गलती करते हैं और ईमानदारी के साथ प्रेसीडेंट को काम करने देना नहीं चाहते तो उनके ऊपर भी अंकुश रहे, इसलिये पूरे बोर्ड को डिजाल्व करने की यह बात रखी गई है ।

डिजाल्व होने से कोई कयामत बरपा नहीं हो जायगी । जनता अगर उनको चाहती है तो फिर उन्हीं को वोट करेगी । इसलिये मैं इसे नामंजूर करता हूं ।

श्री राजेन्द्र सिंह—जब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आये हैं और उन्होंने प्रेसीडेंट के विरोध में अविश्वास का प्रस्ताव पास कर दिया तो प्रेसीडेंट को ही हटना चाहिये । मेम्बरों ने क्या अपराध किया है कि वे हटाये जायं । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वह ऐसा कोई अपराध बता सकते हैं चुने व्यक्तियों का, जिनको हटाना उचित ही हो ?

श्री उपाध्यक्ष—मैं दोनों संशोधनों को एक साथ लिये लेता हूं—

प्रश्न यह है कि खंड २४ में प्रस्तावित धारा 38 की उपधारा (1) के भाग (a) की पंक्ति २ में शब्द "either" निकाल दिया जाय, तथा पंक्ति २ से लेकर पंक्ति ४ तक के शब्द "or represent to the State Government to dissolve the board, stating his reason therefor, and " निकाल दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राजेन्द्रसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संशोधन ६८ से लेकर ७२ तक सभी संशोधन उपर्युक्त धारा से संबंधित हैं। वह मान लिया जाता तो इनका महत्व था। यह कहना अब व्यर्थ होगा कि इनको माना जाय, किन्तु इन ६ संशोधनों के संबंध में मुझे यह कहना है कि अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न माननीय मंत्री जी न बनायें और उन्हें सोचना चाहिए कि जब कोई भी प्रेसीडेंट इस योग्य हो जाय कि उसके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाय तो उसका ही त्याग-पत्र स्वीकार किया जाय और सदस्यों को बनाये रखने दिया जाय।

मैं पुनः मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इस बात पर विचार करें और इसको मानने की कृपा करें।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—नामंजूर।

श्री जगवीरसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २४ में प्रस्तावित धारा 39 की उपधारा (1) की पंक्ति ४ में शब्द "duty" तथा शब्द "remove" के बीच में शब्द "and has so flagrantly abused in any manner his position as President of the Board as to render his continuance as such deterimental to public interest" जोड़ दिये जायं।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, मैं स्वीकार नहीं करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २४ में प्रस्तावित धारा 39 की उपधारा (1) की पंक्ति ४ में शब्द "duty" तथा शब्द "remove" के बीच में शब्द "and has so flagrantly abused in any manner his position as President of the Board as to render his continuance as such detrimental to public interest". जोड़ दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

*श्री अनन्तराम वर्मा (जिला अलीगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि खंड २४ में प्रस्तावित धारा 39 की उपधारा (1) की पंक्ति ४ में शब्द "duty" तथा शब्द "remove" के बीच में शब्द तथा कामा "whether in his present or an earlier term of office." रख दिये जायं।

अक्सर यह होता है कि प्रेसीडेंट के चुन जाने के बाद वह गल्तियां किया करते हैं या काम नहीं करते हैं और ऐसा भी होता है कि उनके खिलाफ अगर चार्जेज लगाये जाते हैं तो वह इस्तीफा दे देते हैं और जो चार्जेज उनके खिलाफ तैयार होते हैं वह लैप्स हो जाते हैं और दुबारा चुनाव होने पर वह फिर खड़े हो जाते हैं। इसलिये ऐसे लोगों के लिये यह संशोधन रखा गया है। मैं आशा करता हूं कि सदन इसको स्वीकार करेगा।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, मैं इसे स्वीकार करता हूं और मेरे सामने कितने ही केसेज आये हैं कि उन्होंने डिसक्वालीफिकेशन अर्न की और इस्तीफा दे दिया और दुबारा चुनकर आ गये या इम्बैजिलमेंट वगैरह किया और फिर चुनकर आ गये और हम कुछ नहीं कर सके। इसलिये मैं इसको स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २४ में प्रस्तावित धारा 39 की उपधारा (1) की पंक्ति ४ में शब्द "duty" तथा शब्द "remove" के बीच में शब्द तथा कामा "whether in his present or an earlier term of office," रख दिये जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजेन्द्र सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २४ में प्रस्तावित धारा 39 की उपधारा (1) को निकाल दिया जाय।

मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मुझे दुख है कि मैं इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २४ में प्रस्तावित धारा ३९ (१) को निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

*श्री अनन्तराम वर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड २४ में प्रस्तावित धारा 39 की उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित (3) तथा (4) उपधारायें रख दी जाय :—

"(3) The State Government may place under suspension a president against whom an enquiry under this section for removal is pending till final orders have been passed on the enquiry and the President so suspended shall not act as such nor take part in any proceeding of the board during the period of suspension.

(4) A person removed from the office of President under sub-section (1) shall not be eligible for re-election as President until the expiry of a period of four years from the date of removal".

यह क्लाज बिलकुल साफ है। अक्सर ऐसा होता है कि इन्क्वायरी में बड़ी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं अगर प्रेसीडेन्ट सस्पेन्ड न हो। इसलिये उसका सस्पेंड होना जरूरी बात है और उसका सस्पेंशन उस वक्त तक जारी रहे जब-तक इन्क्वायरी पूरी न हो जाय और उसका नतीजा न मालूम हो जाय। इसके साथ-साथ प्रेसीडेंट किसी किस्म की प्रोसीडिंग्स में हिस्सा न ले पाये।

दूसरी बात यह है कि जब प्रेसीडेंट निकाल दिया जाय तो कम से कम ४ वर्ष तक वह एलेक्शन के लिये खड़ा न हो सके। चूंकि यह संशोधन बिलकुल साफ है इसलिये मैं आशा करता हूं कि यह आदरणीय सदन इसे स्वीकार करेगा।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यह स्वीकार है। क्योंकि ऐसा कभी-कभी होता है कि प्रेसीडेंट नाजायज काम करने के बाद इस्तीफा देकर चले जाते हैं और बाद में फिर एलेक्शन में खड़े होकर आ जाते हैं। इस वजह से उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो पाती है। लिहाजा मैं इसे स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २४ में प्रस्तावित धारा 39 की उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित (३) तथा (४) उपधारायें रख दी जायं—

"(3) The State Government may place under suspension a President against whom an enquiry under this section for removal is pending till final orders have been passed on the enquiry and the President so suspended shall not act as such nor take part in any proceeding of the board during the period of suspension.

(4) A person removed from the office of President under sub-section (1) shall not be eligible for re-election as President until the expiry of a period of four years from the date of removal".

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री ब्रजनारायण तिवारी—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २४ में प्रस्तावित धारा 39 निकाल दी जाय ।

अविश्वास की विधि है ही कि उसके बाद भी अगर प्रेसीडेंट पर अविश्वास होगा तो पूरा बोर्ड ही डिजाल्व कर दिया जायगा और फिर उसी धारा में यह लिखा हुआ है कि फिर प्रेसीडेंट का जनरल एलेक्शन तक चुनाव नहीं होगा। ऐसी हालत में ऊपर का संशोधन जो मंजूर हो चुका है उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। इसके अलावा जो जनता के द्वारा एलेक्ट हुआ है उसको किसी एक्वायरी के द्वारा निकालने का क्या हक है ? इसलिये मैं चाहता हूं कि यह धारा ही निकाल दी जाय ताकि बोर्ड के विघटन की कोई आवश्यकता न हो ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मन्जूर नहीं करता ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २४ में प्रस्तावित धारा 39 निकाल दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री ब्रजनारायण तिवारी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २४ में प्रस्तावित धारा 39-A निकाल दी जाय ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—नामन्जूर ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २४ में प्रस्तावित धारा 39-A निकाल दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २५ और २६

यू० पी० ऐक्ट संख्या १०, १९२२ की धारा ४६ का संशोधन ।

२५—मूल अधिनियम की धारा ४६ में शब्द co-option or nomination, as the case may be", तथा इन शब्दों के पूर्व तथा पश्चात् आने वाले कामा निकाल दिये जायं तथा शब्द "and" और "every" के बीच में शब्द "the constitution of the board and" रख दिये जायं ।

यू० पी० ऐक्ट संख्या १०, १९२२ की धारा ११४ का संशोधन ।

२६—मूल अधिनियम की धारा ११४ के स्पष्टीकरण (Explanation) में :—

(१) खंड (II) के अन्त में शब्द "by any municipal board or any notified area committee" बढ़ा दिये जायं ।

(२) खंड (III) के पश्चात् निम्नलिखित एक नये खंड (IV) के रूप में बढ़ा दिया जाय:—

"(iv) Income on which any tax has previously been imposed under section 14 of the United Provinces Town Areas Act, 1914", और

(३) प्रतिबन्धात्मक खंड निकाल दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २५ और २६ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

खंड २७, २८ और २९

यू० पी० ऐक्ट संख्या १०, १९२२ की धारा १७० का प्रतिस्थापन।

२७—मूल अधिनियम की धारा १७० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"170. Where a board is dissolved under section 169 the following consequences shall follow :

(*a*) All members of the board including the President shall, on a date to be specified in the order, vacate their offices as such, but without prejudice to their eligibility for re-election.

(*b*) As soon as may be thereafter the election of the members, and of the President, shall be held-or made, as the case may be, as though a general election were due under section 26-A.

(*c*) Such person or persons as the State Government may appoint in that behalf shall so long as the board is not reconstituted exercise and perform, so far as may be, the powers and duties of the board and shall be deemed to be the board for all purposes".

यू० पी० ऐक्ट संख्या १०, १९२२ की धारा १७१ का संशोधन।

२८—मूल अधिनियम की धारा १७१ के खंड (ए) में शब्द "or co-option" तथा खंड (डी) में शब्द "or co-option made or both, as the case may be" निकाल दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट संख्या १०, १९२२ की प्रथम अनुसूची का संशोधन।

२९—मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची (schedule) प्रथम प्रविष्टि को निकाल दिया जाय।

श्री रामायणराय—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड २७ में प्रस्तावित धारा १७० के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय :

"Provided that the elections to the board shall be held within a period of one year from the date of its dissolution".

मान्यवर, यह बड़ा महत्वपूर्ण संशोधन है। मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा था कि इस संशोधन को रखने से माननीय मंत्री जी को क्या एतराज होगा। उन्होंने बताया था कि इसमें खंड (बी) एक है उसमें लिखा हुआ है कि जल्दी से जल्दी एलेक्शन कराये जायेंगे। उसका हवाला देकर उन्होंने बताया था कि मेरे संशोधन का उद्देश्य उससे पूरा हो जाता है। मैंने इसको ध्यानपूर्वक देखा तो मालूम हुआ कि ऐसा अधिकार सरकार को हम देने जा रहे हैं कि डिजाल्व होने के बाद जितनी देर सरकार लगाना चाहे लगा सकती है और बोर्ड का एलेक्शन नहीं कराया जा सकता है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस संशोधन को वे स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री उग्रसेन—मुझे केवल एक वाक्य कहना है। जैसा कि रामायणराय जी ने अपना प्रस्ताव रखा है वह जरूरी प्रस्ताव है। मैं भी चाहता हूं कि इसको स्वीकार किया जाय। कोई अवधि नियुक्त हो जाय तो अच्छा है।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, अत्यन्त सचाई के साथ निवेदन करूंगा कि इसके मानने से जो हमारे मित्र चाहते हैं उसके ठीक विपरीत हो जायगी। इससे कम से कम एक साल की मोहलत सरकार को मिल गई और इतने समय तक अगर वह चाहेगी तो एलेक्शन नहीं करायेगी। जो इरादा ओरिजिनल का है कि जल्दी से जल्दी एलेक्शन कराये जायं उसे १०, १५ दिन या महीने के अन्दर कर सकते हैं। उसका मकसद साल दोसाल के

लिये नहीं है । जो क्लाज इस वक्त है उसका अभी तक वायलेशन नहीं हुआ है, अभी तक उसका यही तरीका रहा है, लेकिन फिर भी अगर हमारे मित्र इसको आवश्यक समझते हों तो मुझे मानने में दिक्कत नहीं है, लेकिन यह भद्दा सा मालूम होगा ।

श्री रामायणराय--'within a period of one year' ही मैंने निवेदन किया है। मेरा मतलब यह नहीं है कि एक वर्ष तक यह व्यवस्था रखी जाय । जितना जल्दी हो सके और जहां तक हो सके एक वर्ष से अधिक समय नहीं होना चाहिये । यही मेरा अभिप्राय है ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जो इसमें ओरिजिनल में पहले से रखा हुआ है उसका मतलब यही है कि जल्दी से जल्दी हो । साल या दो साल उसका मतलब नहीं है । मेरा विश्वास है कि अधिक समय तक एलेक्शन टाले नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी विरोधी दल का यदि आग्रह है तो मैं इसको मान लूंगा, लेकिन यह भद्दा मालूम होगा ।

श्री उग्रसेन--मेरा प्रस्ताव है कि एक महीना कर दिया जाय । इससे उसकी अवधि निश्चित हो जायगी ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--मैं तो यही निवेदन करूंगा कि इसको प्रेस न किया जाय ।

श्री रामायणराय--मैं माननीय मंत्री जी के इस आश्वासन के बाद कि डिजाल्व होने के बाद १०, १५ दिन या १ महीने के बाद ही चुनाव कराने की व्यवस्था कर दी जायगी, मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २७, २८ और २९ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ३०

अपवाद ३०--इस अधिनियम में कोई भी बात डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की, जैसे कि वे इस समय संघठित हैं और जब तक कि वे इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन निर्वाचनों द्वारा संघठित बोर्डों से अनुस्थापित न हो जायं, अविरित वैधता पर प्रभाव नहीं डालेगी तथा वे सब प्रकार वैसे ही कार्य करते रहेंगे मानो यह अधिनियम पारित ही न हुआ हो ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--मैं इसका विरोध करता हूं । इस सम्बन्ध में बहुत कुछ कह जा चुका है । यह जो मौजूदा बोर्ड हैं इनको एक मिनट भी नहीं रहना चाहिये क्योंकि यह अब जनप्रतिनिधि नहीं रह गये हैं । माननीय मंत्री जी को यह डिक्लेयर करना चाहिये कि यह बोर्ड अब एक मिनट भी नहीं रहेंगे । यदि वह ऐसा करेंगे तो जनता के साथ बहुत बड़े विश्वास का परिचय देंगे । मैं चाहता हूं कि इस धारा को हटा दिया जाय और इस समय जो बोर्ड हैं उनको डिजाल्व माना जाय क्योंकि ये प्रजातंत्र पर कलंक स्वरूप हैं । जब तक जनता की राय लेकर नये चुनाव न हो जायं तब तक जनप्रतिनिधियों से गांव सभाओं के प्रमुख प्रधान आदि के हाथ में वर्तमान जिला बोर्डों का प्रबन्ध सौंप देना चाहिये ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--श्रीमन्, मुझे खेद है कि मैं इसको नहीं मान सकता ।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३० इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (संशोधन) विधेयक, १९५८

यूनाइटेड प्राविन्सेज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ में कुछ संशोधन करने का

विधेयक

यह इष्टकर है कि कुछ प्रयोजनों के लिये यूनाइटेड प्राविन्सेज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ को संशोधित किया जाय,

अतएव भारतीय गणतंत्र के नवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (संशोधन) अधिनियम, १९५८ कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (संशोधन) विधेयक, १९५८ जैसा कि वह इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने जिन-जिन संशोधनों को स्वीकार किया है उन संशोधनों को देखा जाय तो मालूम होगा कि कितनी मेहनत और परिश्रम के बाद विरोधी पार्टी की ओर से रखे हुये संशोधनों को माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है ।

इनके अतिरिक्त हमने बार-बार निवेदन किया कि प्रेसीडेंट का चुनाव इन्डायरेक्ट न कराया जाय । हमने यह भी निवेदन किया कि बोर्ड को भंग करने का अधिकार जिस प्रकार से यह सरकार अपने हाथ में ले रही है, उस तरह से सरकार को नहीं लेना चाहिये और बोर्ड के भंग करने के एक माह के अन्दर ही बोर्ड की पुनर्रचना कर दी जाय, इन तमाम बातों को मंत्री जी ने नहीं माना । यह बात निर्विवाद है कि सरकार की उपेक्षा और लापरवाही की नीति के कारण जिन बोर्ड्स का चुनाव सन् १९५२ में होना चाहिये था, उनका चुनाव आज तक नहीं हो पाया है । ऐसी स्थिति में यह सरकार इस विधेयक को जल्दी में लायी है और हालत यह हो गई है कि सरकारी पक्ष के बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिल से चाहते हैं कि विधेयक पास न हो और मई या अप्रैल में जो चुनाव होने वाले हैं वह अक्तूबर, नवम्बर तक टल जांय । जिन लोगों से हमने बातें कीं, उन सबने हमको यही बताया । यदि इन तमाम खामियों के होते हुये हम इस विधेयक को पारित नहीं करते हैं तो यह दुहाई दी जा सकती है कि विरोधी दल ने इसको पारित नहीं होने दिया । यही कारण है कि इस सड़ी लाश से दुर्गन्ध निकल रही है फिर भी हमको इसे पारित करना पड़ रहा है । हमारी पोजीशन बहुत ही नाजुक हो रही है । यह विधेयक गंदा है, इससे सही माने में जनतंत्र की प्रणाली का प्रदर्शन नहीं हो सकता । इसमें बहुत से दोष रह जाने के बावजूद भी चूंकि हम चाहते हैं कि चुनाव जल्दी हों, इसलिये इस विधेयक के पारित होने का हम विरोध नहीं कर सकते ।

*श्री गेंदासिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि जो समय आपने निर्धारित किया है, उससे पहले ही यह विधेयक पारित हो गया। हमने जो कुछ गैर मामूली अख्तियारात, इस विधेयक के जरिये से सरकार को दिये हैं, मैं इस वक्त कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन यह जरूर कहना चाहता हूं कि प्रजातंत्र में किसी व्यक्ति को यह नहीं कहा जा सकता है कि वह किस समय तक उस पद को सुशोभित करता रहेगा। शर्मा जी से यह उम्मीद की जा सकती है कि वे उन अख्तियारात को संयम के साथ बरतेंगे। हमने सरकार को यह अख्तियार दिया कि वह जितने दिन तक चाहे बोर्ड को कायम रख सके।

पिछले बोर्ड्स का जो हमारा तजुर्बा है, वह बड़ा कड़ुआ तजुर्बा है उसमें मैं इस वक्त नहीं जाना चाहता, लेकिन यह जरूर कह देना चाहता हूं, जब कि यह विधेयक पारित हो रहा है। सम्भव है माननीय शर्मा जी इस विभाग के कुछ दिनों तक अध्यक्ष बने रहें और उनके नेतृत्व में विभाग काम करे। इन बोर्ड्स के कार्यकाल में हमारे सूबे में प्राइमरी शिक्षा बहुत घटी है, सरकार के पिछले वर्षों के आंकड़े ही इसको साबित करते हैं। हमारे बच्चों के तालीम की हालत बिगड़ी है, हमारे गांव के जो स्कूल्स हैं, उनकी इमारतें गिरी हैं, तबाह हुई हैं, ये सब बातें हुई हैं। ऐसे कामों के होते हुये भी वे बोर्ड्स बराबर जीवित रहे। हमारे अध्यापकों की अवस्था बिगड़ी है, उनके तबादले में और उनके रखने में बोर्ड्स में बहुत तंग होना पड़ा है। एक मामूली बात इस वक्त मैं आप से निवेदन कर दूं कि जो पैसा गवर्नमेंट से तनख्वाह के लिये बोर्ड्स को दिया जाता है, वह पैसा भी ये बोर्ड्स हमारे अध्यापकों को समय पर नहीं दिलवा सके। जब कि उनको कोई काम करना धरना नहीं था, केवल सरकार से लेकर उनको बांट देना था। यह सब हुआ। तो मैं इस अवसर पर यह बात कहना चाहता हूं कि शर्मा जी के ऊपर जो इस विभाग को चलाने का भार है, वह उसको चुनाव के पहले और चुनाव के बाद भी संयम के साथ चलाने की कृपा करेंगे जिस से ८६-८७ फी सदी गांव के लोगों को भौतिक उन्नति की की तरफ ले जा सकें। मैं एक ही बात निवेदन करना चाहता हूं और उस तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो गैर मामूली अधिकार इस विधेयक के जरिये हम लोगों से लिया जा रहा है, उसको वे संयम के साथ चला सकें, जिससे हम और वे बदनाम न हों।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, राजनारायण जी ने जो स्माल मर्सीज शो की हैं उनके लिये उन्हें धन्यवाद देता हूं और माननीय गेंदासिंह जी से प्रार्थना करता हूं कि वे यह विश्वास करें कि मैं रहूं या न रहूं, विभाग का काम अच्छे तरीके से चलता रहेगा और यह कभी न समझा जाय कि एक साल से अधिक एक्सटेंशन दिया जायगा। और अधिक एक्सटेंशन देने की नौबत आयी तो वह सदन की अनुमति से ही मिलेगा। ऐसे कोई बहुत ज्यादा अधिकार तो आपने दिया नहीं है, लेकिन आप चिन्ता न करें, बहुत अच्छी तरह से और माकूलियत के साथ, सब अच्छे ढंग से व्यवस्था की जायगी। मैं आशा करता हूं कि यह बिल पारित किया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (संशोधन) विधेयक, १९५८, जैसा कि वह इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

गोरखपुर जिले में भूख से मृत्यु सम्बन्धी ११ फरवरी के प्रश्न ५९-६० के विषय पर विवाद

श्री उपाध्यक्ष---अब जिला गोरखपुर में भूख से मृत्यु और भुखमरी की परिस्थिति से बचने के उपाय सम्बन्धित श्री अब्दुल रऊफ़ लारी के ११-२-५८ के तारांकित प्रश्न

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री उपाध्यक्ष]

संख्या ५९–६० से सम्बद्ध माननीय सदस्य द्वारा दी गई सूचना पर विधान सभा प्रक्रिया नियमावली नियम ४२ (१) के अन्तर्गत विवाद होगा ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस वक्त हमारे तारांकित प्रश्न संख्या ५९–६० के सम्बन्ध में जो आधे घंटे का समय विवाद के लिये दिया गया है उसके लिये मैं आप का आभारी हूं । मुझे इस बात का दुख है कि जिस तरह से भुखमरी से मरने वाले पूर्वी जिले के किसान अवहेलित किये जाते हैं उसी तरह से आज हम माननीय मंत्री जी की अनुपस्थिति से अवहेलित हैं । कल जब यह विषय आया था तो वह मौजूद थे लेकिन इस वक्त वह गायब हैं । हो सकता है कि वह प्रत्यक्ष होते और उनका ध्यान जिन गरीबों की तरफ से हट गया है उधर वह जाता ।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य यह श्री सैयद अली जहीर के लिये कह सकते हैं, दूसरे माननीय मंत्री जी हैं ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---मैं श्री सैयद अली जहीर साहब के लिये कह रहा था, मैं उन्हें मुबारकबाद देना चाहता था इस बात के लिये कि उन्होंने पहली बार जब से यह सदन चल रहा है इतनी सफाई के साथ यह मंजूर करने की हिम्मत की कि हां, समराजी औरत मरी और वह जिस वक्त मरी उसके घर में अन्न का दाना नहीं था और उसके पहले उसने आम की गुठली का आटा खाया था बावजूद इसके कि वह उस वक्त बीमार थी । मैं उनको इस के लिये मुबारकबाद देना चाहता था, लेकिन चूंकि वह नहीं हैं इसलिये उनके स्थान पर मैं आचार्य जी को बधाई देता हूं । जो उत्तर माननीय मंत्री जी ने उस समय दिये थे वह मैं आपके सामने हाजिर किये देता हूं । उन्होंने ४ चीजें कही थीं कि वह औरत भूख से तो नहीं मरी, यह जरूर था कि उसका घर पानी से घिर गया था, गांव वाले उसको अन्न नहीं दे पाये, वह उस समय जुकाम खांसी से पीड़ित थी और ऐसी हालत में उसने आम की गुठली का आटा खाया और वह मर गई । मैं उस जमाने में स्वयं वहां गया था, वहां जाकर मुझे मालूम हुआ कि केवल समराजी के घर की ही यह हालत नहीं थी बल्कि उस गांव के तमाम किसानों की यही हालत थी । उसके घर के चारों तरफ जितनी आबादी थी सब की यही हालत थी, कोई किसी को मदद नहीं दे सकता था । उसके छोटे-छोटे बच्चों की तो और भी बुरी हालत थी, मर्द तो भूख की या हर तरह की कमजोरी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन बच्चे और औरतें नहीं कर सकतीं । बच्चों को लोगों ने जिलाने की किसी तरह से कोशिश की फिर भी समराजी मर गई । इसमें अब शक नहीं किया जा सकता कि वह भूख से मरी । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उनकी डिक्शनरी में भुखमरी का क्या अर्थ है ? अगर भूख में आम की गुठली का आटा खाकर लोग मरें, जहरीली घास खा कर मरें या पेड़ों की छाल खाकर मरें या सेमल के फूलों की गुद्दी खाकर मरें या बेल की गुद्दी खाकर मरें, या पेट भरें या अन्य अखाद्य पदार्थों को खाकर मरें, उसको भूख से मरना नहीं कहा जाता तो फिर भूख से मरना किस तरह से होता है ।

श्रीमन्, आपको याद होगा कि जिला अल्मोड़ा की भुखमरी का प्रश्न जब श्री नारायणदत्त तिवारी ने पूछा था तो उन्होंने कहा था कि वहां भी मौत भूख से नहीं बल्कि जहरीली घास के खाने से हुई है । ठीक है, देखना यह है कि जब आदमी अन्न न मिलने से जहरीली घास खाकर जिन्दगी को कायम रखने की कोशिश करता है और जहरीली घास के खाने से मर जाता है तो वह मौत जहरीली घास के खाने से कही जायगी या भुखमरी से कही जायगी । जब इंसान भूख से पीड़ित होगा तो वह जितनी दूर भी चल सकेगा चलकर पत्ते, घास, छाल, आम की गुठली जो कुछ भी जिन्दा रहने के लिये मुहैया कर पायेगा, खायेगा, चाहे इन चीजों को खाने के बाद वह मरे या जिये और जब इनको भी तलाश करने के लिये चल सकने की ताकत उसमें नहीं रह जायगी तो वह भूख से पीड़ित,

मरता हुआ, इंसान मिट्टी भी खायेगा और जब उसको भी खाने की शक्ति न रह जायगी तब वह धीरे-धीरे प्राण त्यागेगा। इसलिये अगर इस तरह की मौतें होती हैं तो सरकार को उसे स्वीकार करना चाहिये कि भुखमरी से मौतें हुई हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि मर्ज छिपाने से अच्छा नहीं होता बल्कि और बढ़ता है। बेहतर यह है कि अगर कोई मर्ज है तो उसकी दवा की जाय, छुपाया न जाय। वह एस० डी० ओ० जिसने इतनी बहादुरी के साथ इतनी सच्ची रिपोर्ट भेज दी है कि वह मरने के पहले गुठली का आटा पीस कर खाती थी वह धन्यबाद का पात्र ही है। अधिकारी ज्यादातर ऐसे नहीं पाये जाते, कभी भी ऐसी चीज वह रिपोर्ट में नहीं भेजते हैं जिससे यह सिद्ध हो कि यह भुखमरी से मरा है।

श्रीमान मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसमें एक तो यह कहा गया है कि सस्ते गल्ले की दुकानें वहां खोल दी गयी हैं। सस्ते गल्ले की दुकान कम से कम ८ मील की दूरी पर है और हलवाई की दुकान में मिठाई भरी हो उसको देखने से अगर पेट भर सकता है तो मंत्री जी का ही भर सकता है। भूखे का नहीं भर सकता। जब तक उसके पास पैसा न हो, वहां की क्रय शक्ति इतनी क्षीण हो गई है, पैसा उनके पास नहीं है कैसे खरीदें? इस में यह भी कहा गया है कि टेस्ट वर्क खोला गया। उस समय वहां कोई टेस्ट वर्क नहीं था जब वहां के लोग भूख से मर रहे थे। मुफ्त गल्ला बांटने का भी जिक्र आया है, मेरा खयाल है कि जैसा कि सदन के सभी माननीय सदस्य जानते होंगे इस सरकार की यह परम्परा रही है कि जब जान की बाजी लगती है, जब कुरबानियां दी जाती हैं, कोई मर जाता है तब जा कर वह काम होता है। समराजी के मरने के पहले न कार्ड बंटे थे, न मुफ्त गल्ला किसी भूखे को मिल रहा था। वहां के लोगों की दशा इतनी क्षीण हो गयी थी कि भीख तक नहीं दे सकते थे

श्री उपाध्यक्ष---आप मुख्तसर बोलें।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---खालिकगढ़ में चार-चार व्यक्तियों की मौतें मंत्री जी ने मंजूर की हैं लेकिन चाहे जैसे मरे उनकी मौत भुखमरी से नहीं थी मंत्री जी का कहना है कि उनके अर्थ के मुताबिक भुखमरी कभी नहीं हो सकती लेकिन मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि वह चारों भूख से मरे, उन्होंने सड़ी हुई चीजें खायीं, साखू के फल को सड़ा कर बीज निकाल कर खाया जिसका नतीजा यह हुआ कि उन्हें दस्त और कै होने लगी और चाहे बीमारी से कहिये या भुखमरी से कहिये उनकी मृत्यु हो गयी। इसके अलावा आपकी आज्ञा से मैं माननीय मंत्री जी को यह बता देना चाहता हूं कि अगर वह इस रोग का इलाज नहीं करेंगे तो यह रोग छिपाने से और बढ़ता जायगा और हो सकता है बहुत ही भयंकर हो जाय। श्रीमन्, आपको याद होगा कि १९५२ में यही दशा थी। पूर्वी जिलों में जब भुखमरी शुरू हुई और विरोधी पक्ष के लोग कहने लगे तो कुछ लोगों से लिखा लिया गया कि नहीं भुखमरी नहीं है। नौबत यह हुई कि करोड़ों रुपया खर्च हुआ और हजारों आदमियों की जानें गयी आखिर में स्वीकार किया गया कि भुखमरी है इसलिये मैं कहता हूं कि समय होते हुये मंत्री जी अभी चेत जायं। मंत्री जी आज भले ही जवाब दे दें कि भुखमरी नहीं है, लेकिन इन बातों को सत्य मान कर जांच करायें और उसके लिये दवा तजवीज करें ताकि मर्ज दूर हो।

बांसगांव तहसील में ३ मौतें हुई हैं। बगहा, थाना बड़हलगंज में कदमा देवी नाम की एक औरत मरी है उसको कार्ड मिला था। कल जो मंत्री जी ने कहा कि कार्ड मिल गये, मतलब यह है कि सरकार बहुत जागरूक है मगर मैं नम्र निवेदन करूंगा कि कोई खाली कार्ड चाट कर जी सकता है? कागज का कार्ड होता है, उसे चाट कर कोई जिन्दा रह सकता हो तो कदमा की, तरया सुजान की दो औरतों को नहीं मरना चाहिये था, पच्चीस दिन पहले साढ़े तीन सेर गल्ला सिर्फ उसको मिला था उसके बाद नहीं मिला। दूकान टूट गयी और १५ तारीख को वह एड़ियां रगड़-रगड़ कर मरीं। उसके बाद भी दो मौतें और हुई हैं। एक महाबली है और दूसरी महदेई। यह दोनों ३–२–५८ को मरे हैं इसकी रिपोर्ट वहां के सभापति ग्राम सभा के तमाम सदस्यों ने डी० एम० और कमिश्नर को की है। कांग्रेस कार्यकर्ता रामबली जी ने और मुझे तो यहां तक खबर मिली है कि उस क्षेत्र की माननीया सदस्या कैलाशवती जी ने भी इसकी जांच करके शायद

[श्री अब्दुल रऊफ लारी]

रिपोर्ट भी दी है, लेकिन अब तक इसका कोई प्रबन्ध नहीं हो रहा है। श्रीमन्, आपको यह ज्ञात है कि माननीय मंत्री जी कल जब जवाब देने लगे थे तरैया सुजान की भुखमरी के बारे में तो उन्होंने इतनी रिपोर्ट तो मंगा ली अखबारों को देखकर कि फलां की औरत है और फलां जाति की है और फलां तारीख को मरी और उसको कार्ड मिला है, लेकिन यह उन्होंने दरियाफ्त करने की जहमत नहीं की कि उस कार्ड पर कितने दिन से गल्ला नहीं मिला है। गल्ला मरने से पहले मिला है या नहीं मिला है। घुमा के नाक पकड़ी जाती है, सीधी नहीं पकड़ी जाती है। मैं यह कहूंगा और आपके द्वारा विनम्र निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी इस बात को मानें कि भुखमरी है और बहुत ही भयंकर दशा में भुखमरी बढ़ती जा रही है।

टेस्ट वर्क की बात कही जाती है। टेस्ट वर्क जो चल रहा है ५० मील की लम्बाई चौड़ाई में फरेंदा तहसील है। उसके अन्दर तीन जगह टेस्ट वर्क चल रहे हैं। कहा जाता है कि दस-दस मील जाकर काम करो। आज जिनकी गोद में बच्चे हैं, जिनको खाने को नहीं मिला है, जिनके पास उनके मवेशी हैं और मैं यह भी बता दूं कि उनमें ऐसे-ऐसे लोग हैं जिनके पास पचास-पचास एकड़ खेत हैं, उनसे यह कहा जाय कि तुम दस-दस मील चल कर टेस्ट वर्क पर काम करो क्या यह उचित है? कल यह भी बताया गया कि चार मरने वालों में ऐसे-ऐसे लोग हैं जिनके पास पच्चीस-पच्चीस, तीस-तीस बीघे खेत हैं, लेकिन खेत लेकर वह क्या करें। अगर खेत में पैदावार हुई होती तो वह भीख मांगने के लिए आपके सामने आते? यह तो मजबूरी है कि आज हमको भी यहां चिल्लाना पड़ता है और उनको भी एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरना पड़ता है। मैं तो कहूंगा कि कायदे से इसकी जांच हो और ऐसे काम और जगह खोले जायं। यह काम तो आम का आम और गुठलियों के दाम वाली कहावत है। आठ आने, चार आने और ६ आने मजदूरी में आप डेढ़ सौ क्यूबिक फुट मिट्टी उनसे डलवाते हैं। जब कि उस तरह से १५ रुपये हजार क्यूबिक फुट का हिसाब आता है, इस तरह आप सात साढ़े सात रुपये में हजार क्यूबिक फुट मिट्टी डलवाते हैं। इस तरह फायदे का तो यह काम है। फिर भी ५० मील के बीच में तीन जगह इस काम से काम कैसे चल सकता है। आदमी जाते हैं। मेरे यहां एक टेस्ट वर्क चल रहा है। साढ़े तीन हजार की हाजिरी है। वहां उनको कुत्ते की तरह धकिया कर निकाल दिया जाता है। उनसे कहा जाता है कि जाओ २५ आदमी की टोली में आवोगे और एक मेट लाओगे तो काम मिलेगा। आठ आदमी आयेंगे तो नहीं रक्खा जायगा। परिस्थिति यह है जैसा कि कहा गया है कि नरक में ठेलीठेला, वह नरक में ठेलीठेला हो रहा है। अगर टेस्ट वर्क जगह-जगह बढ़ा दिये जायं तो सिर्फ यही नहीं कि भुखमरी से बचत हो सकती है बल्कि बाढ़ की समस्या भी हल हो सकती है, आवागमन की समस्या भी उससे हल हो जायगी, रास्ते बन जायेंगे और दुनियां भर का भ्रष्टाचार में जो पैसा जाता है, इंजीनियरों, ओवरसियरों और ठेकेदारों की जेब में, वह बच जायगा। तो श्रीमन्, मैं आपके द्वारा विनम्र निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान दें और उनको भूख से मरने से बचावें। इस सदन के माननीय सदस्यों से भी मैं कहूंगा कि इसको पार्टी का विषय न बनाकर के सब लोग अपनी-अपनी पार्टी मीटिंग्स में इस तरफ मंत्री जी का ध्यान दिलाने की कोशिश करें।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मेरा एक प्रस्ताव है कि यह नियम ४२ सस्पेंड किया जाय और नियम २२१ के अनुसार आधे घंटे और समय बढ़ा दिया जाय क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और आपका भी मैं बड़ा अनुगृहीत हूंगा क्योंकि यह पहला मौका है जब कि भूख से मौतों का मामला चल रहा है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—मैं भी आपसे प्रार्थना करता हूं कि आधे घंटे का समय बढ़ा दिया जाय और श्रीमन्, हमीं इसके भुक्तभोगी हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे (जिला जौनपुर)—मुझे एक निवेदन करना है कि नारायणदत्त जी का जो सुझाव है वह बहुत उचित है क्योंकि इतने महत्व का यह विषय है और बार-बार सदन में यह बात चली और हर बार सरकार की ओर से दुर्लक्ष्य किया जाता है। सच्चाई सामने आ नहीं पाती है। इसलिए आवश्यक यह है कि समय बढ़ाकर इस विषय को सामने आने दिया जाय। इस विषय को पूर्णतः सामने आने दिया जाय जिससे इसका उचित निदान हो सके। और बहुत से लोग बोलना चाहेंगे। इसलिये मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस छोटे से सुझाव को मान लें।

श्री उपाध्यक्ष—मेरे सामने जो प्रस्ताव नारायणदत्त तिवारी जी ने रखा है वह सही रूप में आया है। क्योंकि उन्होंने संबंधित नियम निलम्बित करने की बात कही है। ऐसी हालत में मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार करूंगा और मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उनको कोई आपत्ति है?

न्याय उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे मेरे माननीय मित्र जो सामने बैठे हुये हैं वह यदि इस पर विचार करेंगे तो शायद जिन बातों को लारी साहब ने कहा है उन्हीं बातों को दोबारा कुछ अपने तौर पर कहने की कोशिश की जायगी। वैसे यदि ऐसी इच्छा मेरे मित्र की हो तो मुझे इसमें कोई विशेष एतराज की बात हो यह मैं नहीं समझता और सरकार की ओर से चूंकि एक बार यह विषय सदन के सामने आया तो इसमें सरकार कोई आपत्ति करे तो इस पर विवाद न किया जाय यह तो उचित भी नहीं है। मेरा तो केवल इतना सा निवेदन था कि यदि मेरे मित्र इसे उचित समझें तो मेरा खयाल है इसकी कोई इतनी बड़ी आवश्यकता नहीं है। जो बातें लारी साहब ने कही हैं वही बातें आगे कहेंगे....

कई सदस्य—प्रश्न पूछे जायेंगे।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—भाषा तो नहीं दोहरायी जायगी, लेकिन बातें करीब-करीब वही होंगी.....

श्री उपाध्यक्ष—आप नियम के निलम्बित करने वाले प्रस्ताव पर कोई आपत्ति करते हैं?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—अब निलम्बित होने के बाद नियम २२१ के अनुसार मुझे यह अधिकार मिल जाता है कि मैं कितने समय तक इस सदन को चलाऊं। तो ऐसी सूरत में जब माननीय सदस्यों की इच्छा आध घंटा बढ़ाने की है तो यह सदन आध घंटा और चलेगा और वादविवाद जारी रहेगा।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि मैं और कुछ चीजों की चर्चा करूं, माननीय अली जहीर साहब की ओर से मैं अपने मित्रों से यह कहने का आदेश लेकर सदन में आया हूं कि दुर्भाग्यवश कुछ आवश्यक कार्यों से उनको जाना था इसीलिये वे यहां स्वयं उपस्थित नहीं हैं और मैं यहां एक प्रकार से खाद्य विभाग की ओर से उपस्थित हूं। लारी साहब ने जिन चीजों की चर्चा की एक प्रकार से वे सारी चीजें इस सदन के सामने आ चुकी हैं। जब कि ये प्रश्न सदन के सामने आये जिसका जिक्र लारी साहब ने किया तब भी करीब-करीब यही सारी बातें इस सदन के सामने आयी थीं और अब भी लारी साहब ने उन्हीं बातों को एक प्रकार से सदन के सामने दोबारा कहा है। क्योंकि जो चीजें सप्लीमेंटरीज में इस सदन में कही गईं उन्हीं चीजों की चर्चा यहां की।

जहां तक मूल प्रश्न का ताल्लुक है मैं नहीं जानता कि इस विवाद को हम किस हद तक ले जायं कि कौन व्यक्ति भुखमरी से मरे, कौन नहीं मरे और इस विवाद का कैसे अन्त हो। मेरे मित्र लारी साहब ने मुझसे यह पूछा कि आखिर भुखमरी की परिभाषा क्या है। कैसे दूं।

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

जो परिभाषा मैं दूंगा उससे वे कहां तक सहमत होंगे, और जो एक घटना हुई समराजी के बारे में उसको लेकर यदि उसको भुखमरी कहा जाय तो मैं उससे कहां तक सहमत हूंगा, इस पर बहुत बड़ा विवाद पैदा हो सकता है। भुखमरी के माने स्पष्ट रूप से यह हैं कि कोई गांव या कोई व्यक्ति इस योग्य न रहे कि उसके पास तक गल्ला पहुंच सके या उसके पास में गल्ला आ सके और उसकी वजह से उसकी मौत हो जाय। तो मैं नहीं जानता कि लारी साहब इस परिभाषा से कहां तक सहमत होंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा अपने मित्रों से कि जहां तक पूर्वी जिलों का ताल्लुक है जिनमें कई वर्षों से फसलें अच्छी नहीं हुईं, कुछ और प्राकृतिक प्रकोप रहते हैं, उनके बारे में सरकार की ओर से मैं यह कहना चाहता हूं कि केवल विरोधी दल को ही नहीं सरकार को भी इसके सम्बन्ध में काफी चिन्ता रहती है और आज भी है।

एक सदस्य—बहुत।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—बहुत कह कर यदि केवल व्यंग में वे मेरी बात टालना चाहते हैं तो उनके एक बहुत के जवाब में मैं १०० बहुत देने की धृष्टता कर सकता हूं। मैं अपने मित्रों से कहूंगा कि एक घटना है सामने, उसको वे भुखमरी कहें। खैर, वे चाहते हैं तो कहें, लेकिन कृपा करके इस सम्बन्ध में जो उनके सुझाव हैं उन्हें हमको दें। क्या मैं इस सदन को स्मरण दिलाऊं कि समय-समय पर आज तक कितनी चिन्ता प्रकट की गई? स्वयं माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस विषय में कितनी चिन्ता प्रकट की। क्या यह सही नहीं है कि राष्ट्रपति महोदय का दौरा इन जिलों में इस समस्या के सम्बन्ध में ही हुआ? क्या यह भी सही नहीं है कि अशोक मेहता की रिपोर्ट के समय उसके सदस्य उधर गये और इस सम्बन्ध में उन्होंने सुझाव दिये? क्या यह सही नहीं है कि केन्द्रीय खाद्य मंत्री भी उस ओर दौरा कर चुके हैं? (व्यवधान) यदि चीजों का उत्तर आपस में एक साथ बोलने से हो सके तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन उचित यही होगा कि पहले मैं बोल लूं और उसके बाद मेरे माननीय मित्र बोल लें।

मैं यह निवेदन करना चाहता था कि ये सारी चीजें इस बात की द्योतक हैं कि हमारी ओर से इस सम्बन्ध में अधिक से अधिक चिन्ता प्रकट की जाती है और उन उपायों को करने की हम चेष्टा करते हैं जो सम्भव हो सकते हैं। यह मुमकिन है कि हमारे मित्र उन उपायों को पूरा न समझें या यह चाहते हों तो ज्यादा उपाय काम में लाये जायं, लेकिन मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वे अपने को उन परिस्थितियों में रख कर विचारने की चेष्टा करें, जिस परिस्थिति में किसी प्रदेश की सरकार को चलाने का भार किसी पर होता है। क्या यह सही नहीं है कि इन जिलों पर जो कठिनाइयां हैं उन कठिनाइयों के साथ में इस प्रदेश के पूरे शासन भार को चलाने का भार इस सरकार पर है? मुझे यह भी मालूम है कि जो कठिनाइयां उपस्थित होती हैं उनसे यदि उनको चिन्ता होती है तो चिन्ता हमको भी होती है। यदि कुछ लोग वहां से चुन कर आये हैं तो कुछ लोग सरकारी पक्ष की तरफ से भी चुन कर उधर से आये हैं। तो दोनों को समान रूप से उस ओर की चिन्ता न हो ऐसी बात नहीं हो सकती।

एक बात मेरे माननीय मित्रों को और न भूलनी चाहिये और वह यह कि मनुष्य चाहे इधर बैठे या उधर बैठे उसकी भावनाओं में कहीं कोई कमी नहीं आ सकती। जब कभी भुखमरी का प्रश्न पैदा होता है तो मेरे मन में एक भावना जरूर पैदा होती है कि किसी भी गांव में कुछ भी गल्ला हो तो क्या वह गांव किसी व्यक्ति को भूख से मरने देगा? अगर किसी अधिकारी को यह ज्ञात हो कि किसी व्यक्ति के पास गल्ला नहीं है तो क्या वह अधिकारी उस व्यक्ति को भूख से मरने देगा और खास कर उन परिस्थितियों में जब कि उन अधिकारियों के पास सहायता के लिये धन मौजूद हो और जब कि उनमें यह क्षमता हो कि उस धन को वे व्यय कर सकते हैं फिर प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि कुछ धन तहसील में मौजूद है।

श्री उपाध्यक्ष—आपको एक बार और मौका मिलेगा। कृपया संक्षेप में ही अपनी बात कहें।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मैं अभी एक या दो बात कह कर समाप्त कर दूंगा। इस समय मैं आपकी आज्ञा से केवल इतना कहना चाहूंगा कि मेरे मित्र ने सरकार की कठिनाइयों और परिस्थितियों को सामने रख करके जो सुझाव दिये वह हमारे लिए उपयोगी होंगे और हम चाहेंगे कि हम उनमें से जो सम्भव हो सके, उन पर आगे भी कार्य करने की चेष्टा करें।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय आचार्य जी के कोमल हृदय की मैं बहुत प्रशंसा करता हूं, लेकिन जहां वह बैठे हुए हैं, वहां पर उस कोमल हृदय से कुछ काम चलता नहीं है। उस कोमल हृदय में भूख से मृत्यु होने की बात कभी घुसती नहीं है और मेरी समझ में आता है कि कोमल हृदय मना करता है कि भूख से मरने की बात स्वीकार करो।

हम क्या कहें, सौभाग्य की बात तो नहीं हो सकती, लेकिन सब से पहले अबकी मर्तबा माननीय अली जहीर ने स्वीकार किया कि गुठली खाने के बाद किसी की मृत्यु हुई है, समराजी की। तो मैं समझता हूं सरकार की गफलत में ऐसी खबर आ गयी, नहीं तो थोड़ी खबर अगर होती तो वह फिर इस विधान सभा में नहीं आने पाती। मैं समझता हूं कि वह कमिश्नर सजा पावेगा जो इस वक्त एक नौजवान आदमी चला गया है कहीं से और उसने खुद जिस रोज खाद्य मंत्री जैन साहब गये थे, उनको बताया था कि मामला बहुत नाजुक है और यहां तक कहा था अपने अफसरान और जैन साहब के सामने—जहां हम लोग भी मौजूद थे और गोरखपुर के भाई मौजूद थे—कि इस जिले की और इस कमिश्नरी की ऐसी नाजुक स्थिति है कि केवल ६ रुपया महीना आमदनी यहां के किसानों की होती है, ऐसा उसने जोड़ करके बताया था और वह तब होती है जब नार्मल फसल हो जाय। ऐसी हालत में भी मैं समझता हूं कि अगर मौत भूख से न हो तो क्या हो सकता है। यह तो स्वयं आचार्य जी मानते हैं कि पिछले वर्षों से, कई वर्षों से, फसल बरबाद हुई है। वह धान पैदा करने वाला इलाका है और कुछ पैदा नहीं हुआ। समराजी की मृत्यु भूख से नहीं हुई, गुठली खाने से हुई है, यह कहा जाता है। मैं आचार्य जी की सेवा में यह बंगाल इन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट देना चाहता हूं। अगर खरीदने को यह मिल जाती तो मैं आपकी सेवा में देता, यह लाइब्रेरी की है और माननीय सम्पूर्णानन्द जी की सेवा में देता। वक्त बहुत कम है, आप मेहरबानी करके इसके पेज ११६ पर खास तौर से पढ़ लें और इतना मैं सदन की जानकारी के लिए जरूर चाहता हूं कि यह जान लें कि यह मेडिकल इंटरेस्ट की बात जरूर है कि भूख लगने से बीमारी आती है या बीमारी भूख और मुसीबत में डाल देती है तो वह मरने के करीब पहुंचता है। इससे मालूम होगा कि बंगाल में फेमिन डायरिया से कितने लोग मरे, पेट की बीमारी से, मलेरिया की बीमारी से और दूसरी एपिडेमिक से लोग मरे और सबको फेमिन से मरना माना गया। यह किसने माना? अंग्रेजों ने इसको माना।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि कल २४ मौतों की बात राजस्व मंत्री जी ने मानी थी। कहते हैं कि सूचना सरकारी अधिकारियों के पास गयी है और वह इस बात की रिपोर्ट देंगे, अभी तक रिपोर्ट आयी नहीं है। हम लोग मौत की बात कहने के लिए बड़े शौकीन हैं, यह हम ही नहीं चाहते हैं। वह कहते हैं कि कोई उपाय बताओ। उपाय बताने के लिये बड़ी कोशिश की और मुझे फिर दुहराने की जरूरत नहीं है। हमने कहा था कि अशोक मेहता इन्क्वायरी कमेटी इन सारी बातों की जांच करे, उसको थोड़ा मौका दीजिये, यह इसलिए कहा था कि स्टेट गवर्नमेंट इस मामले को पूरी तरह से निवाह नहीं सकती है। इसमें कोई हमारी प्रतिष्ठा का मामला नहीं था। निभाने की ताकत सेंट्रल गवर्नमेंट में है उसने कहा कि दो करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च करेंगे तो ७५ फीसदी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, लेकिन हमारे यहां चार आने मजदूरी पर टेस्ट वर्क्स कराये गये और मजदूरी सात-सात पन्द्रह-पन्द्रह दिन तक नहीं मिली। अब बताइये किस तरह से लोग अपनी जीविका चला सकते हैं। मैं अन्त में एक बात अर्ज करदूं कि पढ़ने की मेहरबानी करें। यह नहीं कि मिनिस्टर समझने लगें कि मैं मिनिस्टर हो गया तो ज्ञान का भंडार हूं। उनकी

[श्री गेंदासिंह]

भी मजबूरी है कि उन्हें वक्त नहीं मिलता है, लेकिन पढ़ें तो उन्हें मालूम होगा कि बंगाल की खत्तियों में अनाज भरा पड़ा था, लेकिन हजारों आदमी भूख से मर रहे थे। यह भी नहीं हुआ कि लोगों के पास अनाज खत्म हो गया हो तभी कोई भूखा मरा हो। समाज के पास अनाज भरा पड़ा रहता है और लोग भूखों मरते हैं। आज मरने वाली बात को झूठा कह कर इस लायक भी नहीं रखते कि वह कोई मदद पा सकें। अगर आप नहीं कहते हैं तो कौन कहता है हम कहते हैं कि भूख से मरें, क्यों कहते हैं? झूठा कौन है? हम और लारी साहब। आप कहना चाहते हैं उसके बाद हमारी मदद करने कौन आयेगा। पहले मैं आप से कहता हूं कि .....

श्री उपाध्यक्ष---समय बहुत कम है।

श्री गेंदासिंह---मैं खत्म कर रहा हूं। किस तरह से इलाज किया जा सकेगा। आप इलाज करके देखिये फिर देखें इलाज मिलता है या नहीं।

दूसरी बात मैं और कह दूं कि इसका इलाज आपको निकालना पड़ेगा। मैं कोई गाली नहीं देता हूं, लेकिन जो मिनिस्टर कहता है और जो लोग कहते हैं कि आदमी भूख से नहीं मरते हैं वह देशद्रोही हैं। जो कहते हैं कि लोग भूख से नहीं मरते हैं वह देश को बेच डालेंगे या फिर गोली खायेंगे। इन दोनों में से कोई न कोई काम होने वाला है। हम हिंसा की तरफ जाने के लिये बढ़ावा नहीं देते हैं। गोरखपुर की बेंचेज खाली हैं। एक भी नहीं हैं। गोरखपुर वालों को मैं ज्यादा पहचानता हूं। देवरिया के तीन भाई बैठे हैं। गोरखपुर से १५ मेम्बर हैं और उनमें से आज एक भी नहीं है। चुनाव हार गये जो हार गये।

श्री उपाध्यक्ष---विषय बहुत नाजुक है और समय भी बहुत कम है।

श्री गेंदासिंह---मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं इतना ही कह रहा हूं कि सरकार वस्तु-स्थिति को देखे और यह मैं नहीं कह रहा हूं कि आपके साथ हम कोआपरेट करने के लिये तैयार नहीं हैं। आप लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ न करें।

श्री नारायणदत्त तिवारी---उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह खबर मिली है कि माननीय अली जहीर साहब लखनऊ में ही हैं और वह किसी दूसरे एन्गेजटमेंट में गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वह यहां क्यों उपस्थित नहीं हुये?

श्री उपाध्यक्ष---यह उत्तर कौन दे सकता है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---उपाध्यक्ष महोदय, मैंने शुरू में ही कहा था कि उन्हें आवश्यक कार्य से जाना था, इसलिये वह चले गये। श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि वह हैं या नहीं, लेकिन सरकार की ओर से प्रतिनिधि तो है। मुझे मालूम नहीं हैं कि वह कहां गये हैं। आवश्यक कार्य से चले गये हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---ईस्टर्न कमांड की टी पार्टी में गये हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि सवाल वाली जो परिपाटी है उसी को अगर अपनाया जाय तो आसानी रहेगी।

श्री उपाध्यक्ष---मुझे पूरा अधिकार है, लेकिन आप लोग तय कर लें तो ठीक यही होगा अब प्रश्न करें। लेकिन तकरीर करने वालों को भी मैं २, ३ मिनट से ज्यादा समय नहीं दूंगा।

श्री उग्रसेन—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय उपमंत्री जी ने सरकार की ओर से भुखमरी के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण किया और यह कहा कि हम कोई सुझाव नहीं देते। उन्होंने सरकार की ओर से हम से सुझाव मांगे। तो हम सोशलिस्ट पार्टी के लोग तो बार-बार सुझाव देते रहे हैं मगर सरकार ने हमारा एक भी सुझाव नहीं माना। माननीय चौधरी चरणसिंह साहब ने इसी सदन में कहा था कि बाप के रहते लड़का कैसे भूख से मर जायगा? देवरिया जिले में गुमटही एक स्थान है। वहां ७ नवम्बर को टेंगरी हरिजन की मृत्यु हुई और १४ नवम्बर को उसका लड़का हरिसरण मर गया। समराजी बेवा भी इसी प्रकार भूख से मरी, लेकिन यहां तो सरकार समझती है कि पूर्वी जिलों में लोग शौक से मरते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उसके मरने से पहले उसके राशन कार्ड पर जो मुफ्त गल्ले का था कितने सेर गल्ला उसको दिया गया था?

श्री उपाध्यक्ष—आप बार-बार वही बातें दोहरा रहे हैं कोई नयी बात कहिये।

श्री उग्रसेन—दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि गांव सभाओं में जन्म मरण लिखने का एक रजिस्टर होता है। जब उस रजिस्टर में मरने का कारण भुखमरी के अलावा कोई और लिख दिया जाता है तो हमारी सरकार उसे सही मान लेती है, लेकिन अगर उसी रजिस्टर में यह लिख दिया जाय कि भुखमरी से मृत्यु हुई तो वह नहीं माना जाता है। टेंगरी हरिजन, राममनी गोंड, समराजी बेवा, हरिसरण, फूलचन्द और दूसरे जितने भुखमरी से मरे वह सब गांव सभा में जन्म मृत्यु रजिस्टर में दर्ज हैं मगर सरकार नहीं मानती है।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जब भुखमरी से मृत्यु होती है तो अफसर उनकी लाश का पोस्ट मार्टम क्यों नहीं कराते? हम लोगों ने कह दिया था कि अब अगर लोग मरेंगे तो उनकी लाश कलेक्टर के यहां रख देंगे। मगर सरकार मजाक उड़ाती है, चार आने पैसे भी टेस्ट वर्क्स में नहीं देती है। न उनके पास कोई बाढ़ रोकने की योजना है न कटाव रोकने की योजना है। अगर इस सरकार की यही हालत रही तो ज्यादा दिन तक यह टिकने वाली नहीं है। च्यांग काई शेक वाला हश्र इसका भी होगा। जब आम की गुठली खा कर समराजी बेवा का मरना सरकार स्वीकार करती है तो कम से कम उसकी मौत होना तो भुखमरी से सरकार स्वीकार करती।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय यादवेन्द्रदत्त दुबे।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप से सूचना के लिये जानना चाहता हूं कि क्या इस पक्ष के लोगों को भी बोलने का अवसर मिलेगा?

श्री उपाध्यक्ष—हां, हां। आप बोलना चाहते हैं तो दुबे जी के बाद अवसर दे दूंगा। माननीय दुबे जी, तीन मिनट आपके लिये भी हैं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—श्रीमन्, मेरे ही लिये यह बन्धन क्यों? मैं भी उसी क्षेत्र से आता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—ठीक है, तीन मिनट में अक्लमन्द लोग बहुत सी बातें कह सकते हैं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—जो आपकी आज्ञा होगी वह शिरोधार्य होगी, परन्तु यह विषय इतना बृहत् है जिसके कहने में थोड़ा वक्त लगेगा ही और उसका, श्रीमन् ध्यान रखें।

मंत्री महोदय ने कहा कि हम लोग सुझाव नहीं देते हैं। तो एक बार नहीं हजार बार इस सदन के अन्दर बहुत से सुझाव दिये गये। और इतना ही नहीं, आदरणीय राष्ट्रपति के सामने भी बनारस और गोरखपुर में सुझाव दिये गये। सरकार ने उन सुझावों को मैं यह कैसे कहूं कि नहीं किया, परन्तु दबी जबान से हां, हां हूं हूं तो करते ही रहे। परन्तु उन सुझावों के बावजूद भी और उनके दबी जबान से हां हां, हूं हूं कर देने के भी बावजूद जब काम में लाने का प्रयास किया गया तो सरकार उनसे भागने लगी। जैसा कि माननीय गेंदा सिंह जी

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

ने बताया, कहा यह कि गोरखपुर में लगान की वसूली नहीं करेंगे और सदन में जब प्रश्न हुआ तो उत्तर विचित्र प्रकार का दिया। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को कहा जाता है कि हमने उनको आज्ञा दे दी है कि एम० एल० ए० या एम० पी० जहां सुझाव दें वहां दूकान खोली जायं, जब एम० एल० ए० या एम० पी० ने कहा तो दुकान खोली गई। अभी मेरे पास गोंडा जिले के विषय में एक पत्र आया है। श्री अटलविहारी बाजपेयी जो एम०पी० हैं उन्होंने वहां से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, गोंडा को एक पत्र लिखा। तो उन सज्जन ने इतने जिले के लिये ४९ दुकाने खोलने की सिफारिश की है। वह सज्जन बड़े बुद्धिमान हैं। वह इतने बड़े जिले के लिये केवल ४९ दुकानें खोलने की सिफारिश करते हैं। मुझे आश्चर्य है कि उनकी बुद्धि से यह किस प्रकार निकला कि इतने बड़े जिले के लिये केवल इतनी ही दुकानों की सिफारिश की और उस सिफारिश को सरकार ने माना, यह और भी आश्चर्य की बात है। इतना ही नहीं गोंडा जिला और गोरखपुर, देवरिया यह तीन जिले धानी जिले हैं। वहां पर धान के अलावा और फसल नहीं होती है। वहां पर सूखा पड़ने और अतिवृष्टि से बहुत हानि हुई है।

इसी सरकार का सूचना विभाग है उसका एक पत्रक निकला था जिसमें यह स्वीकार किया गया था कि वहां पर अगहनी धान का १० आना से लेकर १२ आना तक नुकसान हुआ है। जहां पर इन तीन जिलों में इतनी बड़ी हानि हो उसको आप समझ सकते हैं कि वहां पर क्या दशा होगी। उस पत्र को मैंने माननीय चरणसिंह जी को भी दिखाया था। जिन जिलों में इतनी बड़ी हानि हुई हो और वह भी तीन-तीन बार तो वहां पर भुखमरी का होना कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि जब सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया तो सरकार लोगों के रोगी होने का बहाना करती है। जब कोई बहाना उस बुढ़िया के लिये नहीं मिला, जो भूख से मरी, तो उसके लिये कह दिया कि आम की गुठली खाने से वह मर गई।

मेरे कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार की घटना होने के बाद भी सरकार इससे विमुख होने का प्रयास करे तो इससे दुख होता है। लोग भूखे मरते हैं और अधिकारियों से कहा जाता है, उनको परिपत्र दिये जाते हैं फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता। मैं आपको एक उदाहरण गोरखपुर जिले के मरवईया ग्राम का रामानुज पांडेय का देना चाहता हूं जिसने सरकार को, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को और राज्यपाल महोदय को १४ व्यक्तियों के भूख से मरने के सम्बन्ध में पत्र लिखा, लेकिन आज तक सरकार ने उस पत्र के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो गया।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में एक ऐसी परिस्थिति पैदा होती है कि वह भुखमरी के सम्बन्ध में इस पक्ष से प्रश्न करता है और जो उत्तर मिलता है उससे सुननेवालों को सन्तोष नहीं होता। ३-४ वर्ष से हमारे पूर्वी अंचल के जिलों की हालत खतरनाक है। पहले भी वहां की स्थिति खराब थी। अब वहां पर सूखा आया और जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने कहा कि वहां आर्थिक ढांचा कुछ पहले ही अस्त-व्यस्त हो गया था। हमको आजादी तो मिली, लेकिन हम अपने यहां की एकानमी ठीक नहीं कर पाये। जैसे सारे देश की हालत है वही उत्तर प्रदेश की भी है। पूर्वी अंचल की और भी खराब दशा है। इस बात को सभी मानते हैं कि वहां की दशा पच्छिम के जिलों के मुकाबले में बहुत खराब है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार इसके लिये जिम्मेदार है यह बात नहीं है। मैं यह जरूर मानता हूं कि वहां की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, लेकिन इस कांग्रेस सरकार ने उसके लिये बहुत ध्यान दिया है।

अब भुखमरी का प्रश्न आता है। मैं देखता हूं कि अगर भुखमरी का अर्थ यह है कि लगातार ७ दिन तक किसी को खाना नहीं मिला और आठवें दिन वह मर गया तो ऐसी भुखमरी का अर्थ वहां के लिये नहीं है, लेकिन अगर भुखमरी का अर्थ यह है कि आधा पेट खाना मिलता हो और जितना खाना भरपेट मिलना चाहिये वह न मिला हो और खाना खाने से ५० वर्ष तक उसको जिन्दा रहना चाहिये, लेकिन अगर वह ३० वर्ष तक ही जिन्दा

रहता है तो यह भुखमरी का अर्थ मैं जरूर मानता हूं। इस प्रकार की स्थिति वहां पर जरूर है। मैं आपके द्वारा सदन को यह बताना चाहता हूं कि अगर भुखमरी का यह अर्थ समझा जाता है। अगर भुखमरी का अर्थ है कि आदमी अंडरफेड होकर मर गया, तो वहां ऐसे केसेज हैं। आधा पेट लोग वहां खाते हैं ऐसी परिस्थिति वहां है। इसलिये मैं सरकार से चाहूंगा कि पूर्वी जिलों के लिये ऐसी व्यवस्था करे कि १०, १५ साल में वहां की आर्थिक स्थिति ठीक अवश्य हो जाय।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कहा जाता है कि प्रभुता पाकर मद हो ही जाता है। मैं पिछले १ वर्ष से देख रहा हूं कि उस तरफ के बैठने वाले, विशेषकर मंत्रिगण, इसके प्रमाण हैं। जब पूर्वी अंचल के लोग भुखमरी से मर रहे हैं और सरकार से घुटने टेककर प्रार्थना करते हैं कि हमारी ओर ध्यान दो तो ऐसे उत्तर देते हैं कि जिनसे कोई संतोष नहीं हो सकता। माननीय चरणसिंह जी ने कहा था कि लगान वसूल नहीं किया जायगा, लेकिन वह किया जा रहा है। एक औरत भूख से मरी, उसे खाद्य मंत्री मानने के लिये तैयार नहीं हैं। इतना तो मानते हैं कि तलाशी लेने पर उसके घर में अन्न नहीं मिला, लेकिन सीधे यह कहने में उन्हें कठिनाई है कि वह भूख से मरी। सरकार पूर्वी जिलों के लोगों को भुख से मरने के लिये विवश करती है। सरकार की हठवादिता इसके लिये बहुत बड़ी जिम्मेदार है। आजमगढ़ जिले में आज से ४ महीने पहले दो मृत्युयें भूख से हुईं जिनका कामरोको प्रस्ताव यहां हम ले आये। वहां के जिलाधीश ने स्वीकार किया एक हरिजन भूख से मरा, घोसी में भी मरा। सरकार ने परगनाधीश को वहां भेजा। प्रधान ने बयान दिया था कि भूख से मरा, लेकिन उससे जबरदस्ती लिखाया गया कि भूख से मृत्यु नहीं हुई। उसने भिन्न-भिन्न पार्टियों को लिखा कि मुझसे जबरदस्ती लिखाया गया कि भूख से मृत्यु नहीं हुई, कांग्रेस पार्टी को भी उसने लिखा। पूर्व में चोरी और डकैतियां इसलिये बढ़ रही हैं कि वहां लोग भूखों मर रहे हैं। आजमगढ़ जिले में एस० पी० ने रिपोर्ट दी है कि इसके कारण ही वहां क्राइम बढ़ रहा है, मंत्री जी उसे देखें। ऐसी हालत में भी टेस्ट वर्कस् पर लोगों को केवल ४ और ६ आने पर रखा जाता है और वे भी नहीं खोले जा रहे हैं। राष्ट्रपति जी के आने के समय आजमगढ़ के जिलाधीश ने लिखा था कि ३५ टैस्ट वर्क्स चल रहे हैं जबकि वहां १ नहीं चल रहा था।

खाद्य मंत्री जी ने कहा कि अशोक मेहता कमेटी पूर्वी जिलों में गई। जहां तक हम लोगों की जानकारी है उस कमेटी का कोई सदस्य पूर्वी अंचल में नहीं गया। एक केन्द्रीय कमेटी भी आई और वह भी किसी से नहीं मिली माननीय गेंदासिंह जी को उनसे मिलने के लिये मुख्य मंत्री जी का सहारा लेना पड़ा।

इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि पूर्वी जिलों की जनता को बचाने के लिये अविलम्ब सहायता उपलब्ध करें।

श्री उपाध्यक्ष—अब मैं केवल प्रश्नों की इजाजत दूंगा।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब मुगलहा में समराजी के मरने के बाद दुर्भिक्ष मंत्री चौधरी चरणसिंह दौरे पर गये तो मुगलहा ग्राम में तथा आसपास के जिन ग्रामों से मौत से मरने की रिपोर्ट्स आयीं थीं वहां जाने का प्रोग्राम उन्होंने क्यों नहीं बनाया?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—श्रीमन्, जहां तक मुझे ध्यान है, यह तो किसी ने नहीं कहा कि समराजी की भूख से मृत्यु हुई। ऐसी इत्तला तो मुझे नहीं है कि चौधरी चरणसिंह जी को ऐसी इत्तला हो कि वह भूख से मर गयी। उन्होंने जो उचित समझा अपना प्रोग्राम बनाया और उसके अनुसार वे दौरे पर गये।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---माननीय मंत्री जी किस प्रकार मरने वाले को भूख से मरा हुआ मानेंगे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि समराजी देवी को मरने के कितने दिन पहले राशन कार्ड पर अन्न दिया गया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---इसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है कि कितने दिन पहले उसको राशन कार्ड पर अन्न दिया गया या नहीं दिया गया अथवा उसके पास राशन कार्ड भी था या नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी उस रिपोर्ट या रिपोर्टों की कापी सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे जो उनको समराजी देवी और दूसरे ४ भूख से मरने वाले आदमियों के बारे में प्राप्त हुई है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---मेरा खयाल है शायद यह उचित न होगा। मेरे पास शायद वह रिपोर्ट भी नहीं है। यदि नियमानुसार ऐसा करना संभव हो तो मेरा खयाल है कि किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता है।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि केंद्रीय खाद्य मंत्री अथवा राजस्व मंत्री के दौरे पर जाने के बाद पूर्व के लोगों को कोई विशेष सहायता या राहत पहुंचायी गयी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---मेरे खयाल से इस बीच में काफी काम हुआ है। दूकानें बढ़ी हैं, टेस्ट वर्क्स खुले हैं, लगान आदि में छूट दी गयी है, आदि बहुत से काम किये गये हैं। यदि और आवश्यकता होगी तो जैसा उचित समझा जायगा, वैसा किया जायगा।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि बाढ़ पीड़ित और भूख से मरने वाले इलाके में लगान वसूल किया जा रहा है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---मेरे खयाल से यह बिलकुल गलत बात है।

श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)---क्या लगान वसूली के सिलसिले में लोगों को मुर्गा भी बनाया गया ?

श्री उपाध्यक्ष---मुर्गा बनाने का सवाल इससे नहीं उठता।

श्री मदन पांडेय---इन सब बातों को देखते हुये और माननीय मंत्री जी के यह स्वीकार कर लेने पर कि भूख से मौतें हुई हैं, क्या माननीय मंत्री जी कोई कमेटी ऐसी मुकर्रर करेंगे जो यह जाकर एन्क्वायरी करे कि भूख से मौतें हुई हैं या नहीं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---माननीय अन्न मंत्री ने किसी के भूख से मरने की बात को स्वीकार नहीं किया है। जहां तक वहां पर किसी कमेटी के जाने की बात है न जाने कितनी जा चुकी हैं और उनका तांता समाप्त नहीं होता है।

श्री अमरनाथ---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि समराजी के घर की तलाशी हुई और क्या उसके घर में अन्न मिला ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--इसका उत्तर दिया जा चुका है, उसका दुहराना उचित न होगा।

श्री ब्रजनारायण तिवारी--मैं जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री जी ऐसे लोगों की कोई लिस्ट बनायेंगे, जिनके पास इस वक्त गल्ला नहीं है और क्या उसके लिये ऐसी व्यवस्था करेंगे कि किसी को एक मील से अधिक गल्ला लेने के लिये न जाना पड़े?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--श्रीमन्, यह संभव नहीं है कि एक मील से ज्यादा कोई गल्ला खरीदने न जाय। इस तरह से न जाने कितनी दूकानों की आवश्यकता होगी, इसका अन्दाजा लगाया जा सकता है।

रह गयी लिस्ट की बात, न तो यह संभव हो सकता है कि ऐसी लिस्ट तैयार करायी जाय और अगर तैयार भी करायी जाय तो मुझे आश्चर्य न होगा, न जाने कितने लोग उसमें अपना नाम लिखा दें।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि मुसम्मात समराजी कितने दिनों तक गुठली खाती रही?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--समराजी को खांसी और ज्वर का रोग था और जब वहां पानी भर गया उस स्थिति में उसके पति ने उसको आम की गुठली दे दी।

जहां तक सरकार के पास सूचना है, गांव के लोगों ने अन्न जमा किया और उसको अन्न दिया। इससे स्पष्ट है कि समराजी के मरने से पूर्व गांव में अन्न मौजूद था, लेकिन बजाय अन्न का प्रयोग करने के उसके पति ने उसे आम की गुठली दे दी। शायद वे अन्न का प्रयोग करते और आम की गुठली न देते, तो समराजी की मृत्यु भी न होती।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि वे और कुछ समय लेना चाहें तो मैं उनको दे सकता हूं, दो तीन मिनट हैं और कुछ वे कहना चाहें तो कह सकते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव--श्रीमन्, मैंने एक प्रश्न यह किया था कि अशोक मेहता कमेटी के कौन-कौन सदस्य थे और वे किस तारीख को पूर्वी जिलों का दौरा करने गये थे, इसको बतला दिया जाय।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--ऐसे तो प्रश्न के उत्तर से ही यह बात साबित हो गयी है कि वे बनारस गये थे और जो कुछ जानकारी वे हासिल करना चाहते थे, उन्होंने हासिल की। अपनी जानकारी के संबंध में उन्होंने कुछ जिक्र अपनी रिपोर्ट में भी किया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, आपके हाथ में अधिकार है, लोगों के बोलने की उत्कंठा को देखते हुए आप १५ मिनट का समय और बढ़ा दें तो अच्छा हो।

क्या सरकार के पास कोई मेडिकल रिपोर्ट किसी वैद्य या डाक्टर की मौजूद है कि समराजी को ज्वर, बुखार और खांसी हो गयी थी?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--माननीय सदस्य से मैं कहना चाहता हूं कि क्या आपके पास कोई डाक्टर की रिपोर्ट है? मेरे पास तो सरकार की रिपोर्ट है और उसको आपने स्वीकार भी किया है कि उसे खांसी और ज्वर था। परन्तु किसी डाक्टर की रिपोर्ट ले आना या इस तरह की और कोई चीज करना मेरे हाथ की बात नहीं है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--क्या सरकार गांव सभापतियों से भी रिपोर्ट मंगायेगी कि पूर्वी जिलों में कहां-कहां भुखमरी की हालत है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---श्रीमन्, भुखमरी के संबंध में जब बार-बार इन शब्दों का प्रयोग होता है तो मैं समझ नहीं पाता। पूर्वी जिलों में जहां-जहां कठिनाई है उसके सम्बन्ध में सरकार के पास रिपोर्ट मौजूद है।

(इसके बाद सदन रात को ७ बजे अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
१४ फरवरी, १९५८ ई०।

देवकीनन्दन मिश्रल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३९२ पर)

१९४८ से १ अगस्त, सन् १९५७ तक कृषि बीज गोदामों से सहकारी बीज गोदामों को निम्नलिखित गल्लों के बीज दिये गये :--

गल्ले के बीज का नाम			तादाद		
			मन	सेर	छ०
गेहूं	..	..	९,९९,७९५	५	८ १/२
चना	..	..	१,५७,४९८	३७	१ १/४
मटर	..	..	४२,३००	१६	१२ ३/४
धान	..	..	२,६१,६०३	२५	१४
जव	..	..	८२,१२८	३२	११ ९/१०
ज्वार	..	..	१२,७३५	२०	१२
मकाई	..	..	४,०२१	२२	११ १/२
कपास	..	..	५४२	३२	८
मूंग	..	..	१,४३२	३७	११
अन्य विविध गल्ले के बीज		..	२२,७५९	३	१ ७/१०
योग		..	१५,८४,८१८	३४	१२ ३/५

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३९४ पर)

१—हरिजन छात्रों को कर्बी-मऊ क्षेत्र में दी गई छात्रवृत्ति का विवरण

संस्थायें	छात्रवृत्तियों की संख्या	
	१९५६–५७	१९५७–५८
(१) माध्यमिक संस्थाओं में ..	५१	४०
(२) जिला बोर्ड द्वारा संचालित संस्थाओं में	५६	विचाराधीन

२—पिछड़ी जाति के छात्रों को कर्बी-मऊ क्षेत्र में दी गई छात्रवृत्ति का विवरण

संस्थायें	छात्रवृत्तियों की संख्या	
	१९५६–५७	१९५७–५८
(१) माध्यमिक संस्थाओं में ..	१८	१३
(२) जिला बोर्ड द्वारा संचालित संस्थाओं में	२८	विचाराधीन

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४०० पर)

१९५४–५५, १९५५–५६ तथा १९५६–५७ में उत्तर प्रदेश में विभिन्न खाद्यान्नों के उत्पादन की तालिका

उत्पादन टनों में

उत्पादन			१९५४–५५	१९५५–५६	१९५६–५७
गेहूं	..	..	३२,८३,९९३	३०,४१,२९८	३१,१४,८७५
चावल	..	..	२१,५५,४२७	२५,४७,०८६	२२,८५,७२३
जौ	..	..	१७,१३,८३९	१६,०१,५९८	१५,९६,३८९
चना	..	..	१७,७४,८०१	१४,४२,६८२	१५,०७,०६७
बाजरा	..	..	७,७१,३४७	५,५९,१९०	४,६४,७०३
ज्वार	..	..	७,७१,३४१	३,७४,४२९	४,३९,४८९

टिप्पणी—उपर्युक्त उत्पादन में कुमायूं के पर्वतीय जिलों का उत्पादन भी सम्मिलित है।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—२९४ एल० ए०—१९५८—८१० ।